खण्ड-210, अंक-4
मंगलवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(1 मार्च, 1960 ई0)

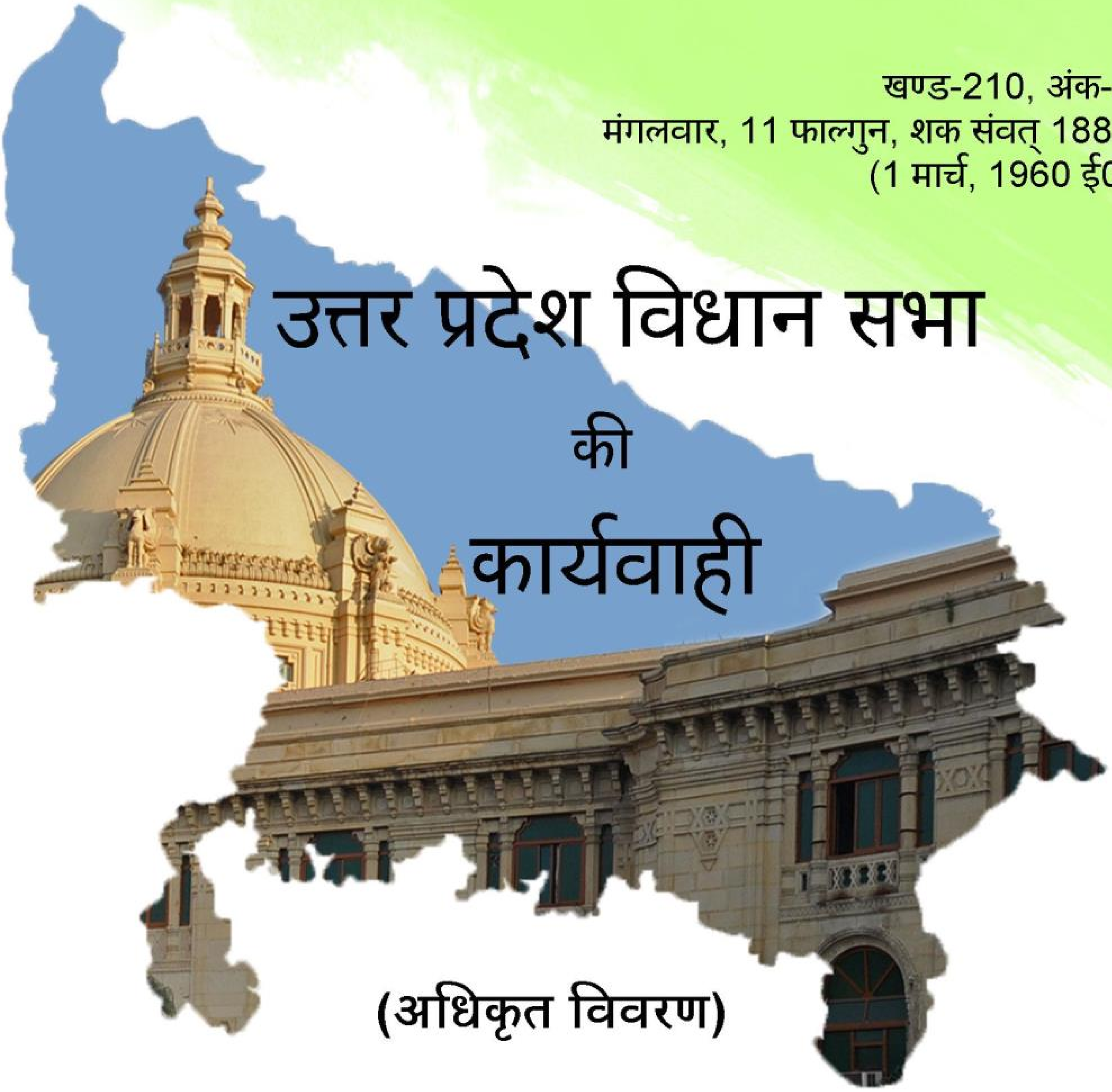

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 210 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिल, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेव सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरग्राम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर , श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री

सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री, श्री महावीर सिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १ मार्च, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्प्रति कितने विधान मण्डल के सदस्यों को निवास स्थान के अभाव में ७५ रु० मासिक किराया के रूप में दिया जाता है?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—विधान मण्डल के १५३ सदस्यों को १५ फरवरी, १९६० को निवास स्थान के अभाव में ७५ रु० मासिक क्षतिपूरक भत्ता दिया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन १५३ विधान मण्डल के सदस्यों को कब तक निवास स्थान प्राप्त हो सकेगा?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय जो सदस्य कमरा चाहते हैं उन की संख्या २८ है। ७२ कमरे हम जल्द बना रहे हैं। वह बन जायेंगे तो उन को दे दिये जायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जब इन निवास स्थानों का किराया लिया जा रहा था सरकार के द्वारा तो ३८ रुपया १२ आना ही मासिक लिया जाता था? यदि यह बात सही है तो इस वक्त माननीय सदस्यों को ७५ रुपया देने की जरूरत क्यों पड़ी?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो नीति का प्रश्न है और उसकी जानकारी आप को है। प्रश्न में तो आप सिर्फ जानकारी हासिल करना चाहते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि पहले जो विधान सभा के सदस्यों को निवास स्थान देने के सम्बन्ध में एक सलाहकार समिति बनी थी वह सलाहकार समिति क्यों भंग कर दी गयी?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मेरा खयाल है कि भंग तो नहीं की गयी है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—वह भंग अगर नहीं कर दी गई है तो उसकी मीटिंग कब से नहीं बुलायी गयी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तारीख तो याद नहीं है। इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी कि कब बुलायी गयी, कब नहीं बुलायी गयी।

श्री राजनारायण—सरकार को अगर तारीख का स्मरण नहीं है तो साल का स्मरण है कि कितने साल से नहीं बुलाई गई ?

श्री उपाध्यक्ष—नोटिस चाहते हैं वह।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सरकारी कर्मचारियों को हिल एलाउन्स व विण्टर एलाउन्स देने की प्रार्थना

*१—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कुमायूं प्रदेश के पहाड़ी जिलों में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को हिल एलाउन्स तथा विन्टर एलाउन्स कब से और किस आधार पर दिया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—यह भत्ते २५ अगस्त, १९५१, से पहिले विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये गये थे और पहाड़ी जिलों में जीवन निर्वाह में अधिक खर्चे के कारण दिये गये थे।

*२—श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय जिलों के किन-किन सरकारी कर्मचारियों को यह एलाउन्स मिलना बन्द किया गया है और क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार ने यह भत्ते २५ अगस्त, १९५१ से बन्द कर दिये हैं। अब यह भत्ते केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को दिये जाते हैं जोकि उस तारीख को यह भत्ते पा रहे थे बशर्ते कि वे कर्मचारी, उन्हीं पदों पर या उनके समान पदों पर उन स्थानों में जहां कि वे भत्ते मिलते थे, कार्य कर रहे हैं।

*३—श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर के पुनः इस बात पर विचार करेगी कि पर्वतीय जिलों के कर्मचारियों को हिल एलाउन्स व विण्टर एलाउन्स दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतायेगी कि यह भत्ता बन्द कर देने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर—बात यह है कि सन् १९४७-४८ के करीब उनके वेतन को फिर से रिवाइज किया गया और सब को गरानी एलाउन्स वगैरह भी देना शुरू किया गया और यह समझा गया कि खासतौर से जो लोग कहीं कहीं नौकर हैं, उन्हीं को मखसूस भत्ता दिया जाय, यह मुनासिब नहीं होगा। जो गरानी की बात पहाड़ी जगहों पर है वही करीब करीब बड़े-बड़े शहरों में है। इसलिए सभी मसलों पर गौर करके अगस्त, १९५१ में इसे बन्द कर दिया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि एक ही काम करने वाले और एक ही स्थान पर रहने वाले कुछ अधिकारियों को तो भत्ता मिलता है जैसे धारचूला वगैरह में और जो नौकरी में बाद में गये हैं उनको नहीं मिलता है ?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने जैसा अपने जवाब में कहा, जिनको पहले से मिल रहा था उनका बन्द करना शायद न्याय के मुआफिक नहीं होगा। इसलिए उनको मिल रहा है।

नोट—तारांकित प्रश्न १—३ श्री गेंदासिंह ने पूछे।

श्री गेंदा सिंह----जो बाद में रखे गये और जिनको भत्ता नहीं मिलता है उनको सस्ते गल्ले की दूकानों से गल्ला खरीदने की सुविधा सरकार ने दी है ?

श्री सैयदअली जहीर---सस्ते गल्ले की दूकानें तो सारे सूबे भर में हैं। वहां भी जरूर होंगी।

रामेश्वर-गंगोलीहाट मोटर मार्ग निर्माण योजना

*४---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या रामेश्वर-गंगोलीहाट मोटर मार्ग (जिला अल्मोड़ा) के निर्माण की योजना नवम्बर, दिसम्बर, १९५९ में रद्द कर दी गयी है ? अगर हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)---जी नहीं, कार्य का आगणन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया है जिसके प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ करने का आदेश दिया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---क्या यह सही है कि एक बार टेंडर मांगे गये थे नवम्बर, दिसम्बर में, और टेंडर पड़ जाने के बाद फिर एक भी स्वीकृत नहीं किया गया ?

श्री महावीर सिंह---जब तक केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति न आ जाय तब तक यह सब चीजें कोई माने नहीं रखती हैं।

[१ मार्च, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नहरी क्षेत्र में नलकूपों से नालियां बनवाने की प्रार्थना

*१---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---११ अगस्त, १९५९ के प्रश्न संख्या ६९ के लिखित उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहरों से सींचे जाने वाले क्षेत्रों में भी नलकूप पर बनी एक मील पक्की और एक मील कच्ची गूलों या नालियों के निर्माण की योजना को सम्मिलित करने के हेतु भारत सरकार के सम्मुख सुझाव प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)---जी नहीं।

*२---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री उक्त योजना को लागू करने पर खाद्योत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी इसके भी आंकड़े एकत्रित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---प्रश्न नहीं उठता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मन्त्री जी उस कठिनाई को बताने की कृपा करेंगे जिसके कारण इस सुझाव को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है ?

श्री धर्मसिंह---कैनाल ऐक्ट में यह लिखा हुआ है कि जो नहर की सिंचाई वगैरह के लिए गूलें बनायी जाती हैं वह स्वयं किसान बनाये और दूसरी बात यह है कि अगर बनाने की आवश्यकता भी पड़े तो इसके लिए खर्चा बहुत पड़ेगा जिसके लिए सरकार असमर्थ है।

सिंचाई की छोटी बड़ी योजनायें तथा गंडक व राप्ती नदियों की जलकुण्डी योजनायें

*३---**श्री मदनपांडेय** (जिला गोरखपुर) तथा **श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायगी कि राज्य में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये लघु एवं वृहत सिंचाई योजनाओं पर कितना व्यय किये जाने का अनुमान है तथा किन-किन योजनाओं को प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह—राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय किया जाने वाला धन केन्द्रीय सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के ज्ञात होने पर निश्चित किया जायगा। योजना पर धन निर्धारित होने पर प्राथमिकता का निर्णय हो सकेगा।

*४—**श्री मदन पांडेय** तथा **श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इन योजनाओं के कार्यान्वित किये जाने पर राज्य के वर्तमान सिंचित क्षेत्र में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

श्री धर्मसिंह—सिंचित क्षेत्र की वृद्धि का अनुमान योजनाओं के निश्चय होने पर बतलाया जा सकता है।

*५—**श्री मदन पांडेय** तथा **श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गंडक नदी तथा राप्ती नदी की जलकुंडी योजनाओं के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री धर्म सिंह—अस्थाई प्रस्तावों के आधार पर गंडक नदी योजना का प्रोजेक्ट बनाकर केन्द्रीय सरकार को उनके विचारार्थ भेज दिया गया है। इस योजना पर विस्तृत सर्वेक्षण तथा अन्य प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

बहराइच, गोंडा व बस्ती जिलों में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार बढ़ाने के लिये २ वृहत योजनाएं जलकुंडी अथवा सरजू नहर प्रस्तावित हैं। दोनों योजनाओं पर सर्वे का कार्य प्रगति पर है। सर्वे का कार्य समाप्त होने पर दोनों योजनाओं में से एक निश्चित की जायेगी।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में छोटी और बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिये किसी योजना का प्रारूप तैयार किया गया है और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन को सुझाव दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—वह अभी बता चुके हैं कि उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है।

श्री मदन पांडेय—गंडक नहर के संबंध में जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई रूप रेखा उसकी तैयार हुई है जिसके अनुसार वह किस स्थान पर हमारे उत्तर प्रदेश में आयेगी और किस स्थान से जायेगी और रास्ते में कितनी सिंचाई करती जायगी ?

श्री धर्म सिंह—जहां तक गंडक योजना का सम्बन्ध है वह भारत सरकार के एप्रूवल के लिये भेजी गयी है लेकिन यह पच्छिमी गंडक नहर योजना नैपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके की सिंचाई के लिये है और जहां तक इसकी आबपाशी का संबंध है गोरखपुर, देवरिया से होकर जायेगी और काफी आबपाशी करेगी।

मऊ पॉवर हाउस के लिये ईंटों की खरीद

*६—**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ, पावर हाउस, आजमगढ़ के निर्माण में ईंटों को खरीदने में जो टेण्डर लिये गये थे उसमें कितने रुपये का टेण्डर स्वीकृत किया गया था ?

श्री धर्मसिंह—प्रथम श्रेणी की ईंटों का टेन्डर १८ रु० ४ आने प्रति सहस्त्र के दर का स्वीकृत किया गया था।

*७—**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि खरीदी हुई ईंटों का पेमेन्ट किस हिसाब से किया गया ?

नोट—तारांकित प्रश्न ६–७ श्री देवनारायण भारतीय ने पूछा।

श्री धर्मसिंह—उसी दर से पेमेन्ट भी किया गया।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या १८ रुपये ४ आने का केवल एक ही टेण्डर आया था अथवा इससे कुछ कम और ज्यादा कीमत के भी आये थे ?

श्री धर्म सिंह—एक ही टेण्डर आया था जो सब से कम था।

*८—**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

*९-१०—**श्री भूवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)—[८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ७२-७३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*११-१२—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—[१८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ३९-४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सफीपुर माइनर शारदा कैनाल से नई माइनर निकालने की योजना

*१३—**श्री भीखा लाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में हरदोई ब्रांच सारदा कैनाल के कुलाबा नं० ७७ की जगह पर माइनर निकालने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—जी नहीं।

*१४—**श्री भीखालाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की सफीपुर माइनर शारदा कैनाल के कुलाबा नं० २ अलिफ के स्थान पर नई माइनर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, इसके लिये तखमीना तथा भूमि लेने के कागजात तयार किये जा रहे हैं।

घोसी तहसील के कुछ तालाबों से पानी निकास योजना

*१५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माउरबोझ तराई डीह, धौरिया साथ सुल्तानीपुर-मखमेलपुर सेमरी जमालपुर, गनेश सराय, जगनपुर, भितिया, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के गांवों के तालाबों के पानी की निकासी की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री धर्म सिंह—इन गांवों के तालाबों से पानी निकालने के लिये सात नालों की आवश्यकता होगी। एक नाला बन कर तैयार हो गया है, दूसरे नाले पर कार्य हो रहा है, चार नाले मास्टर प्लान में सम्मिलित कर लिए गए हैं, और एक नाला बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, एक गांव का नाला पूरा हो गया है और दूसरा पूरा नहीं हुआ है तो वह कहां का पूरा नहीं हुआ है ?

श्री धर्म सिंह—जो ओरा ड्रेन कहलाता है वह कार्य समाप्त हो चुका है और दूसरा बसनही ड्रेन पर कार्य हो रहा है।

मौरावां ब्रांच नहर की हिलौली माइनर

*१६—**श्री भीखालाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार उन्नाव जिले में मौरावा ब्राच नहर की हिलौली माइनर की खुदाई के बारे में २४ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि हिलौली माइनर (जिला उन्नाव) की प्रस्तावित हद कितने मील थी और मौके पर कितने मील खोदी गयी ?

श्री गिरधारीलाल—प्रस्तावित हद ७ मील २ फर्लांग थी, और मौके पर उतनी ही खुद चुकी है।

दोहरीघाट पम्प नहर तथा नलकूप की सिंचाई दर कम करने की प्रार्थना

*१७—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दोहरी घाट पम्प नहर तथा नलकूप की सिंचाई दर को आधा करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि दोहरी घाट कैनाल से जो किसान पानी लेते हैं वह पच्छिमी जिलों के किसानों से कम पानी लेते हैं और जो रेट पच्छिमी जिलों में किसानों से लिया जाता है यानी ३२ रुपये एकड़ ईख का और १६ रुपये गेहूं का, वही रेट दोहरी घाट कैनाल के भी किसानों से वसूल किया जाता है ?

श्री धर्मसिंह—इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं है कि कहां पर पानी ज्यादा लिया जाता है। शायद पच्छिमी जिलों में ज्यादा लिया जाता है। जहां तक रेट का संबंध है वह तो आटोमेटिकली ही पम्पिंग कैनाल इत्यादि से जो पानी लिया जाता है उसमें कुछ रेट्स का डिफरेन्स होता है।

दोहरीघाट पम्प नहर की बाउडीह उपशाखा के निर्माण का विरोध

*१८—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ११-८-५९ को प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ ११ गांव प्रधानों के हस्ताक्षर से दोहरी-घाट पम्प नहर, जिला आजमगढ़, से निकलने वाली बाउडीह उपशाखा के विरोध में कोई पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त नहर का बनना आवश्यक है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी छानबीन किस अधिकारी द्वारा करायी गयी है ?

श्री धर्मसिंह—सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उस क्षेत्र में जहां हर दस बीघे पर कुंए बने हुए हैं वहां इस नहर के बनाने का विरोध किया गया है ?

श्री धर्मसिंह—विरोध अवश्य किया गया था लेकिन वे शिकायतें निर्मूल पायी गयीं और उस क्षेत्र के लोगों की मांग है कि वहां पर पानी की आवश्यकता है और इसलिये उन शिकायतों की तहकीकात करने के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया गया।

गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग में मजदूरों की छटनी

*१९—**श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग में काम करने वाले कितने मजदूरों को अभियंता ने गत अक्तूबर मास में नोटिस देकर निकाल दिया है और किन कारणों से उनको ऐसा करना पड़ा ?

श्री महावीरसिंह—अक्तूबर मास में गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग से किसी भी व्यक्ति को नहीं निकाला गया।

श्री अमरनाथ—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अक्तूबर में नहीं तो किस महीने में निकाला गया और उसका कारण क्या है ?

श्री महावीरसिंह—नवम्बर और दिसम्बर में; और कारण-वर्क लोड की कमी है। वर्क चार्ज तब तक रहता है जब तक काम रहता है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में काम बहुत कम हो रहा है इस इलाके में ?

श्री महावीरसिंह—ये स्पेशल वर्क के लिये मुकर्रर किये जाते हैं। जब वह खत्म हो जाता है तो या तो उनका ट्रान्सफर कर दिया जाता है या अगर जरूरत नहीं होती तो छुट्टी कर दी जाती है।

श्री अमरनाथ—जिन मजदूरों की छुट्टी हो गयी है क्या उनको दूसरी जगह काम दिया जायेगा ?

श्री महावीरसिंह—कुछ को तो काम पर लगा लिया गया है और जो नहीं लगाये जा सकते हैं उनको अन्दाजा बता दिया गया है कि वे नहीं लगाये जा सकेंगे।

श्री राजनारायण—जिन मजदूरों को निकाला गया है वह कितने समय पूर्व से वहां काम करते थे ?

श्री महावीरसिंह—४ साल से लेकर एक महीने पहले तक के मजदूर थे।

श्री राजनारायण—४ साल पूर्व से जो काम कर रहे थे वे कितने थे ?

श्री महावीरसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस काम के खत्म होने के बाद जो मजदूर निकाल दिये जाते हैं, क्या सरकार की ऐसी नीति है कि दूसरा काम शुरू होने पर उनको प्रायरिटी दी जाय ?

श्री महावीरसिंह—जी हां, प्रायरिटी दी जाती है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इस बात की जानकारी करायेगी कि दो वर्ष से तीन वर्ष तक के भी मजदूर वहां पर हैं और उनको नहीं निकाला गया है तो चार वर्ष के मजदूरों को क्यों निकाल दिया गया ?

श्री महावीरसिंह—ऐसा नहीं होता है। जो पहले आता है और जिसकी सर्विस ज्यादा दिन की होती है उसको सब से बाद में निकाला जाता है। सब से कम सर्विस वाले को सब से पहले निकाला जाता है।

*२०-२१—**श्री अमर नाथ**—[२२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

वाराणसी, गोरखपुर तथा मेरठ कमिश्नरियों में सिंचाई के साधन

*२२—**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी और गोरखपुर कमिश्नरी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूरी होने पर जिलेवार कितने एकड़ जमीन सरकारी नल कूपों द्वारा सिंचित होने लगी थी ?

श्री धर्मसिंह---प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त (१९५५-५६) में गोरखपुर तथा वाराणसी कमिश्नरियों के जिलों में जो भूमि सींची जाने लगी थी उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३४३ पर)।

*२३--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ कमिश्नरी में इस समय कितनी मील नहरें हैं?

श्री धर्मसिंह---३,५८४ मील।

*२४---**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में गोरखपुर व वाराणसी कमिश्नरी के लिये अलग-अलग छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये कितने रुपये का प्लान है?

श्री धर्मसिंह---राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय किया जाने वाला धन केंद्रीय सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के ज्ञात होने पर निश्चित किया जायेगा।

श्री प्रयागनारायण डिप्टी चीफ इंजीनियर द्वारा गोरखपुर के सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार की जांच

*२५---**श्री अब्दुल रऊफ लारी**---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पी०एच० पंजाबी ने गोरखपुर के सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार की जो शिकायत दिसम्बर, ५८ से पहले की थी और उसकी जो जांच श्री प्रयागनारायण, डिप्टी चीफ इंजीनियर ने दिसम्बर, १९५८ में की थी उस जांच की रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या-क्या कार्यवाही की है?

श्री धर्मसिंह---यह बताना तो उचित नहीं है कि श्री प्रयागनारायण ने अपनी रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य बातें लिखी थीं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कुछ अधिकारियों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की गयी। दो अधिकारियों के बारे में वैभागिक कार्यवाही की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है और विचाराधीन है। एक अधिकारी के बारे में अभी वैभागिक कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर बतायेंगे कि वह कौन-सी वजह है जिसक कारण वह बातें नहीं बतायी जा सकती हैं जो प्रयाग नारायण जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी हैं?

श्री धर्मसिंह---सरकार उनकी छानबीन कर रही है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं। जब तक हम यह जान नहीं लें कि रिपोर्ट में कौन-कौन सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी तहकीकात और करना है और किन पर कार्यवाही करना है तब तक उनके बारे में कुछ बताना कठिन है।

श्री देवनारायण भारतीय---सन् १९५८ में श्री प्रयागनारायण ने रिपोर्ट की थी और अब सन् १९६० चल रहा है, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि अभी कितना समय वह इसकी जांच करने में और लगायेगी?

श्री धर्म सिंह---मैंने अभी उत्तर में बताया है कि यह अभी सरकार के विचाराधीन है। रिपोर्ट आ गयी है और अब जल्द ही उस पर कार्यवाही होगी।

श्री गेंदा सिंह---क्या यह सही है कि श्री प्रयाग नारायण जी की रिपोर्ट में कोई जिक्र कुछ आफिसरों के इस्कैन्डिल से है? अगर हों, तो क्या उन आफिसरों को सुअत्तिल कर दिया गया है या वे अपनी नौकरियों में हैं और उनकी जांच हो रही है?

श्री धर्मसिंह---दो अफसरों को मुअत्तल किया गया है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि श्री प्रयागनारायण जी जो जांच करने गये थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, तो उसमें मुख्य-मुख्य भ्रष्टाचार के क्या आरोप हैं ?

श्री धर्मसिंह---भ्रष्टाचार तो एक बहुत व्यापक शब्द है,उसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---उसमें जो शिकायतें मुख्य-मुख्य हों भ्रष्टाचार की, उनको बता दीजिये ।

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन आरोपों की उन्होंने जांच की, उनमें सही कौन-सी पायी गयीं ?

श्री धर्मसिंह---मैंने पहले ही निवेदन किया कि अभी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और उनकी जांच कर रही है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० के आखिर तक इस जांच कमेटी की रिपोर्ट इस सदन में रख दी जायेगी ?

श्री धर्म सिंह---उसको तो पहले हम विचार लें, उसके बाद इस प्रश्न पर सोचा जा सकता है ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं, उनमें कुछ शिकायतें किसी उच्च अधिकारी के बारे में भी थीं, या नीचे के अधिकारियों की ही थीं ?

श्री धर्मसिंह---जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया नीचे के अधिकारियों के बारे में ही थीं, खासतौर से । उनको मुअत्तल कर दिया गया है ।

श्री राजनारायण---स्पष्ट प्रश्न हमारा यह है कि वे आरोप किन अधिकारियों पर लगाये गये और वे क्या-क्या हैं ?

श्री धर्म सिंह---इसके लिये तो मैंने अभी कहा कि नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसे प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में पहले से ही माननीय मंत्री जी को सजग होकर आना चाहिये कि रिपोर्ट में क्या है, मुख्य आरोप क्या हैं । अगर इन सबके लिये भी नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी तो यह मुनासिब नहीं होगा ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या यह सही है कि जिनके द्वारा भ्रष्टाचार की सूचना सरकार को दी गयी थी, वे आदमी बरखास्त कर दिये गये थे ?

श्री धर्मसिंह---अगर आपका अभिप्राय पंजाबी से है तो उसको मुअत्तल किया गया है, बरखास्त नहीं किया गया ।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन आरोपों के आधार पर यह जांच हुई है, अब तक सरकार के पास कितने रुपये के आर्थिक गोल-माल की सूचना है ?

श्री धर्मसिंह---मैंने निवेदन किया कि यह प्रश्न अभी विचाराधीन है, इसको अभी एग्जामिन किया जा रहा है ।

श्री राजनारायण---जब यह प्रश्न विचाराधीन है तो सरकार इसका कारण स्पष्ट करेगी कि पंजाबी क्यों मुअत्तल किया गया ?

श्री धर्मसिंह---क्योंकि उसके खिलाफ भी बहुत से चार्जेज थे ।

श्री उपाध्यक्ष---दूसरे प्रकार के थे ।

श्री राजनारायण---प्रश्नकर्ता ने स्पष्ट प्रश्न किया था कि १९५८ में पंजाबी ने सिंचाई विभाग के आदमियों के विरुद्ध आरोप लगाये, तो जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गये उनके सम्बन्ध में जो जांच हुई उस रिपोर्ट पर सरकार अब तक विचार कर रही है और जिसने आरोप लगाया उसको मुअत्तल कर दिया, इसका क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ भी शिकायतें थीं ।

श्री राजनारायण---पंजाबी के विरुद्ध अगर शिकायतें आयी थीं तो क्या सरकार ने उनकी भी जांच करायी थी ?

श्री गिरधारीलाल---मैंने तो इस प्रश्न पर पहले भी रोशनी डाली थी । पंजाबी को इस शिकायत करने की वजह से सस्पेंड नहीं किया । पंजाबी के कैरेक्टर रोल में बहुत-सी ऐडवर्स एंट्रीज भरी पड़ी हैं । पहले भी उसे कई बार सर्विस से अलग किया गया है । पर लोगों की सिफारिश से फिर रख लिया गया । फिर उसने बहुत-सा झगड़ा खड़ा किया और जिस वक्त ये शिकायतें चल रही थीं उस वक्त श्री प्रयाग नारायण ने सिफारिश की थी कि इस आदमी की भी सर्विसेज टर्मिनेट करनी चाहिए, लेकिन बजाय टर्मिनेट करने के उसको सस्पेंड करके तमाम चीजों की इन्क्वायरी बराबर हो रही है ।

यू० पी० हाइडल यूनियन की क्वार्टरों के लिये प्रार्थना

*२६---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० हाइडिल यूनियन ने सन् १९५८ और १९५९ में सरकार से जो प्रार्थना की है कि सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर्स बनाये जायें उसमें क्या हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह---वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रश्न को दिये करीब २ महीने हो गये, अब तक सूचना एकत्रित नहीं हो सकी, इसके कौन-कौन से कारण हैं और जब सूचना एकत्रित नहीं हुई थी तो इस प्रश्न को आज ही रख दिया गया, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी ?

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्नों को रखने का तो अध्यक्ष का कार्य है, वह नियत तारीख को रखते हैं । मंत्री जी पहले भाग का उत्तर दें ।

श्री धर्मसिंह---जहां तक इस सूचना का सम्बन्ध है यह बहुत से डिवीजंस से संबंधित है, आने में देरी लग रही है और मंगाने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है ।

रिहन्द डैम की क्वेरी के वर्कशाप के मजदूर

*२७---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द डैम की क्वेरी के वर्कशाप में कितने मजदूर हैं और कितने दिन से काम कर रहे हैं ? क्या इनको छुट्टी दी जाती है ? यदि हां, तो साल में कितने दिन की दी जाती है ?

श्री धर्मसिंह---रिहन्द बांध में क्वेरी की वर्कशाप सरकारी नहीं है । यह सर्वश्री हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी के अधीन है । वांछित विवरण का रिकार्ड सरकार के पास नहीं रक्खा जाता ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसको सरकार के पास न रखन का कारण क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने कहा कि एक कम्पनी है, उसके कर्मचारी हैं।

श्री ऊदल---काम तो सरकार की तरफ से हो रहा है। तो सरकार के पास उसका ब्योरा होना चाहिए, वह मैं जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---कोई प्राइवेट कंट्रैक्टर होगा, उसका ब्योरा सरकार क्यों रखेगी ?

श्री झारखंडे राय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के पास जो सूचना है उसके अनुसार उसको इस बात का पता है कि इस क्वेरी पर काम करने वाले मजदूरों से स्लेव लेबर की तरह से काम लिया जाता है ?

श्री गिरधारी लाल---इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री राजनारायण---एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि चाहे सरकार से संबंध हो या न हो अगर प्रश्न किया गया है तो जानकारी प्राप्त करके सदन को सूचित करना सरकार का कर्तव्य है---एक म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में था....

श्री उपाध्यक्ष---आपने जिस व्यवस्था का हवाला दिया उसका पूरा ब्योरा दीजिये।

श्री राजनारायण---मेरा इतना ही निवेदन है कि सरकार की दिक्कत क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष---मैंने तो प्रश्न ही स्वीकृत नहीं किया।

श्री राजनारायण---मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं।

क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि क्वेरी में जितने मजदूर वर्कशाप में काम कर रहे हैं उनकी सूचना कन्ट्रैक्टर से हासिल करने में सरकार को क्या दिक्कत थी ?

श्री गिरधारीलाल---हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है।

माताटीला बांध योजना

*२८---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि माताटीला बांध की योजना को कार्यान्वित करने का कार्य कब से शुरू हो जायेगा और इस योजना में कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री धर्मसिंह---माताटीला बांध योजना पर १९५२ में कार्य शुरू किया गया था। इस योजना में लगभग १२ करोड़ रुपया खर्च होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ में जो काम शुरू किया गया था वह बीच में बन्द कर दिया गया था और अगर बन्द कर दिया गया था तो कब बन्द किया गया था और फिर कब से शुरू हुआ ?

श्री धर्मसिंह---शुरूआत से इसमें तो थोड़ी बहुत काम होता ही रहा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें जो टूट-फूट हो गयी थी उसकी मरम्मत फिर शुरू हो गयी है ?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं इस तरह की बातें नहीं हुई थीं। थोड़ी सी क्षति हुई थी उसकी मरम्मत कर दी गयी थी और कोई खास नुकसान नहीं हुआ था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि पिछले ८ वर्षों में इसमें कितना काम हो चुका है और कितना रुपया खर्च हो गया है ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक काम का सम्बन्ध है, वह करीब-करीब पूरा हो गया है, थोड़ा सा ही बाकी है। कितना पैसा अब तक खर्च हो चुका है इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

इलाहाबाद फर्म के विष्णु चन्द्र राधिकाप्रसाद ठेकेदार का भुगतान रुकना

*२९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण विभाग द्वारा यह आदेश जारी है कि निर्माण विभाग के द्वारा कार्य होने के उपरान्त उस कार्य का पूरा भुगतान एक माह के अन्दर ठेकेदार को कर दिया जाय ?

श्री महावीर सिंह—जी नहीं, यह समय दो माह है ।

*३०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—इलाहाबाद फर्म के विष्णुचन्द्र राधिकाप्रसाद ठेकेदार जिनका कार्य पत्थर के ढोंके की सप्लाई जिला बलिया में १९५८ जून को समाप्त हो गया था उसका भुगतान आज तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह—कार्य समाप्ति की तिथि ११-११-५७ थी जिसे २-२-५८ तक बढ़ाने पर भी कार्य पूरा नहीं हुआ । ठेकेदार ने ३१-१२-५८ तक समय वृद्धि चाही जो अनिर्णीत थी तथा इस तिथि तक कुल ७५ प्रतिशत कार्य ही ठेकेदार ने किया । इस व्यक्ति को over payment हो जाने की भी आपत्ति Tech. Audit Cell ने की है जिससे अन्तिम भुगतान रुका है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मई, १९५८ में डिपार्टमेंट द्वारा जो ठेकेदार से काम रोक दिया गया था उसके लिये क्या कोई आज्ञा दी गई थी कि काम रोक दिया जाय ?

श्री महावीर सिंह—ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि उस ठेकेदार का काम पूरा हो गया था लेकिन उसका `मेन्ट अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरसिंह—यह सही नहीं है । उसने पूरा काम नहीं किया, जैसा कि पहले बताया गया ७५ फीसदी काम ही वह कर सका ।

*३१-३३—श्री रामलाल (जिला बस्ती)—[१८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ११५-११७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३४-३५—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[२२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

फोटोग्राफर संघ की मांगें

*३६—श्री ऊदल—क्या सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों से तारीख १६-१-६० को उत्तर प्रदेश व्यावसायिक फोटोग्राफर संघ का कोई प्रतिनिधि मंडल मिला था और उसने बिक्री टैक्स के सम्बन्ध में एक पत्रक दिया था ? यदि हां, तो पत्रक में क्या-क्या मांगें थीं ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री महमूद अली खां)—जी हां । पत्रक में निम्नलिखित ३ मांगें की गई हैं:—

(१) फोटो ग्राफरों द्वारा बेंचे गये फोटोग्राफ्स (photographs) को वर्तमान २ प्रतिशत के बिक्री-कर से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाय ।

(२) फोटोग्राफी के सामान पर लग रहे ७ प्रतिशत के कर को कम कर दिया जाय, तथा

(३) फोटोग्राफी के सामान पर बिक्री-कर सेन्ट्रलाइज्ड (centralised) हो और केवल इम्पोर्टर (importer) पर ही लगाया जाय ।

*३७--श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में फोटो व्यवसाय में कितने लोगों पर किस रेट से बिक्री-कर लगाया गया है तथा कैमरा व फिल्म पर किस रेट से बिक्री-कर लगाया गया है ?

श्री महमूद अली खां--कैमरा और फिल्म्स पर इस समय ७ प्रतिशत की दर से एक सूत्री (Single point) बिक्री-कर लगता है। व्यापारियों द्वारा बेचे गये फोटोग्राफरों पर २ प्रतिशत की दर से बिक्री-कर लगता है। ऐसे फोटोग्राफरों की संख्या, जिन पर बिक्री-कर लगता हो तथा उन पर लगाये गये कर की धनराशि, साल ब साल अलग-अलग है।

श्री ऊदल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस पर अभी तक क्या फैसला हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह दरख्वास्त १६ जनवरी को आई और अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्री ऊदल--क्या मंत्री जी २ परसेंट बिक्री-कर को मुक्त करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--विचार हो रहा है।

श्री ऊदल--क्या मंत्री जी ७ प्रतिशत टैक्स को कम करने की कृपा करगे ?

श्री सैयद अली जहीर--यह टैक्स गवर्नमेंट आफ इंडिया के सुझाव पर है और करीब-करीब हर स्टेट में एक-सा है। कम करने की वजह नहीं मालूम होती।

*३८--कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--[२२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*३९-४०--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[२२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*४१--श्री गेंदा सिंह--[८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ४७ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*४२-४४--श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन--[८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ४८-५० के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*४५-४७--श्री गज्जूराम--[८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ५१-५३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*४८-४९--कुंवर श्रीपाल सिंह--[८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ५४-५५ के किया गया।]

*५०-५१--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--[८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ५६-५७ क अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*५२-५३--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--[८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ५८-५९ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*५४-५५--श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--[८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ६०-६१ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*५६--श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा)--[८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ५६ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

कटिया भिखारीपुर के निकट शारदा नहर का कट जाना

*५७--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में शारदा नहर (उन्नाव डिवीजन) कोठी कटिया भिखारीपुर के पास कट जाने से किसानों का कितना नुकसान हुआ ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५८--श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह नहर कटने का क्या कारण था और क्या सरकार जिन व्यक्तियों को इससे हानि पहुंची है उन्हें सहायता देने का विचार कर रही है तथा क्या सरकार ने उन लोगों के सिंचाई तथा जमीन दोनों प्रकार के लगान माफ करने का आदेश जारी किया है ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्रित की जा रही है।

महमूदपुर के अग्नि पीड़ितों पर जंगल विभाग द्वारा मुकदमा

*५९--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५८-५९ में देवरिया फारेस्ट रेंज के निकटवर्ती ग्राम महमूदपुर, तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत में आग लगने पर मंजूर की हुई लकड़ी दी गई या नहीं ? यदि हां, तो कुल कितने व्यक्तियों को कितने समय बाद ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां। ४३ अग्नि-पीड़ितों को लगभग एक महीने में लकड़ी दी गई।

*६०--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त ग्रामवासियों पर जंगल विभाग द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी द्वारा जांच की जा चुकी है ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी की रिपोर्ट क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां। इस रिपोर्ट का ब्योरा बताना जनहित में उचित नहीं होगा, किन्तु इस रिपोर्ट पर वन विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है।

*६१--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--[१६ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

हस्तिनापुर पावर हाउस के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*६२--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, सिंचाई वर्क शाप सर्किल, कानपुर के पास अगस्त, सितम्बर, १९५९ में पावर हाउस हस्तिनापुर, जिला मेरठ के अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र आये हैं ? अगर हां, तो वे क्या हैं और उनमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, अगस्त और सितम्बर, १९५९ में चार शिकायती-पत्र हस्तिनापुर पावर हाउस के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त हुए। नके भेजने वालों के नाम तथा इनमें लिखी हुई शिकायतों का संक्षिप्त वर्णन संलग्न है।

उपरोक्त शिकायती पत्रों पर अधिशासी अभियंता, मेरठ तथा पुलिस ने भी जांच की और सब शिकायतों को निराधार पाया। इनकी यह भी राय है कि यह शिकायतें इंजेक्टर्स के चोरी के जुर्म से बचने के लिये पेश-बंदियां थीं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३४४ पर।)

*६३---**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**---क्या इस सम्बध में पहले इग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मेरठ सर्किल के अधिशासी अभियन्ता इर्रीगेशन डिवीजन, मेरठ के पास शिकायती-पत्र, दिनांक १०-७-५९ को भी भेजा गया था? अगर हां, तो वह क्या था और उसमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री धर्मसिंह---इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता वर्कशाप, मेरठ के पास कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। अतः वह क्या था और उसमें क्या कार्यवाही हुई, इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---यह देखते हुए कि कोई भी औरत अपने चरित्र को षित करते हुये एक इंजीनियर के खिलाफ आरोप नहीं लगा सकती, क्या मंत्री जी सी० आई० डी० से इसकी जांच करावेंगे?

श्री धर्मसिंह---सी० आई० डी० द्वारा जांच करा सकते हैं या नहीं, यह ला डिपार्टमेंट से पूछना होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या सरकार इसकी और जांच करावेगी?

श्री धर्मसिंह---यह जरूरी नहीं है। सब शिकायतें निराधार पाई गयीं।

श्री झारखंडे राय---यह जांच किन सज्जन ने की है?

श्री धर्मसिंह---एग्जीक्यूटिव जीनियर साहेब ने की थी और पुलिस द्वारा भी कराई गई।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या स बात की शिकायत सरकार के पास आई कि जांच करने वाले सज्जन पर दबाव डाला गया था?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

वन विभाग बांदा क्षेत्र में तेंदू के पत्तों व फलदार वृक्षों से आय तथा सड़कों का निर्माण

*६४---**श्री जगपतिसिंह** (जिला बांदा)---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा डिवीजन, वन विभाग में बीड़ी के लि तेंदू के पत्तों के नीलाम से १९५७-५८ व १९५९ में अलग-अलग हर साल कितनी आमदनी हुई?

श्री महमूद अली खां---वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६५---**श्री जगपतिसिंह**---क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में जमींदारी विनाश के पहले कितना रकबा बन विभाग का था और अब कितना है तथा विभाग ने आमदनी के लिये कितने फलदार वृक्ष लगाये?

श्री महमूद अली खां—

		एकड़
(१)	जमींदारी विनाश के पहले क्षेत्रफल	७५,२९०
(२)	जमींदारी विनाश के बाद क्षेत्रफल	१,७४,९११
(३)	लगाये गये फलदार वृक्षों की ठीक संख्या नहीं दी जा सकती क्यों कि विभाग द्वारा ऐसे वृक्षों का वृक्षारोपण अलग से नहीं किया जाता।	

*६६—श्री जगपतिसिंह—क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वन विभाग से कितने नये मार्गों का निर्माण कराया तथा कितने जलाशय बनाये ?

श्री महमूद अली खां—१९५६-५७ से १९५८-५९ तक वन विभाग ने ८२३ मील लम्बी सड़क बनवाई किन्तु कोई जलाशय नहीं बनवाया गया।

श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी और उसे वह सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे अफसोस है कि यह सूचना अभी तक नहीं आ सकी है। मैं उसे जल्द मंगाने की कोशिश करूंगा और माननीय सदस्या के पास, अगर वह चाहेंगी, भेज दूंगा।

श्रीमती सियादुलारी—जमींदारी विनाश के बाद जमीन बढ़ गई तो क्या माननीय मंत्री जी वहां आम, कटहल, नीबू, आदि के पेड़ लगवाने की और उनके संरक्षण की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—फलदार दरख्त लगाने की प्राइमरी ड्यूटी कृषि विभाग की है। जहां हम मुनासिब समझते हैं हम भी लगाते हैं। बहरहाल जरूरी दरख्त लगाये जा रहे हैं।

श्रीमती सियादुलारी—वहां सड़क के साथ जलाशय क्यों नहीं बनाये गये जब कि मजदूरों को ४ मील तक पीने का पानी का कोई साधन नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर—वन विभाग तो खाली सड़कें बनाता है अपने काम के लिये।

श्री गेंदासिंह—क्या वन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग को फलदार वृक्ष लगाने और पीने के पानी के कुएं बनाने की मनाही है ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

बागेश्वर-कपकोट मार्ग पर पुल

*६७—श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा में बागेश्वर-कपकोट पैदल मार्ग में कितने लोहे व लकड़ी के पुल हैं ?

श्री गिरधारी लाल—बागेश्वर-कपकोट पैदल मार्ग पर ४ लोहे के और ५ लकड़ी के पुल हैं।

इटावा में यमुना के राजघाट पर इंजन से नाव चलाने की योजना

*६८—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा में यमुना के राजघाट पर इंजन द्वारा नाव चलाने की व्यवस्था सन् ५८ से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां ।

*६९—श्री भुवनेश भूषण शर्मा (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी कि अभी तक इंजन से नावें क्यों नहीं चलाई गयीं ?

श्री गिरधारीलाल—ढांचा स्वीकृत न होने के कारण नावें अभी तक नहीं बन सकी हैं। अब वह ढांचा स्वीकृत हो गया है और आशा है कि नावें इस स्वीकृत ढांचे के अनुसार जल्दी बन कर तैयार हो जावेंगी।

चन्द्रप्रभा नहर की शाखा को जमानिया से गौरा ले जाने का विरोध

*७०—श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में चन्द्रप्रभा नहर की कोई शाखा जमानिया से ताजपुर, राघोपुर, सब्बलपुर, देवरिया, बरनपुर, डूहिया तथा टारी घाट होते हुए गउरा ग्राम तक ले जाने की सरकार की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां ।

*७१—श्री पब्बर राम (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या उपरोक्त गांवों के सभापतियों द्वारा कोई विरोध-पत्र माननीय मंत्री जी या सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां।

विरोध पत्र पर रिपोर्ट मांगी गई है।

माताटीला बांध से प्रभावित गांवों को मुआवजा

*७२—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध, जिला झांसी से प्रभावित उत्तर प्रदेश के किन-किन गांवों को कितना-कितना रुपया सभी प्रकार के मुआवजा में दिया जाना है और वह कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री धर्म सिंह—जिन-जिन ग्रामों में जितना-जितना मुआवजा देना शेष है उसकी सूचना संलग्न है आशा है कि मार्च, १९६० तक कुल मुआवजा दे दिया जावेगा ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३४५ पर।)

*७३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त गांव वालों ने यह मांग की थी कि मुआवजा उसी रेट से बनाया जाय जिस रेट से कपड़ेर खुर्द झांसी का बांटा गया है ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं की गई ।

*७४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ७ अगस्त, १९५८ को सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा माता टीला बांध पर गांव वालों की सभा में की गई घोषणा के अनुसार मुआवजे की दरें बढ़ा दी गयी हैं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ?

श्री धर्मसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी के पास २१-४-५८ को उक्त १२ ग्रामों के किसानों की ओर से प्रार्थना-पत्र आया था कि कपड़ेर खुर्द के ही हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह—सूचना चाहिये।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार को पता है कि जिन किसानों को मुआवजा नहीं दिया है उनसे मालगुजारी वसूल की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—उनसे मालगुजारी न वसूल करने की हिदायत कर दी गई है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार को ज्ञात है कि इन लोगों की हाईकोर्ट के द्वारा सरकार के विरुद्ध रिट स्वीकार हो चुका है ?

श्री धर्मसिंह—सूचना की आवश्यकता है ।

श्री ऊदल—यह जमीन माताटीला बांध में कब ली गई थी ?

श्री धर्मसिंह—नोटिस चाहिये ।

*७५-७६—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—[१८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न २०२-२०३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

छिबरामऊ क्षेत्र में गलत गूल बनने की शिकायत

*७७—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला फर्रुखाबाद क्षेत्र छिबरामऊ, कूप नं० ८ की एक गलत तरीके से गूल बनवाने की ऐसी शिकायत उन्हें मिली है कि एक काश्तकार के बने हुये चक और खेतों को काटकर गूल बनवाई गई ? अगर हां, तो उस पर अबतक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री धर्म सिंह—जी हां, एक प्रार्थना-पत्र राजकीय नलकूप नं० ८ छिबरामऊ क्षेत्र की गूल के निर्माण के विषय में प्राप्त हुआ था। मामले की जांच मौके पर की गई तथा गूल ठीक बनी पायी गयी एवं प्रार्थी को तद्नुसार सूचित कर दिया गया।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच विभाग के किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ?

श्री धर्मसिंह—अधिशासी अभियंता द्वारा की गयी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि किसानों न गूल की शिकायत की थी तो उस शिकायत को दूर करने में सरकार को दिक्कत क्या थी ?

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने बताया कि गूलों के बारे में जांच करायी गयी लेकिन शिकायत ठीक निकली।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—यह शिकायत काश्तकारों ने की थी, और गलत गूल से तकलीफ काश्तकारों को ही होती है, फिर उसको ठीक क्यों नहीं कराया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने बताया कि गूल ठीक थी ।

श्री गौरीशंकर राय—गूल ठीक या गलत होने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता की ही होती है, फिर उससे ही जांच क्यों करायी गयी ?

श्री धर्म सिंह—अधिशासी अभियन्ता ने सभी बातों की जांच की और उसने सभी बातों को ठीक पाया।

गोरखपुर वन विभाग से संबंधित नियुक्तियां, लकड़ी की बिक्री तथा लकड़ी की चोरी के मुकदमें

*७८—श्री अमरनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर के वनाधीश के पास इस वित्तीय वर्ष में कुल कितने प्रार्थना-पत्र वन विभाग में काम करने के लिये अलग-अलग पदों से सम्बन्धित आये और उनमें अलग-अलग पदों पर कितने व्यक्ति लिये गये ?

श्री महमूद अली खां—इस वित्तीय वर्ष में गोरखपुर के वनाधीश के पास अलग-अलग पदों के लिये कुल निम्नलिखित प्रार्थना-पत्र आये

(१) फारेस्ट गार्ड	.. ..	३
(२) टोंगिया टीचर	.. ..	१
(३) मोहर्रिर		२७

इसमें गोरखपुर रोजगार दफ्तर से भेजें गये व्यक्ति भी शामिल हैं।

(४) किसी भी पद के लिये	.. ..	१७
योग	..	४८

केवल दो व्यक्ति मुहर्रिर को पद पर नियुक्त किये गये।

*७९—श्री अमरनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के वन विभाग के अलग-अलग रेंजों में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कितने लागत की लकड़ी बिकी ?

श्री महमूद अली खां—गोरखपुर वन खंड के हर एक रेंज में वर्तमान वित्तीय वर्ष (जनवरी, १९६० तक) कुल निम्नलिखित लागत की लकड़ी बेची गयी :—

क्रम सं०	नाम रेन्ज		लकड़ी का विक्रय मूल्य (रुपयों में)
१	तिलकोनियां	.. ..	४,०६,०००·००
२	बांकी	..	२,८७,०००·००
३	फरेन्दा	..	१०,०३,२८०·००
४	पकड़ी	..	५,१७,८५०·००
५	लक्ष्मीपुर	..	६,०३,९५०·००
६	चौक	..	१५,६५,१००·००
७	मधौलिया	..	६,६६,७५०·००
८	निचलौल	..	५२,६००·००
९	ट्राम्बे	..	—
	योग	..	५१,०२,५३०·००

*८०—श्री अमरनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के बन विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कितने मुकदमें बनों में लकड़ी चोरी करने वालों पर चलाये गये और उनमें कितने व्यक्ति दंडित किये गये ?

श्री महमूद अली खां—मुकदमों की संख्या (जनवरी, १९६० तक) .. २६८
अपराधियों की संख्या (जनवरी, १९६० तक) .. ३४४।

श्री अमर नाथ—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो ४८ प्रार्थना-पत्र आये उनमें से हरिजन कितने लिये गये तथा यह लोग किस आधार पर लिये गये ?

श्री सैयद अली जहीर—क्योंकि यह सवाल में पूछा नहीं गया था कि उनमें हरिजन कितने थे, इसलिये वह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। दूसरे सवाल के बारे में जाहिर है कि १७ दरख्वास्तें आयी थीं और मुहर्रिर के लिये २ की जरूरत थी, इसलिये दो रखे गये। खयाल यह है कि योग्यता के आधार पर ही रखे गये होंगे।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वनाधीश शब्द किस अंग्रेजी शब्द का अनुवाद है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह गालिबन डी० एफ० ओ० का है।

श्री अमरनाथ—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और कितनी लागत की लकड़ी चोरी गयी और क्या इस चोरी के बारे में कोई शिकायत चौक के रेंजर के खिलाफ भी आयी है ? यदि आयी है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, चौक रेंजर के खिलाफ कोई शिकायत आयी या नहीं आयी, यह तो नहीं बतला सकता क्योंकि इसका सम्बन्ध इस सवाल से है नहीं, लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ और मुकदमें भी चलाये गये जिनकी संख्या ११७ है और जिसमें १५८ आदमियों को सजा हुई। लेकिन यह तो गलततौर पर चोरी करने, गलततौर पर सड़क का इस्तेमाल करने, वहां इल्लीसिट शूटिंग करने, गलततौर पर जानवरों को चराने तथा जंगलात की जमीन का इनक्रोचमेंट करके उस पर कब्जा कर लेने आदि के तमाम इल्जामात थे और उसमें १५८ आदमियों को सजा हुई।

प्रतापगढ़ वन विभाग द्वारा पेड़ों का नीलाम तथा वृक्षारोपण

*८१—श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला प्रतापगढ़ में फारेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में कितने पेड़ नीलाम हुये और कितने नये लगाये गये ?

श्री सैयद अली जहीर—नीलाम किये गये पेड़ों की संख्या .. ८४
लगाये गये नये वृक्षों की संख्या .. २,७०६।

महाराजगंज में छोटी सरजू पर पुल की आवश्यकता

*८२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला अन्तरिम परिषद् ने जुलाई, १९५९ में कोई प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है कि जिले के महाराजगंज नामक कस्बे में छोटी सरजू नदी पर पुल का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है और सरकार इसका निर्माण कराये ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री महावीरसिंह—प्रथम भाग (जिला अन्तरिम परिषद् का जुलाई) १९५९ का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*८३—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त पुल के निर्माण की योजना कई वर्षों से प्रदेश सरकार के विचाराधीन है और प्रदेश सरकार ने उक्त पुल के निमित्त व्यय आदि के लिये तखमीना (Estimate) गत वर्ष आजमगढ़ के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता से मांगा था ? यदि हां, तो कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री महावीरसिंह—प्रथम भाग—कथित पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) जिला नियोजन समिति तथा अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच पत्र-व्यवहार हुआ था। यह ज्ञात हुआ कि पुल की अनुमानित लागत एक लाख रुपये के लगभग होगी जिसका सही तखमीना बनाने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता होगी चूंकि इस समय इस योजना को कार्यान्वित करना सरकार के लिये सम्भव नहीं है अतः कार्य का तखमीना नहीं बनाया गया।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथ राय--माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वह सही है कि दिनांक २६ दिसम्बर, १९५७ को एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया था कि अधिशासी अभियन्ता आजमगढ़ के पुल की डिजाइन बनाने के लिये लिखा गया है और रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो अब जो इस समय उत्तर दिया गया है कि इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जायगा, इसका क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह--यह एक लाख से अधिक का कार्य है और एक लाख से अधिक का कार्य होने से यह सेल्फहेल्प स्कीम के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिये यह कार्य नहीं हो सकता।

आजमगढ़ जिले में नहरों से सिंचाई

*८४--**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में सिंचाई हेतु अब तक कौन-कौन सी नहरें बनायी गयी हैं और उनसे अलग-अलग कितने क्षेत्रों की सिंचाई होती है ?

श्री गिरधारीलाल--वांछित सूचना सूची "क" में दी हुई है जो संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३४६-३४८ पर)

*८५--**श्री चन्द्रजीत यादव** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में इस समय किन-किन नहरों का निर्माण हो रहा है और उनसे किन-किन तहसीलों में कितनी भूमि की सिंचाई होने का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल--वांछित सूचना सूची 'ख' में दी हुई है जो संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३४६-३४८ पर)

*८६--**श्री चन्द्रजीत यादव** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में निर्माण होने वाली नहरों में कितना धन व्यय होगा और कितना समय लगेगा और क्या उन नहरों का नक्शा कोई तैयार किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--वांछित सूचना सूची "घ" में दी हुई है जो संलग्न है। आजमगढ़ जिले की विभिन्न नहरों का आवश्यक चित्र सदन की मेज पर रखा है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ट ३४६-३४८ पर)

आजमगढ़ जिले की ठिकमा रजबहा योजना

*८७--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ में तीन वर्ष पूर्व एक छोटी नहर का निर्माण शाहगंज, नरवे, पुरानी तथा ठिकमा के ताल होती हुई बैसी नदी तक कराने की कोई योजना बनायी गयी थी ? यदि हां, तो इसमें आज तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, ठिकमा रजबहा नाम से योजना बनायी गयी थी जिसकी प्रगति इस प्रकार है--

इस योजना पर निर्माण कार्य मार्च, १९५७ में शुरू कर दिया गया था, जो कि करीब-करीब समाप्त हो चुका है। केवल ३१ मील ६ फर्लांग से ३२ मील ४ फर्लांग तथा ३७ मील से ३७ मील ६ फर्लांग पर कार्य होना शेष है। जिस नहर से यह नहर निकाली है उस पर रेलवे के पुलों का निर्माण होना बाकी है। रेलवे ने इन पुलों पर कार्य शुरू कर दिया है और वे उम्मीद करते हैं कि जून, १९६० तक यह कार्य पूरा हो जावेगा।

फरेंदा टाउन के विद्युतीकरण का अनुमानित व्यय

*८८--श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री अमरनाथ--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश के किस किस स्थान पर बिजली लगाने का विचार है और स बिजली के लगाने में अनुमानित व्यय क्या होगा ?

श्री ध र्मसिंह--चालू वित्तीय वर्ष में राज्य विद्युत् परिषद् ने गोरखपुर जिले के फरेन्दा टाउन का विद्युतीकरण करने का निश्चय किया है, जिसका अनुमानित व्यय २५,४६३ रुपया है।

भरथना व लखना को बिजली देने की प्रार्थना

*८९--श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा) तथा श्री अमरनाथ--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में किन-किन स्थानों पर प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में बिजली लगायी गई और बिजली लगाने में क्या व्यय हुआ ? तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष काल में कहां-कहां बिजली लगायी जायेगी ?

श्री धर्मसिंह--प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण किये गये जिलों व कस्बों की †सूची संलग्न है।

१--प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ९४,००,७६५ रुपया व्यय हुआ।

२--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वित्तीय वर्ष ५८-५९ तक ८२,८२,५८४ रुपया व्यय हुआ।

३--गोरखपुर जिले में फरेंदा कस्बे के विद्युतीकरण राज्य विद्युत परिषद् ने मंजूर कर लिया है।

*९०--श्री मिहरबानसिंह तथा श्री अमर नाथ--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इटावा जिले के औद्योगिक कस्बे भर्थना व लखना को भी इस योजना की समाप्ति तक बिजली प्राप्त हो सकेगी ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

श्री मदन पांडेय --क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलों में किन कस्बों में बिजली लगाई जाय, इसका निर्णय किस आधार पर किया जाता है ?

श्री धर्मसिंह--पैसा उपलब्ध है या नहीं, आसानी से बिजली पहुंच सकती है या नहीं, वहां बिजली पहुंचाना एकानामिक होगा या नहीं और कम से कम खर्च पर बिजली पहुंचेगी या नहीं, यही सब आधार होते हैं।

श्री अमरनाथ--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फरेंदा तहसील में जो बिजली दी जाने वाली है वह किस जगह से दी जायगी और वह किस पावर हाउस से और किस रेट पर जनता को दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह--वह गोरखपुर से दी जायगी लेकिन रेट अभी आगे चल कर तय होंगे।

केसा के कर्मचारियों का वेतन-क्रम निर्धारित करने के लिये वेज बोर्ड बैठाने की सिफारिश

*९१--श्री अब्दुल रऊफ लारी --क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या केसा के कर्मचारियों का वेतन-क्रम वही है जो १९४८ में एक एडहाक कमेटी द्वारा निश्चित किया गया है था? यदि हां, तो क्या सरकार केसा के लिये वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार वेतन-क्रम निर्धारित करने के लिये कोई वेज बोर्ड बैठाने पर विचार कर रही है ?

---

†सूची छापी नहीं गई।

श्री धर्मसिंह--जी हां । कुछ लोगों के वेतन-क्रम में वृद्धि कर दी गयी है और अन्य सभी अपने पुराने स्केल से वेतन पा रहे हैं । कोई वेज बोर्ड बैठाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कुछ ही लोगों की वृद्धि किस आधार पर हुई है और बाकी लोगों की वृद्धि क्यों नहीं हुई ?

श्री धर्मसिंह--एडहाक कमेटी के नाम से एक कमेटी बिठाई गई थी जिसने कुछ की वृद्धि की थी और उसने कुछ बातें तय की थीं, यही आधार था ।

श्री मदन पांडेय--यह बिजली बोर्ड के मातहत आने के बाद केसा के कर्मचारियों के लिये बेज बोर्ड की आवश्यकता किन कारणों से महसूस नहीं हो रही है ?

श्री धर्मसिंह--बोर्ड की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती ।

बाढ़ पीड़ित शिविर

*९२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश के किन-किन जिलों में, किन-किन स्थानों पर कितने-कितने रुपये की लागत से बाढ़ पीड़ित शिविर बनाये गये हैं ?

*९३--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बाढ़ पीड़ित शिविरों में से कहां-कहां के बाढ़-पीड़ित शिविर अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं ?

*९४--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बाढ़-पीड़ित शिविर इस वक्त जिले के किन-किन अधिकारियों की देख-रेख में हैं, उनकी मरम्मत, सफाई आदि का व्यय कौन देता है ?

श्री धर्मसिंह--वांछित सूचना †संलग्न तालिका में दी हुई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन बाढ़-पीड़ित शिविरों का बनना किस सन् में आरम्भ हुआ ?

श्री धर्मसिंह--सन् बताने के लिये तो नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सूची के अनुसार अभी ६ बाढ़-पीड़ित शिविर अधूरे हैं इस का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह--धन की कमी पड़ गई थी ।

श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बुलन्दशहर में किन-किन स्थानों पर यह बाढ़-पीड़ित शिविर लगाये गये और उन पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ ?

श्री धर्मसिंह--मेरे खयाल से यह सूची बहुत बड़ी है, बुलन्दशहर का इसमें जिक्र भी नहीं है और वहां बाढ़ की हमेशा प्राब्लम भी नहीं रहती है जिसकी वजह से कोई ऐसी आवश्यकता हो ।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने स्वयं किन्हीं बाढ़-पीड़ित शिविरों की जांच-पड़ताल की है और यदि की है तो क्या वह बता सकते हैं कि उनमें से बहुत से शिविर दस बीस आदमियों के रहने काबिल भी नहीं हैं ?

श्री धर्मसिंह--मैंने तो नहीं देखे कि जिनके बारे में बता सकूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--(श्री उपाध्यक्ष से) आप तो १२ से पहले ही प्रश्न समाप्त करना चाहते हैं ।

---

†सूचना छापी नहीं गई ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रश्नों को उचित महत्व देना चाहता हूं, दस पांच प्रश्न में ही सारा समय लगाने से सदस्यों को हानि पहुंचती है ।

सूरजपुर दुबारी बांध चौड़ा करने की योजना

*९५---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत सूरजपुर से दुबारी जाने वाले विभागीय बन्ध को चौड़ा करने की योजना विभाग के विचाराधीन है ?

श्री महावीरसिंह---यह योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसी वर्ष स्वीकृत की जा चुकी है ।

पश्चिमी वृत्त के वन खंडों के लाट्स का नीलाम

*९६---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये पश्चिमी वृत्त के वन खंडों के लाट्स के सालाना नीलाम जो नियमानुसार सितम्बर, १९५९ तक पूरे हो जाने चाहिये थे और जिनके लिये नीलाम की तिथि ७ से लेकर २४ सितम्बर, १९५९ निर्धारित कर दी गई थी वह सितम्बर में अनिश्चित काल के लिये रोक दिये गये । अगर हां, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां---जी नहीं ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---क्या यह सही है कि सन् ५८ तक ये नीलाम सितम्बर तक पूर हो जाते रहे ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, हो जाते रहे । अब की भी हो गये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि इस दफे सितम्बर में पोस्पोन कर दिये गये क्योंकि कत्थे की फैक्टरी का या कोई और मामला चल रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, लाट्स के नीलाम तो पोस्पोन नहीं किये गये । कत्थ के दरख्तों के कुछ पोस्पोन हुये हैं । एक दफा यह सवाल यहां आ भी चुका है और मैं जवाब भी दे चुका हूं ।

श्री मिश्रीलाल का मांग-पत्र

*९७---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को दिनांक १८ जलाई, १९५९ का कोई मांग-पत्र श्री मिश्रीलाल मंत्री, अखिल भारतीय जल मजदूर संघ, रेती का पुल गोरखपुर का मिला था ? अगर हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य मांगें थीं और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री महावीरसिंह---श्री मिश्रीलाल जी का १८ जुलाई, १९५९ का कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । उनका १ सितम्बर, १९५९ का एक मांगपत्र प्राप्त हुआ है, उसमें उल्लिखित मांगें सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दी गई हैं । यह मांगें अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३४९ पर)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---इन मांगों में जिन मांगों का सम्बन्ध प्रदेशीय सरकार से है उन्हें मानने में इतनी देर क्यों हो रही है और उन पर कब तक कार्यवाही हो जायेगी ?

श्री महावीरसिंह---मामला विचाराधीन है ।

कौंच से बिजली की मांग तथा कुठोन्द खंड में नहरी पानी न मिलना

*९८--श्री गोविन्दनारायण तिवारी (अनुपस्थित) (जिला जालौन)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा कौंच, जिला जालौन की नगरपालिका तथा वहां के नागरिकों ने सरकार से इस आशय की मांग की है कि कौंच नगर में शीघ्र ही बिजली लगाई जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गिरधारीलाल--मांग पूरी न की जा सकी क्योंकि यह व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभदायक नहीं थी।

*९९--श्री गोविन्दनारायण तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने कि कृपा करेगी कि कुठोन्द ब्लाक, जिला जालौन की ब्लाक एडवाइजरी कमेटी ने इस आशय का कोई प्रस्ताव पास किया है कि नहर विभाग ने समय पर फसलों के लिये इस वर्ष आबपाशी के लिये पानी नहीं दिया जिसके फलस्वरूपब खरीफ व रबी की फसलें बरबाद हुईं ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

प्रश्नों के स्थगन के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं प्रश्नों के संबंध में। आज का एजेन्डा आप देखेंगे तो उसमें ३० प्रश्न स्थगित किये गये हैं। इन ३० प्रश्नों को स्थगित करने का कारण माननीय सदस्यों को मालूम नहीं है कि क्यों स्थगित किये गये। केवल यह लिखा है कि अगली किसी तारीख को ८ दिन, १० दिन या १५ दिन के लिये स्थगित कर दिये गये। मैं समझता हूं यह अनियमित है। इसलिये कि जिन माननीय सदस्य ने पहले प्रश्न दिया उसका उत्तर नियम के अनुसार मिल जाना चाहिये सदन में। अगर किसी माननीय सदस्य ने उसके बाद उसी प्रकार का प्रश्न कर दिया है तो यह जरूरी नहीं है कि उस प्रश्न के लिये प्रतीक्षा की जाय और जिस दिन उस प्रश्न का उत्तर मिले तो उसका भी उत्तर स्थगित कर दिया जाय। तो मैं समझता हूं यह बिलकुल अनियमित कार्य हुआ है और इस पर आप विचार कर लें और जांच करके अपना निर्णय दें।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि किस पर आक्षेप कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रख कर आरोप लगाना चाहिये। यह कार्य अध्यक्ष का है और अध्यक्ष ने इसको स्वीकृत किया है। इसलिये उन शब्दों को तो आप पहले वापस लें, तब मैं निर्णय दूंगा।

श्री गेंदासिंह--मैंने माननीय अध्यक्ष के ऊपर तो कोई आरोप लगाया नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--आपने कहा कि अनियमित स्थगित किये गये, तो स्थगित अध्यक्ष ही करते हैं।

श्री गेंदासिंह--अगर आपने ऐसा सुना है तो मेरा मतलब अध्यक्ष के लिये बिलकुल भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--आप पहले उन शब्दों को वापस लें।

श्री गेंदा सिंह--मैं वापस लेता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, गेंदा सिंह जी ने क्या वापस लिया ?

श्री उपाध्यक्ष--मैं अच्छी तरह से समझ गया कि क्या वापस लिया। मैं माननीय गेंदा सिंह जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जिस समय किसी प्रश्न की सूचना सरकार के पास इकट्ठी नहीं हो पाती तो वह माननीय अध्यक्ष से प्रार्थना करती है कि इन प्रश्नों की सूचना एकत्रित नहीं हो सकी है इसलिये इन प्रश्नों का स्थगन दे दें। एक सर्कुलर ऐसा अध्यक्ष की आज्ञा से जारी

[श्री उपाध्यक्ष]

किया गया है कि अगर एक मर्तबा स्थगन मांगा गया है तो दूसरी मर्तबा १५ दिन के बाद वह प्रश्न सूची में रख दिये जायेंगे और उनका उत्तर सरकार को देना पड़ेगा, उसके बाद दुबारा कोई स्थगन नहीं दिया जायगा और जिस समय सूचना एकत्रित ही न हो तो उन प्रश्नों को एजेन्डे पर लाने से क्या फायदा है ? और नियमानुसार अध्यक्ष क्वेश्चन की मैरिट को देख कर स्थगन स्वीकृत करते हैं ।

श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)—उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने आज्ञा दी वह शिरोधार्य है । लेकिन मेरा निवेदन यह है कि नित्य प्रति हम लोग इस संबंध में सवाल उठाते हैं कि यह स्थगन क्यों कर दिया गया । और अभी तक माननीय अध्यक्ष ने यह कभी नहीं कहा जो आप कह रहे हैं इसलिये सदन और अध्यक्ष के अवमान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं बार-बार मना करता हूं जिस समय एक व्यवस्था हो जाती है तो उस पर हमेशा कोई न कोई प्वाइंट लेकर आप लोग व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं । अगर आप लोग स्वयं मर्यादा का ध्यान न रखेंगे .....

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—प्रश्न संख्या ९१ के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि मूल प्रश्न ही यह था .....

श्री उपाध्यक्ष—इसके सम्बन्ध में आप मुझसे अलग बात कर लें ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—सरकार ने जवाब दिया है कि दो अधिकारियों के खिलाफ जांच हो करके रिपोर्ट आ गई है और उसी के बारे में पूछा गया था कि क्या आरोप था । इस सम्बन्ध में ४५,००,००० रुपये के करीब गबन है। सरकार बार-बार नोटिस मांगती है तो आखिर कब तक जवाब मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—आप लिख कर दीजिये, मैं इसको देख लूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय—उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न २६ आया था जिसमें मंत्री जी ने कहा कि कई डिवीजन्स से सूचना मंगानी है इसके सिलसिले में । एक दिन और भी ऐसी ही बात कही गई । तो अगर इस डिवीजन से सूचना मंगानी है तो ऐसा तो है नहीं कि एक डिवीजन से सूचना आने के बाद दूसरे डिवीजन से सचना मंगाने के लिये लिखा जाता हो जिसके कारण देर हो सकती हो, सभी डिवीजनों को एक साथ सूचना भेजने के लिये लिखा जाता है ।

दूसरी बात यह है कि प्रश्न संख्या २५ में यह कहा गया कि क्या आरोप लगाये गये थे भ्रष्टाचार के । उसके संबंध में मंत्री जी न बता सकें । तो अगर आपके खिलाफ ऐसपर्शन न हो तो आप बता दें कि स्थगित कहां तक प्रश्न किये जा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—पहले प्रश्न के बारे में मैं महसूस करता हूं कि जितनी जल्दी होनी चाहिये प्रश्नों के बारे में उतनी नहीं की जाती है । और मैं माननीय मंत्रियों पर यह इम्प्रेस करूंगा कि उनको अपने विभागीय अधिकारियों को सावधान करना चाहिये । नियमानुकूल साधारण प्रश्न का १५ दिन के अन्दर उत्तर मिल जाना चाहिये और अल्प सूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर ५–६ दिन के अन्दर मिल जाना चाहिये और आम तौर पर डेढ़ या दो महीने लग जाते हैं । इससे स्पष्टतया विधान सभा के नियमों का उल्लंघन होता है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रिगण इस सम्बन्ध में सजग रहेंगे और जल्द से जल्द प्रश्नों का उत्तर मिल जायगा ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में यह कहना चाहता था कि प्रश्नों का जवाब हमारे पास आ जाता है लेकिन हमें उम्मीद होती है

कि कुछ सप्लीमेंटरीज यहां किये जायेंगे । तो उसके लिये दोबारा हमें वह मामला भेजना पड़ता है नीचे । उन बातों की वजह से काफी समय लग जाया करता है और इस महकमे में जैसे सड़कें और नहरें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं हैं और उनके सम्बन्ध में एक अन्दाजे के तौर पर जवाब नहीं दिया जा सकता । बाज वक्त देर लग ही जाती है और वैसे यहां ऐसी मंशा नहीं है कि इतनी देर लगायें ।

श्री उपाध्यक्ष—इसीलिये आपकी स्थगन की प्रार्थना माननीय अध्यक्ष स्वीकार करते हैं ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिप्रसाद टमटा के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—उपाध्यक्ष महोदय, २३ फरवरी को श्री हरिप्रसाद टमटा का देहान्त हो गया। वे पुराने सार्वजनिक कार्यकर्ता थे और विशेषतौर से उनको पहाड़ी क्षेत्रों की दलित जातियों और पिछड़ी जातियों के कल्याण में दिलचस्पी थी। इस सम्बन्ध में उन्होंने बहुत काम किया है और सभी वर्गों में उनकी प्रतिष्ठा थी और मेरा ऐसा विश्वास है, इस सदन के पुराने सदस्य निश्चय ही उनसे परिचित होंगे। वे इस सदन के सदस्य रह चुके हैं। उनकी मृत्यु से हमारे प्रदेश को क्षति हुई। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हम लोगों की समवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, टमटा जी के निधन से जो शोक माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रकट किया है मैं उससे सहमत हूं और मैं समझता हूं कि टमटा जी जैसे जनसेवी की आज भी आवश्यकता है और इस कमी को हम पूरा नहीं कर सकते। उनके परिवार के साथ मेरी और मेरे साथियों की समवेदना प्रकट करने की आप कृपा करें और मैं आशा करता हूं कि उनके परिवार के साथ समवेदना प्रकट करके हम उनके शोक संतप्त हृदय को कुछ राहत पहुंचा सकें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—श्री हरिप्रसाद टमटा के निधन पर माननीय सदन के नेता ने जो शोक और समवेदना के उद्गार प्रकट किये हैं और उन उद्गारों को प्रकट करते हुए उनकी जिन सेवाओं तथा गुणों की चर्चा की है उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी और मेरे साथियों की समवेदना उनके परिवार के पास भेज दी जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री हरिप्रसाद टमटा के निधन पर माननीय मुख्य मंत्री, माननीय गेंदासिंह, माननीय पालीवाल जी ने जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं मैं अपनी सहमति उनके साथ प्रकट करता हूं और मैं भी उनके भावों तथा विचारों के साथ हूं। श्री टमटा जी को हरिजनों की समस्या के सम्बन्ध में अपनी विशेष जानकारी थी। आज हरिजन समुदाय को उठाने के लिये जिस प्रकार के सेवकों की आवश्यकता है, टमटा जी उस आवश्यकता की पूर्ति करते थे। इस सदन के सम्मानित सदस्यों को भलीभांति इसकी जानकारी है। ऐसे अवसर पर जब कि हमको अच्छे समाजसेवियों की आवश्यकता हो और वह हमारे बीच से उठ जायं तो हमको कितना दुःख होगा, इसकी कल्पना सहज की जा सकती है। हम उनके निधन पर अपनी सहानुभूति और अपना शोक प्रकट करते हैं और उसके साथ-साथ अपनी पार्टी की सहानुभूति और शोक प्रकट करते हैं और आप से निवेदन करते हैं कि संतप्त परिवार के पास हमारी हार्दिक सहानुभूति और समवेदना पहुंचा दें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह समाचार सुन कर बड़ा दुःख हुआ, खास कर यह देखते हुए कि श्री टमटा जी इस वृद्धावस्था

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

में भी जब कि वे दीर्घकाल से रुग्ण थे और शैय्या पर ही थे, इस बीच नरेन्द्रसिंह जी, खुशीराम जी और एक आध और सज्जन के साथ मैं उनको जब देखने को गया तो वे बिलकुल चारपाई पर पड़े हुये थे, हिल-डुल नहीं सकते थे लेकिन फिर भी पिछड़े कहे जाने वाले लोगों के लिये उनकी यही चिन्ता रहती थी कि उनको कैसे उठाया जाय। इसके लिये वे कई बार जनता के बुरे भी बने। स्वयं हमारी बात लीजिये We agreed to disagree क्योंकि कई बार तीव्र मतभेद भी हो जाता रहा, लेकिन उनकी खूबी यह थी कि डिसएग्री हो जाने के बाद भी व्यक्तिगत रोष नहीं रखते थे। और अगर मैं गलती नहीं करता, क्योंकि वे बहुत बुजुर्ग आदमी थे, मैंने सुना है कि डाक्टर अम्बेदकर का पहले उन्होंने समर्थन किया था और राउन्ड टेबिल कान्फ्रेन्स जब हुई थी तो तार भी दिया था कि मैं अम्बेदकर जी के साथ हूं। उसके बाद कांग्रेस के हाथ में शासन आने पर उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। उनके एक भांजे हैं, रेलवे सर्विस कमीशन में, श्री रामप्रसाद टमटा। वे कांग्रेस के टिकट से एम० पी० चुने गये थे।

इस बात के लिये हरिप्रसाद जी की तारीफ करता हूं कि वे हमेशा गिरे हुये और पिछड़े हुये हरिजन ही नहीं बल्कि कुछ और लोगों का भी साथ देते थे। वे उर्दू और फारसी के बड़े अच्छे विद्वान् थे। एक अखबार भी "समता" नाम से वे निकाला करते थे। मैं आपके द्वारा उनके संतप्त परिवार को अपनी और अपने दल की तरफ़ से समवेदना भेजना चाहता हूं और श्रीमान् से प्रार्थना करता हूं कि हमारी यह समवेदना उनके संतप्त परिवार तथा श्री रामप्रसाद जी टमटा को, जो इलाहाबाद में हैं, पहुंचा देने की कृपा करें।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---स्वर्गीय टमटा जी से कोई साक्षात् परिचय होने का सौभाग्य मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ था। उनके विषय में नेता सदन ने और विरोधी नेताओं ने जो भाव प्रकट किये हैं उनके साथ मैं अपने को और अपनी पार्टी को जोड़ता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी इन भावनाओं को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष---श्री हरिप्रसाद टमटा के बारे में जो उद्गार माननीय मुख्य मंत्री जी तथा विभिन्न दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनके साथ मैं भी अपनी सहमति प्रकट करता हूं। वाकई काफ़ी पुराने जमाने में उन्होंने बड़ी निर्भयता के साथ हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लोगों के उद्धार के लिये प्रयत्न किया और जीवन भर इस दिशा में वे लड़ते रहे और साथ ही साथ एक विशेषता उनमें यह भी थी कि इस बात का प्रयत्न करते हुये भी दूसरी जातियों के प्रति उनके मन में कोई कटुता या द्वेषभाव नहीं था। मेरी भी कोई उनसे निजी जानकारी तो नहीं है। आप लोगों ने जो उद्गार प्रकट किये हैं वह उनके संतप्त परिवार को मैं पहुंचा दूंगा। अब माननीय सदस्य थोड़ी देर के लिये उठ कर खड़े हों ताकि दिवंगत आत्मा के लिये प्रार्थना कर सकें।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री उपाध्यक्ष---अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

"भारत-चीन सम्बन्ध" पुस्तिका की प्रतियों के वितरण पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमान् एक पुस्तिका हम लोगों की मेज पर रखी गयी है। हेडिंग है "भारत चीन सम्बन्ध" २७ नवम्बर, १९५९ को लोकसभा में दिया गया भाषण। फिर बाद में लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू---प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। यह पुस्तिका सदन की मेज पर कैसे रखी गयी, किसने रखी, इसका क्या कारण है ?

दूसरे अगर जवाहरलाल जी का भाषण लोक सभा में हुआ है तो वह अंग्रेजी में हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष—आप मेरिट्स पर बहस न करें ।

आम तौर पर इस किस्म के प्रकाशन कभी-कभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए, ताकि वे उन का भवन में उपयोग कर सकें, माननीय सदस्यों के पीजन होल में रख दिये जाते हैं। सदन की मेज पर यह कैसे आया मुझे पता नहीं है। मेरे खयाल में पीजन होल में ही रखा होगा ।

श्री राजनारायण—हमारे पक्ष में जितने बैठे हैं सब की मेज पर रखा है

कई सदस्य— कहीं नहीं है ।

श्री राजनारायण—इधर जितने हैं सब पर है ।

आप जरा इसका भी खयाल करें कि यह विभेद क्यों हुआ । मैं यह नहीं चाहता हूं कि सरकारी पक्ष किसी आवश्यक सूचना से वंचित रह जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी को शायद अपनी इच्छा भूल गयी है । उन्होंने हमारे सचिवालय को एक हिदायत कर रखी है कि ऐसे प्रकाशन हमारी पार्टी के फ्रंट बेंचेज पर रख दिये जाया करें । उसके अनुरूप कार्यवाही की गयी है ।

श्री राजनारायण—मेरी वैधानिक आपत्ति है। मैं आपसे जानना चाहता था कि रखा क्यों ? जहां तक मेरा खयाल ह सदन की मेज पर तब तक कोई साहित्य नहीं रखा जाता जब तक कि आप के थ्रू न आये और आप यह न कहें कि इसको बंटवा दिया जाय । जवाहरलाल जी का भाषण लोक सभा में अंग्रेजी में हुआ है इसका जो अनुवाद किया गया है उसमें मूल भाषण से असंगति हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—मूल भाषण से, जो प्रश्न आपने उठाया है, उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजनारायण—अगर असंगत हो गया तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठेगा नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—हमारा कार्यालय माननीय सदस्यों की सूचना के लिए पीजन होल में रख देता है। लेकिन आपकी हिदायत के मुताबिक आपकी मेज पर जरूर रखा जाय आप चाहे मांगें या न मांगे, आप की मेज पर रख दिया गया।

श्री राजनारायण—मैंने यह नहीं कहा था कि हमारी मेज पर सभी अनाप-शनाप पुस्तकें रखी जायं। मैंने कहा था कि हमारे कमरे में पहुंचा दिया जाया करे ।

श्री उपाध्यक्ष—आप लिख कर दे दीजिये कि अब मेज पर न रखा जाय।

श्री राजनारायण—मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस दे रहा हूं क्योंकि लोक सभा में जो भाषण हुआ है अगर उससे इसमें असंगति है और सदन की मेज पर रखा गया है तो जिसने रखा है उस पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता है।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की मेज पर नहीं रखा गया है। आपको अपनी हिदायत के बारे में थोड़ी सी गलतफहमी हो गयी ।

श्री राजनारायण—आप हमारी हिदायत मानते हैं इसको मैं अपना गौरव समझता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—सचिवालय के कर्मचारी मानते हैं । मैं तो आपकी प्रार्थना स्वीकार करता हूं और रिजेक्ट भी करता हूं।

माननीय सदस्यों की सुविधा और जानकारी के लिए हमारे सचिवालय की मार्फत यह पीजन होल में रख दिया जाता है और ऐसा ही किया गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—इस सम्बन्ध में कुछ थोड़ा सा निवेदन है। हम उनके अनुगृहीत हैं जिन्होंने इसको यहां रख दिया चाहे कोई माननीय सदस्य कुछ कहें और क्योंकि इससे जानकारी होती है। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जैसी यहां की परम्परा रही है, जैसे कि अब की चीन पर हुए डिबेट को आपके कार्यालय ने या मुख्य मंत्री जी के कार्यालय ने, जिसने भी किया हो, जिसमें कि समूचा का समूचा विवाद था और जिसमें सभी पक्षों के भाषण थे तीनों दिनों के विवाद की एक ऐसी पुस्तिका छापी गयी थी और उसे बटवाया था उसी प्रकार का एक सुझाव केन्द्रीय सरकार को भी देने की कृपा करेंगे ताकि वहां भी हर पक्ष के लोग चाहे वह जिस किसी भी पार्टी के रहे हों, उन्होंने जो जो बातें कही हों, उसकी एक पूरी तस्वीर हमें मिल जाय। यानी एक ही का भाषण न मिले बल्कि जिस किसी ने भी जो कुछ इस सम्बन्ध में कहा हो वह हमें मिल जाय ऐसी कोई चीज वह हमें भेजने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—लोक सभा के सदस्यों की जानकारी के लिए?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जी नहीं, हमारी अपनी जानकारी के लिए लोक सभा में जो कुछ कार्यवाही हुई वह हमें मिल जाय। जैसे आज हमें केवल आदरणीय पंडित नेहरू का ही भाषण मिला है, मैं चाहता हूं कि हर एक ने जो कुछ कहा हो, चाहे वह किसी भी पार्टी का सदस्य हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो या और कोई हो—उस सबकी एक मुकम्मिल पिक्चर हमारे सामने आ जाय जिसको कि हम कोट भी कर सकें कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ने क्या कहा और किसी दूसरे ने क्या कहा इस तरह की चीज हमको मिल जाय।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो ऐसी चीज है कि प्रोसीडिंग्स में छपती ही है। उसकी अलग प्रोसीडिंग बन ही जाती है।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-वी-टी आर-ए-एम-४-१५३-बी/३०-९(७४)-एच-५९, दिनांक ११ जनवरी, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३५ की धारा २० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

हरगांव, जिला सीतापुर में आयोजित सोशलिस्ट पार्टी की सभा में पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत दो तीन प्रश्न आये हैं। उनमें माननीय राजनारायण जी का एक प्रश्न है जिसे मैंने महत्वपूर्ण समझा है। मैं उसको पढ़ देता हूं और माननीय गृह मंत्री से आशा करूंगा कि उनके पास अगर सूचना अभी हो तो अभी, या एकत्र करके बाद में दें सकें तो, दे दें।

"दिनांक २८-२-६० को सोशलिस्ट पार्टी की ओर से हरगांव, जिला सीतापुर में एक आम सभा थी और साढ़े बारह बजे उसमें मुझे बोलना था। मेरे आने के पूर्व ही वहां के परगना हाकिम मीटिंग के तख्त पर बैठे थे और पुलिस के लोग तथा अधिकारी मीटिंग

*छापा नहीं गया।

के चारों ओर घूम घूम कर लोगों को आने से रोक रहे थे। मेरे आने तक परगना हाकिम तख्त पर बैठे रहे। मीटिंग के प्रबन्धकों ने उनको वहां से जाने और यह सब रोकने के लिए कहा भी परन्तु वे नहीं गये।

"राजनीतिक दलों की शान्तिपूर्ण सभाओं में अधिकारियों द्वारा इस प्रकार बाधा डालना और आतंक पैदा कर लोगों को आने से रोकना जनतान्त्रिक अधिकारों का हनन है और अनुचित तथा अवैधानिक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।"

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर मैंने सूचना मंगा रखी है। आते ही प्रस्तुत करूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—यह नहीं बताया उन्होंने कि कब तक मंगा लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि शीघ्र से शीघ्र ही वह दे देंगे। (माननीय गृह मंत्री से) यह सूचना कब तक आप दे देंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं तो आशा करता हूं कि कल ही मैं यह दे दूंगा। मंगा रखी है मैंने।

१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा (क्रमागत) *

श्री उपाध्यक्ष—अब जो माननीय सदस्य शिक्षा के अनुदान पर भाषण करने की इच्छा रखते हों वह अपनी इच्छा जाहिर करें।

श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान विचार के लिए रखा गया है उस पर मुझे यह निवेदन करना है कि सरकार की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह दोषपूर्ण है इसको देखते हुए धर्म निरपेक्ष समाज और समाजवादी व्यवस्था के लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकेंगे ऐसा मेरा निश्चित मत है। यहां सारे काम नियोजित ढंग से हो रहे हैं मगर शिक्षा में कोई नियोजन नहीं प्रतीत होता है, अंग्रेजी सरकार की जो नीति रीति थी उसी ढंग से यहां की शिक्षा को चलाया जा रहा है। आजादी हमको मिल गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई और उस योजना के दिन खत्म होने को आ रहे हैं और तब भी शिक्षा में कोई खास प्रगति, जो समाजवादी ढंग की व्यवस्था कायम होने की बात थी, उसके अनुसार नहीं प्रतीत होती। संविधान के लागू होने के बाद भी जो उसमें डाइरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स थे कि यहां की शिक्षा निःशुल्क की जायगी १४ वर्ष के अन्दर उसपर भी अभी तक कार्यवाही नहीं की गई। दर्जा ६ को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है मगर इसकी भी चर्चा कभी कभी मिलती थी कि सरकार उसको वापस लेना चाहती थी लेकिन विरोधीदल का ऐसा दबाव पड़ा कि सरकार ने वापस लेने की बात को छोड़ दिया।

शिक्षा जगत में आप देखें कि हर जगह अनुशासनहीनता फैली हुई है। पुलिस को यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ता है और उसका हल्ला मचता है। इसके कारण की ओर सरकार ने बहुत ध्यान नहीं दिया है। मेरा खयाल है कि सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये। असल में जो कारण है उनके लिये ऊपर पेबन्द लगाने से काम नहीं चलेगा। आज

*२९ फरवरी, १९६० की कार्यवाही से।

[श्री तेजबहादुर]

शिक्षा प्रणाली जैसी है उसको देखने की आवश्यकता है । नीचे के प्राइमारी स्कूलों में तो हालत यह है कि एक अध्यापक है और वहां पर १०० लड़के हैं। तो वह उनके सम्भालने में ही लगा रहता है । वह पढ़ाई क्या करे । वह ऐसा स्टेज है जहां पर लड़के बनते हैं और बिगड़ते हैं । इस सरकार की ओर से वहां पर ठीक ढंग से कोई प्रबन्ध नहीं है । अध्यापक उनको देने चाहिये । उनके लिये भवन अच्छा होना चाहिये ताकि पढ़ाई ठीक ढंग पर चले । आज वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है । लड़के वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी तक आते आते उनमें अनुशासनहीनता बहुत दिखाई पड़ने लगती है । इसका जो मूल कारण है उसकी योजना बनाने की ओर सरकार की ओर से कोई कोशिश नहीं की गई । अध्यापक बहुत असन्तुष्ट हैं और उनकी मांग आती है । कभी कभी उनकी मांग को पूरा किया जाता है । हमने यह भी देखा है कि मांगों को पूरा करने के लिये अध्यापकों को अनशन भी करना पड़ा है । वे आज भी असन्तुष्ट हैं जिसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये । अभी सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया है ।

अभी एक मामले में बताया गया कि अभी यूनिवर्सिटी टीचरों के लिये जो ग्रेड प्रेस्क्राइब किया गया है उसमें असोसियेटेड कालेज भी शामिल है । असोसियेटेज कालेजों में जो पढ़ाई लिखाई होती है और टीचरों का दर्जा है वह यूनिवर्सिटी के टीचरों का ही दर्जा है । यूनिवर्सिटी जिस काम को नहीं कर पाती है उनसे, जो पास के कालेज हैं उस बोझ को हलका करने के लिये वहां उनसे काम लिया जाता है । इन टीचरों के साथ जो व्यवहार है वह यूनिवर्सिटी के टीचरों का सा नहीं है ।

यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के दो ग्रेड हैं। एक असिस्टेन्ट प्रोफेसर का और दूसरा प्रोफेसर का मगर एसोसियेटेड कालेज के अध्यापकों को वह दर्जा मुयस्सर नहीं है । पढ़ाई लिखाई का उनसे काम वही लिया जाता है मगर जहां सुविधा का प्रश्न है वह उनको मुयस्सर नहीं है वह सुविधा उनको प्राप्त नहीं हो रही है । जैसे मिसाल के तौर पर पुराना ग्रेड २०० रुपये से शुरू होता था और वह ४०० रुपये पर जाकर खत्म होता था और २० रुपये का इन्क्रीमेन्ट मिलता था । यह जूनियर टीचरों की बात थी । और सीनियर टीचर्स को २५० से ५०० रुपये तक मिलता है । अब जो नये ग्रेड बने हैं उनमें यह जरूर है कि जूनियर टीचर्स का ग्रेड २२५ से शुरू कर के ४५० रुपये कर दिया गया है और हेड्स का ३०० से ६०० रुपये तक रखा गया है । एक ओर अध्यापकों की श्रेणी बना दी गयी है सीनियर टीचर्स की जिनका ग्रेड २७५ से ५५० रुपये तक रखा गया है । एसोसियेटेड कालेजेज में जो अध्यापक रखा जाता है वह अगर १२ साल तक वहां रहा तो वहां लड़कों को पढ़ाता है । उसमें उन के लिये ३६० रुपये पर एक एफीशियेन्सी बार रखा गया है । मैं समझता हूं कि यह उन के हित में नहीं है और इस से उनका नुकसान होने वाला है । आप यह एक अधिकार प्रबन्धक समिति के साथ में देते हैं कि अगर वह अध्यापक से नाराज हो तो उसे ३६० पर ही रोक दे । जैसा आज कल देखा जाता है, अगर कोई अध्यापक ज्यादा तनख्वाह पाने वाला है तो प्रबन्धक समिति की ओर से उसे निकाल देने की कोशिश की जाती है । इस के अलावा मेरा खयाल है कि अगर यह नया ग्रेड एसोसियेटेड कालेजेज के टीचर्स स्वीकार कर लें तो ११ वें साल में जो २५ रुपये का फायदा दिया गया है शुरू में वह घाटा हो जायगा ।

दूसरी बात इनके सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि जो पढ़ाई लिखाई एक यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर करता है वही एसोसियेटेड कालेज का प्रोफेसर भी करता है, तो मैं नहीं समझता कि तनख्वाहों में यह फर्क क्यों रखा गया है । काम जब एक है तो तनख्वाह में फर्क नहीं होना चाहिये । जो असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रेड है वही एसोसियेटेड कालेज के प्रोफेसर को भी देना चाहिये । आप देखें कि एफीलियेटेड कालेज में तो उनके कुछ बढ़ने की गुन्जायश रहती है लेकिन एसोसियेटेड कालेज में उनका रास्ता बन्द है । तो यह फर्क नहीं होना चाहिये ।

दूसरी बात उन के सम्बन्ध में यह है कि यूनिवर्सिटी से उनको जो सुविधायें मिलती हैं, लाइब्रेरी की, मेडिकल कालेज की, इक्जामिनेशन आदि की या यूनिवर्सिटी बाडीज में रिप्रेजेन्टेशन आदि की, वह सब इन लोगों को भी मिलनी चाहिये ।

अभी हाल ही में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन बैठा था। उसकी रिपोर्ट में कुछ अच्छी बातें कही गयी हैं और उनमें एक यह है कि यूनिवर्सिटी में जो भर्ती हो वह लड़कों को टेस्ट करने के बाद की जाय ताकि योग्य विद्यार्थी उसमें आ सकें क्योंकि हमारी सर्विसेज में यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद ही लड़के लिये जाते हैं। मैंने शुरु में ही कहा था कि अगर नीचे पढ़ाई खराब होगी तो ऊपर अच्छे विद्यार्थी मिलना संभव नहीं है। यूनिवर्सिटी में अच्छे लोग जायं और उसका स्तर ठीक रहे यह सही है, लेकिन जो विद्यार्थी बच जाते हैं अगर उनकी शिक्षा का प्रबन्ध नहीं होगा तो दिक्कत पड़ेगी। लिहाजा टेक्निकल एजूकेशन का पूरा एक्सपेंशन होना चाहिए।

एक बात मैं यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं। मैं सोचता यह था कि इस अधिवेशन में शिक्षा मंत्री जी की ओर से यह एलान किया जायगा कि वह कायम होगा और उस कमीशन में जो आदमी रखे जायंगे उनकी नामावली भी हमारे सामने आ जायगी। लेकिन उसमें देर क्यों हुई, यह मैं समझ नहीं पाया। इसका कारण तो शिक्षा मंत्री जी ही बतलायेंगे लेकिन मैं एक सुझाव इस संबंध में देना चाहता हूं। मेरा सुझाव यह है कि पुलिस कमीशन की तरह से ही इसमें भी आदमी न रखे जाय। आज पुलिस कमीशन में जो आदमी रखे गये हैं उनको देखें तो पता चलेगा कि एक दल विशेष के ज्यादा लोग उसमें हैं। अगर दल विशेष को ही रखना है और दल विशेष के ऐसे लोग जो कहीं नाकाबिल घोषित कर दिये गये हैं और उनको एकोमोडेट करने की बात हो तो फिर इस कमीशन को कायम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि जब शिक्षा मंत्री जी इस संबंध में नामावली पेश करें तो उसके संबंध में जो शिक्षा का काम करते हैं, उन शिक्षित विद्वानों को उसमें लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त हुआ।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा का अनुदान जो आज प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। निःसंदेह हमारी शिक्षा पर न केवल १७,२२,९६,२०० रुपया ही खर्च होता है बल्कि इसके अलावा भी, जो और विभाग हैं जैसे उद्योग, प्लानिंग तथा कृषि व सहकारिता आदि, उनका भी कुछ रुपया हमारी शिक्षा पर खर्च होता है। अतः हमारे बजट का बहुत काफी भाग शिक्षा पर लग रहा है। इसके अलावा मैं एक बात और यह बताना चाहती हूं कि पिछले वर्ष महिलाओं पर ७ परसेन्ट रखा गया था और इस साल वह १० परसेन्ट रखा गया है। इस तरह से इस ओर कुछ तरक्की तो जरूर हुई है। जन संख्या के हिसाब से हम लगभग ५० परसेंट हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय सदस्या से मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---इस समय माननीय सदस्या बोल रही हैं, वे नहीं चाहतीं कि उनसे कुछ पूछा जाये। आप कृपया बैठिये।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी---मैं समझती हूं कि सारे सदस्य इससे सहमत होंगे कि हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, उसमें सर्वथा परिवर्तन होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरा अपना दृष्टिकोण है उसके आधार पर अगर स्कूल खुलें तो उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है और उनमें सफलता प्राप्त हुई भी है दूसरी जगहों पर, अगर मैं उनका वर्णन करने लगूं तो उसमें काफी समय लग जायेगा। किन्तु इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगी कि वे एक कमेटी ऐसी नियुक्त कर दें जो कम से कम खर्च में इस गरीब प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने वाले

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

सुझाव दे सकें। इसके लिये इससे और ज्यादा समय न लेते हुए केवल जो मौजूदा शिक्षा है उसके अन्दर क्या-क्या सुधार हो सकते हैं उनके संबंध में ही मैं अपने इस १०-५ मिनट के समय में चर्चा करूंगी। मान्यवर, हम सब का यह निश्चित मत है कि हमारी शिक्षा ऐसी हो जिससे गरीब से गरीब लोग भी लाभ उठा सकें। यह कहना चाहिये कि शिक्षा का विभाजन ३ हिस्सों में है, प्राइमरी, सेकेन्ड्री और तीसरी यूनिवर्सिटी।

प्राइमरी शिक्षा से लोग किस तरह ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं उसके ऊपर मैं कुछ सुझाव दूंगी। हम जानते हैं काफी लोग ऐसे हैं जो निःशुल्क शिक्षा हो जाने पर भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। उसका कारण यह है कि उनके बच्चे, जब उनके मां बाप अपने दूसरे कामों के लिये चले जाते हैं, अपने छोटे भाई बहन की देखरेख करते हैं या वे कुछ और कार्य करते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि चराना। इसलिये उनके मां बाप उन बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। इसके लिये जरूरी यह है कि मौजूदा स्थिति में दो शिफ्टों में स्कूल चलें। एक सवेरे और एक शाम को। यानी जो लोग सवेरे अपने बच्चों को भेज सकते हैं वे सुबह भेजें और जो सवेरे नहीं भेज सकते हैं वे शाम को भेज सकें। सुबह ७ से लेकर साढ़े १० बजे हो जाय और सेकेंड टाइम में उन बालकों के लिये जो घर पर अपनी परिस्थितियों के कारण से आ नहीं सकते है वह आ जायं। गर्मी के दिनों में २ बजे से ५ बजे तक उनको समय मिल सकता है और सर्दी के दिनों में ६ बजे से लेकर ९ बजे सायंकाल तक समय मिल सकता है। इसलिये इसी प्रकार की थोड़ी सी सुविधाएं देकर हम अपने निश्चित ध्येय पर पहुंच सकते है और उनकी भी तरक्की कर सकते हैं। अनिवार्य शिक्षा हो जाने पर भी शहरों में भी ऐसे केसेज सामने आते हैं कि मां बाप हमसे कहते हैं कि यह थोड़ा सा काम कर आता था, आज पाठशाला न भेजने पर सौ रुपया जुर्माना होता है तो इसको माफ करवा दो। मगर उनकी विवशता है कि किस तरह से वह अपना काम चलावें। तो उनकी सुविधा के लिये ऐसा कर सकते हैं और इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा को कुछ हद तक सफल करवा सकते हैं।

जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षा चाहे अनिवार्य न हो, लेकिन इतना हम अवश्य कर दें कि उनमें भी लोगों को दो शिफ्ट में पढ़ाया जाय और सायंकाल का समय उन लोगों के लिये रखा जाय जो कार्य में व्यस्त रहते हैं और उनके लिये होस्टल गांव में हो जायं जिससे वह अपने समय का प्रयोग कर सकें।

तीसरे यह कि यूनिवर्सिटी की जो एजूकेशन है इसके अन्दर मैं टेक्निकल एजूकेशन भी शामिल कर रही हूं, उसके ज्यादातर बड़े बड़े खर्चीले कालेजेज हैं मसलन रुड़की ले लीजिये, और उनमें बहुत खर्च होते हैं और कुछ इने गिने लोग मेडिकल कालेज और टेक्निकल कालेजेज में जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रबन्ध होना चाहिए कि और लोग भी उनसे फायदा उठा सकें। अगर वह ज्यादा खर्चे के कारण वहां नहीं जा सकते हैं तो प्राइवेट इम्तहानों का इन्तजाम करके उनको आगे बढ़ने का मौका हो, यही एक स्वतंत्र देश के लिये शोभनीय हो सकता है। कोई कंपाउंडर है तो उसको अधिकार हो कि वह परीक्षा देकर, उसको पास करके आगे बढ़ सके और डाक्टर की पदवी पा सके और उसको नौकरी में स्थान दिया जाय। टेक्निकल साइड में कोई लेबरर भी है, अगर वह मशीन को समझता है और उसके अन्दर इंटेलिजेंस है तो उसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये कि जो बड़ी बड़ी फैक्टरियां है, जैसे बिड़ला आदि की उनमें काम करते हुए ट्रेन्ड होकर बड़ा से बड़े इंजीनियर बनने का उसको अवसर प्राप्त हो सके। सब तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लेबरर भी ऐसे हो सकते हैं। मेरा सुझाव कि इस तरह के लोगों के लिए प्राइवेट परीक्षाएं और शिक्षा आदि का थोड़ा बहुत प्रबन्ध करके उनके लिये सुभीता दे दिया जाय।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से होम साइंस सी० टी० कालेज के बारे में कहना चाहती हूं। मेरे खयाल में वह इलाहाबाद में ही सब से प्रमुख है और होम साइंस में एल० टी० वालों की डिमांड रहती है, तो वहां सी० टी० के साथ एल० टी० भी कर दिया जाय, क्योंकि होम साइंस विषय इंटरमीडिएट में भी पढ़ाया जाता है, एल० टी० के लिये होम साइंस का कोई कालेज नहीं है। बहुत से स्थानों के लिये दिक्कत होती है, उसको पूरा करने के लिये, अपने कोर्स को ठीक चलाने के लिये यह आवश्यक है कि जो कमी है उसको पूरा किया जाय।

मैं यह कहना चाहती हूं कि गांव में अगर आप महिला शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, १० परसेंट से आगे ले जाना चाहते हैं तो ग्रामों में होस्टल्स में अध्यापकों को रहने की सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए। इन सुविधाओं को पूरा करते हुए आप उम्मीद कर सकेंगे कि वहां पर महिलायें जाकर पूरे लगन के साथ काम करें। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां भी इस प्रकार की आवश्यकता हो वहां पर इस प्रकार की सुविधायें दी जायं।

मुझे नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में कहना है। वहां पर बिल्डिंग भी मौजूद है, स्टाफ भी मौजूद है और इक्विपमेन्ट भी मौजूद है। वहां पर करोड़ों रुपया व्यय किया गया है। मेरा सुझाव है कि वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस खोलने की इजाजत दी जानी चाहिये। इस सिलसिले में हमें वहां पर ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। आज एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिये विद्यार्थियों को मद्रास वगैरह बड़ी दूर तक जाना पड़ता है और उन्हें बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। जिस स्थान पर पूरी सुविधायें मौजूद हैं वहां पर इसका प्रबन्ध अवश्य कर देना चाहिये। मैं समझती हूं कि उसमें एक वैधानिक दिक्कत है, एक धारा की दिक्कत है, लेकिन उसके निराकरण के लिये मैं अलग से सुझाव दे सकती हूं।

मान्यवर, इसके अलावा मुझे यह निवेदन करना है कि विभाग की ओर से जो किताबें निश्चित की जाती हैं वह दूसरे साल ही बदल दी जाती हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि जल्दी जल्दी किताबों की तब्दीली न हुआ करे ताकि एक किताब को कई बच्चे पढ़ लिया करें। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ किताबों की हेडिंग कुछ होती है और उनके अन्दर लिखा कुछ होता है, ऊपर हेडिंग दे दी "सहकारी खेती" और अन्दर उससे उल्टा लिख दिया। हमारा लक्ष्य है कि 'सहकारी खेती' पुस्तक में नतीजा यह निकाल दिया कि यह असफल कैसे हुई। जैसा श्री गोविन्द सहाय जी ने अभी कहा है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए और इसकी पूरी देखभाल होनी चाहिए।

इसके अलावा मैं यह बताना चाहती हूं कि जितने एफीलिएटेड और दूसरे छोटे मोटे शिक्षालय हैं या जो एडेड स्कूल हैं वहां के टीचरों को समय पर वेतन न मिलने के कारण बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वह टीचर चाहे पुरुष हों या स्त्री हों, उनको एक तो वैसे ही बहुत कम वेतन ५०, ६० या १०० रुपया मिलता है और अगर वह भी दो तीन महीने तक न मिले तो फिर वे अपनी बसर कैसे करें। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो ग्रान्ट देर में दी जाती है उसको जल्दी रिलीज करके भिजवाने की व्यवस्था की जाय।

*श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)--श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले तो यह कि हमें शिक्षा के विषय में सुधार के सुझाव देना ही कुछ विरुद्ध सा मालूम होता है क्योंकि वास्तविक स्थिति तो यह है कि हमारी सरकार ने शिक्षा की जिम्मेदारी अभी तक अपने ऊपर ली नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्निवीक्षण नहीं किया।

[श्री देवी प्रसाद मिश्र]

प्राथमिक शिक्षा का प्रारम्भ सरकार न बड़ उत्साह के साथ सन् १९४७ में किया था लेकिन तीन साल के बाद उसको जिला बोर्डों को सौप दिया। माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथों में कभी नहीं लिया, जिले में सिर्फ एक आध स्कूल अपने हाथ में रखे हैं। जहां तक यूनिवर्सिटीज का प्रश्न ह वह हमेशा से आटोनामस बाडीज रही हैं। इसलिये शिक्षा की नीति के निर्धारण में सरकार का कोई हाथ नहीं रहता है। जो सुझाव हम देंगे उनका पालन वह किस प्रकार से करेगी? वह कह देगी कि जहां तक माध्यमिक शिक्षा का संबंध है वह इंटरमीडिएट बोर्ड करेगा। विश्वविद्यालय के संबंध में हम सुझाव देंगे तो सरकार कह देगी कि यूनिवर्सिटी में जाइये, वह आटोनामस बाडीज हैं वहीं यह होगा। इसलिये मैंने कहा कि हमारे लिये कोई सुझाव देना असम्भव हो जाता है क्योंकि सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकेगी और जो कुछ कर सकेगा वह यहां पर मौजूद नहीं है। फिर भी मैं कुछ बातें अवश्य कहना चाहता हूं।

मेरी पहली प्रार्थना यह है कि सरकार को एक मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन, शिक्षा मंत्रालय खोलना चाहिये। शिक्षा मंत्री तो बहुत दिनों से होते आ रहे हैं लेकिन एक शिक्षा मंत्रालय ऐसा होना चाहिये जो शिक्षा के विषय में, उसकी नीति क्या हो, पढ़ाया क्या जाय, इन बातों का निर्णय करे। मैं यूनिवर्सिटी के आटोनामस बाडी होने का खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरमीडिएट बोर्ड की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी स्वतंत्रता इस विषय में नहीं होनी चाहिये कि शिक्षा की नीति क्या हो, शिक्षा की दिशा क्या होगी, शिक्षा में क्या पढ़ाया जायगा, यह शिक्षा मंत्रालय निश्चित करे। उनको तो सिर्फ इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिये कि अध्यापकों का नियंत्रण कैसे होगा, पढ़ाई किस ढंग से की जायेगी ताकि कोई गड़बड़ न हो। लेकिन इस समय इस बात के लिये मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि शिक्षा मंत्री इस प्रकार की उपेक्षा बरतते रहें। शिक्षा मंत्री पुलिस की भांति यह कहते रहें कि हमारा काम तो निरीक्षण करने का है, नीति निर्धारित करने का नहीं है। ऐसा कहना और समझना उनकी गलत नीति का द्योतक है। इस देश में जितनी जल्दी हो सके उनको प्रयत्न करना चाहिये और शिक्षा की नीति निर्धारित करनी चाहिये।

हमारे प्रदेश में बहुत दिनों तक शिशु शिक्षा नहीं थी। अब यह सोचना है कि ऐसे गरीब देश में उसकी आवश्यकता है या नहीं? यह मैं मानता हूं कि ६ वर्ष के बालक की शिक्षा होनी चाहिये। यह बुनियादी चीज है। लेकिन शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी उन घरों की है जिनके वे बालक होते हैं। अगर कोई मां ऐसी है जो देश का काम कर रही है, नौकरी कर रही है, उसको फुरसत नहीं है कि वह अपने बच्चों की देखभाल करे तो २,३,४ बरस के लिये उसके बच्चों का सरकार प्रबंध करे, जैसा कि रूस और चीन में होता है। लेकिन आप उन माताओं के लिये प्रबन्ध नहीं कर रहेहैं परन्तु उन माताओं के लिये कर रहे हैं जो फैशन में लगी रहने के कारण अपने बच्चों की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं समझतीं। मैं समझता हूं सरकार को इस शिशु शिक्षा में ज्यादा रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो एक पुस्तक हमें दी है उसमें मैं देखता हूं कि ऐसी अध्यापिकाओं को शिक्षित करने का आप प्रयत्न कर रहे हैं जो शिशु कक्षाओं में शिक्षा देंगी। इसके लिये प्रान्त में एक विद्यालय है जिसमें १३ अध्यापिकाएं हैं और २३ पढ़ने वाली। १८ से यह प्रारम्भ हुआ था और पिछले वर्ष एडमीशन उदारता के साथ किये जाने के कारण उनकी संख्या २३ हो गयी। इस प्रकार जहां पढ़ने वाली २३ हों और पढ़ाने वाले १३ हों, यह उस धन का दुरुपयोग है। एक गरीब देश ऐसी अध्यापिकाओं की शिक्षा पर इतना रुपया व्यय नहीं कर सकता। पहले आप का ध्येय यह होना चाहिये कि आप प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध करें तब इस प्रकार की शिक्षा की ओर जायें।

सन् १९४७ में आपने उत्साह के साथ कहा कि १० वर्ष के अन्दर प्राथमिक शिक्षा को १०० प्रतिशत कर देंगे और २२ हजार स्कूल खोलेंगे। यह तीन वर्ष की रफ्तार से मालूम भी हुआ और उस बीच में आप ने ११ हजार स्कूल खोल दिये, लेकिन पता नहीं उन तीन वर्षों के बाद क्या

हुआ कि अब किसी वर्ष ३ स्कूल किसी वर्ष ५ और किसी वर्ष ७ स्कूल खुलकर रह जाते हैं। यह रफ्तार आपकी प्राथमिक स्कूलों के बारे में है। अब जब से नियोजन का कार्य प्रारम्भ हुआ है तब से इसको कुछ गति दी गयी है लेकिन वह गति भी पर्याप्त नहीं है। मेरा तो मत है कि प्राथमिक शिक्षा को तेजी के साथ लागू न किया जाना देश के साथ अपराध है। जब तक कि वोट को देने वाले लोग कम से कम पांच वर्ष तक पढ़ते लिखते नहीं हैं तब तक वे जनतन्त्र में सहायक नहीं हो सकते। इसलिये इसको जल्द से जल्द गति दी जिये। इस पर आप जो ३ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, वह काफी नहीं है। अगर आप अपने इस संकल्प के अन्दर इसको नहीं कर सकते तो २-४ बरस बाद ही इसको कर दीजिये। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि जिस रफ्तार से आप इसमें चल रहे हैं, वह इतनी मन्द है कि १५-२०-२५ वर्ष में भी आप १०० प्रतिशत इसको न कर सकेंगे, इसलिये इसको जल्दी कीजिये।

अब इसके लिये रुपया कहां से आयेगा, इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बतला सकता; सिर्फ एक शिकायत जरूर करता हूं कि अभी तक हमारी शिक्षा पर जो खर्चा है वह उन्नत देशों से बहुत कम है। अगर आप पूरे बजट के खर्चे को देखें तो उस हिसाब से शिक्षा का बजट बहुत कम है। एक जगह आपने गर्व के साथ जरूर कहा है कि शिक्षा पर हमने एक करोड़ रुपया बढ़ा दिया है, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि हमारा पूरा बजट १३-१४ करोड़ बढ़ गया है जब पूरा बजट १३-१४ करोड़ बढ़ गया जिसमें से खींच कर एक करोड़ रुपया आपने शिक्षा पर बढ़ा दिया, तो उससे शिक्षा के प्रति आपने कोई विशेष बात नहीं की। जब सब बजट बढ़ा है, वहां शिक्षा का भी बजट बढ़ा है तो उसमें आपकी कोई तारीफ नहीं है। मैं फिर आप से प्रार्थना करता हूं कि आप उन देशों की तरफ देखें जो जनतांत्रिक देश कहे जाते हैं, वहां बजट का ४० प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाता है। श्रीमन्, एक देश तो वे हैं जो अपने बजट का ५० प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करते हैं और वे जल्दी तरक्की कर गये, और अगर आप को भी जल्दी तरक्की करनी है तो कम से कम प्राइमरी शिक्षा को जल्दी से जल्दी १०० प्रतिशत तक पहुंचा दें। यह शर्म की बात है कि हम अभी तक अपने प्रदेश में ३३, ३४ प्रतिशत आदमियों को ही शिक्षित बना सके हैं। केन्द्रीय सरकार की जो लिस्ट निकली है उसमें उड़ीसा को छोड़ कर हमारे प्रदेश का नाम सबसे नीचे है, और उस प्रदेश का नाम सब से नीचे है जो ५० वर्ष पहले ऊपर रहा है। तो इस कलंक को दूर करने के सम्बन्ध में हमको जल्दी करनी चाहिये।

इस विषय पर मैं एक बात जरूर कहता हूं और वह यह कि रुपये की कमी की वजह से अगर आप और काम रोकना चाहें तो रोक दें। जैसे दर्जा ६ तक की फीस आपने अभी तक माफ रखी है और अब दर्जा ७, ८ पर आना चाहते हैं, या नहीं आना चाहते हैं---यह तो आप जानें, लेकिन मैं जरूर पसन्द करूंगा कि अगर दर्जा ७, ८ तक की फीस माफ करने की वजह से रुपये की कमी पड़ती है तो जब तक आप प्राइमरी शिक्षा को पूरी तरह से पूरा न कर लें तब तक के लिये इस फीस माफी को रोके रहें और इस बीच प्राइमरी शिक्षा देने का प्रयत्न आप कीजिये।

प्राइमरी शिक्षा के बारे में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो आंकड़े आपने दे रखे हैं उनके देखने से एक बात मेरी समझ में नहीं आयी। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि आप का जो स्कूल है लड़कों का, उस एक स्कूल में तो औसतन ९० लड़के पढ़ते हैं और लड़कियों के स्कूल में औसतन १८० लड़कियां पढ़ती हैं, यानी लगभग दुगनी लड़कियां प्रत्येक स्कूल में पढ़ा करती हैं। ये आंकड़े ऐसे सुन्दर मालूम होते हैं कि इन आंकड़ों को देख कर हमेशा यह इच्छा होती है पूछने की कि जब पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी आती है तो फिर लड़कियों की शिक्षा अभी तक पिछड़ी क्यों है। अगर लड़कियों की संख्या स्कूलों में ज्यादा है तो सरकार को चाहिए कि उनकी तरफ विशेष ध्यान दे जिस से प्राइमरी शिक्षा बढ़ाने में हमें मदद मिल सके। अगर प्राइमरी शिक्षा आगे बढ़ जाय तो हम माध्यमिक शिक्षा में भी इतने पिछड़े नहीं रहेंगे। जब स्कूलों में लड़कों की संख्या औसत ९० आती है और लड़कियों की १८० आती है, तो मेरी प्रार्थना है कि प्राइमरी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा बढ़ाने के सम्बन्ध

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

में लड़कियों के साथ उदारता का व्यवहार किया जाय। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो जो खर्च आप शिशुशिक्षा पर आज करना चाहते हैं या खर्च करने जा रहे हैं उससे बच जायेंगे क्योंकि जब मां शिक्षित हो जायंगी तो यह आवश्यक नहीं है कि शिशु शिक्षा पर अधिक रुपया व्यय किया जाय। शिशु शिक्षा का भार तो उन माताओं के ऊपर ही रहेगा इसलिए उस पर खर्च करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक प्राइमरी शिक्षा का सम्बन्ध है अगर उस बारे में हम हमेशा के लिए नीति निर्धारित नहीं कर सकते तो कम से कम काम चलाऊ नीति तो निर्धारित हो ही जानी चाहिए। प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में सभी इस से सहमत हैं कि कम से कम प्राइमरी शिक्षा हर एक नागरिक को मिलनी चाहिए, इस से कम शिक्षा किसी नागरिक को नहीं देनी चाहिए। प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में हमें यही अपना ध्येय और उद्देश्य बनाना चाहिए। जब हम माध्यमिक शिक्षा पर आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हम देश के हर नागरिक में माध्यमिक शिक्षा के समाप्त होने पर एक नागरिक की हैसियत उनमें पैदा कर दें। अगर आपका देश समाजवाद की ओर जा रहा हो या पालीवाल जी के कहने के मुताबिक रामराज्य की तरफ जा रहा हो, या पूंजीवाद की ओर जा रहा हो, इस से मुझे बहस नहीं है, बहस यह है कि समाज का हम ऐसा ढांचा तय कर दें, देश का ढांचा ऐसा तय करें कि उस के अनुकूल, उस के अनुरूप प्राइमरी शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तित कर दें। माध्यमिक शिक्षा के बाद लड़के यह महसूस न करें कि जिन्दगी में उतरने के लिए अभी और शिक्षा की आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा के बाद अगर उनको यह महसूस होता है कि अभी हम काबिल नहीं हुये, अभी हम जीवन में काम नहीं चला सकते और अभी उस के लिए हमें और शिक्षा लेने की जरूरत है तो मैं कहूंगा कि यह माध्यमिक शिक्षा की कमजोरी है, और वह कमजोरी कहीं न कहीं है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा की रूपरेखा बदलिये, उस को पूर्ण बनाइये जिस से लड़कों को जिस क्षेत्र में जाना हो समाज के, उस में वह चले जायं, और उन्हें किसी प्रकार की और अधिक शिक्षा लेने की जरूरत न रह जाय। इस पर मैं जोर इस लिए देता हूं कि आजकल माध्यमिक शिक्षा के बाद लड़कों की शिक्षा समाप्त नहीं होती हालांकि उन की कोई भूख ग्रेजुएट होने या एम० ए० होने की नहीं है। लेकिन उन के पास अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, काम करने का समय है लेकिन इन्हें काम की जगह नहीं मिलती। नतीजा यह होता है कि जिस के पास काम नहीं, वह अन्धाधुन्ध युनिवर्सिटीज में घुस जाते हैं और वहां ओवरक्राउडिंग होता है और वहां तमाम अनुशासन आदि के प्रश्न उठते हैं।

एक महाशय ने सुझाव दिया है कि यूनिवर्सिटीज में भर्ती के कुछ बन्धन होने चाहिए कि जिस से लड़के वहां कम जायं और अब यूनिवर्सिटीज में ऐसे खान्दानों के लड़के जाते हैं कि जो पहले नहीं जाते थे। उस का नतीजा यह है कि तरह-तरह की खराबियां वहां अब पैदा होने लगी हैं। मैं प्रार्थना करूंगा उन महाशय से कि यह सुझाव इस देश के लिए उचित नहीं है। आज हमारे देहातों में ९० प्रतिशत जनता रहती है, आज वह भी शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है, वह शहरों में रहने वाले परिवारों के मुकाबिले में कम्पीट नहीं कर सकती और अगर ऐसा नियम बनाया जाता है कि केवल फर्स्ट और सेकिन्ड क्लास ही लड़के यूनिवर्सिटी में लिये जायेंगे तो उस के अर्थ यह होंगे कि आप ने निर्णय कर लिया कि हम केवल उन खान्दानों को ही शिक्षा देना चाहते हैं, जो सैकड़ों वर्षों से शिक्षित हैं और उन को नहीं देना चाहते जिन्होंने अभी शिक्षा आरम्भ की है। इसलिए मेरे विचार से विश्वविद्यालयों में लड़के कम करने के लिए इस प्रकार के नियम न बनाये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--अभी आप और समय चाहेंगे ?

श्री देवीप्रसाद मिश्र--जी हां।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय राजनारायण जी वाक-आउट न करें तो आप समय कुछ और ले लें। (हंसी)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—साधुसम्मत निर्णय आप करेंगे तो हम वाक आउट क्यों करेंगे।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़े इस को तो मैं मानने को तैयार हूं लेकिन मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि डिवीजन के अनुसार लड़के लेकर उन की तादाद घटायी जाय। जरूरत इस बात की ही है कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन के लिए लड़कों की जो भूख है उस को कम किया जाय और वह तभी सम्भव हो सकता है जब हम माध्यमिक शिक्षा में पूर्णता ला दें और आगे पढ़ने की आवश्यकता लड़कों में महसूस ही न होने दें। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मजबूरी है। यूनिवर्सिटी की तरफ ज्यादा लड़के दौड़ेंगे। इस की तरकीब यही है कि विश्वविद्यालय और बढ़ाये जायं और कालेजेज की संख्या भी बढ़ायी जाय, मगर विश्वविद्यालयों के बजाय कालेजेज की संख्या अधिक बढ़ायी जाय, क्योंकि वहां की शिक्षा सस्ती पड़ती है। माध्यमिक शिक्षा क अपूर्ण होने और दूषित होने के कारण ही विश्वविद्यालयों की समस्या जटिल हुई है।

यूनिवर्सिटी शिक्षा के सम्बन्ध में मैंने बताया कि वे आटोनामस बाडी हैं। एक विश्वविद्यालय कुछ पढ़ाता है दूसरा कुछ पढ़ाता है, कोर्स भी अलग-अलग रहते हैं। अगर कोर्सेज का मुकाबला करें, तब भी पता नहीं चलता कि किस ध्येय से कार्य हो रहा है। यहां तक कि ग्रेजुएशन भी तरह-तरह के हैं, एक युनिवर्सिटी बी० टी० और एल० एल० बी० के पोस्ट ग्रेजुएट मानती है और दूसरी उन को ग्रेजुएट मानती है और पढ़ाने वालों को ग्रेजुएट का वेतन देती हैं। तो उन के पढ़ाने में और डिग्री में तो भेद हैं ही, उन के अध्यापकों में भी भेद है। आटोनामस के माने स्वच्छंद रख लिये गये हैं। बाकी तो जो चाहें करें, लेकिन कम से कम अध्यापकों के विषय में तो एक कन्ट्रोल होना ही चाहिए; लेकिन वाइस चांसलर के एम्प्वाइन्टमेंट के मुताल्लिक भी दखल दिया जाय इस का मैं विरोध करता हूं,। यह गलत चीज है। लेकिन पढ़ाया क्या जाता है, क्या नीति है, यह तो आप को देखना ही चाहिए। आप समाजवाद की ओर जा रहे हैं और समाजवाद की मूल धारणा यह है कि शिक्षा में आपका हाथ होगा और आप उसमें अपनी सम्मति ेंगे, क्योंकि समाजवाद की शिक्षा अगर आप नहीं बतायेंगे कि क्या दी जा सकती है तो वह कैसे बतायेंगे कि जिन्होंने समाजवाद लाने का बोझ अपने सिर पर नहीं लिया है? इस लिए इस तरफ जल्दी बढ़ा जाय।

डिसिप्लिन की बात कई मर्तबा कही गयी है और कई ढंग से कही गयी है। क्या कारण हैं उस के, इस पर मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो सुझाव इस हाउस में दिये गये हैं, उन से न सहमत होने के कारण मैं वर्णन करना चाहता हूं। एक बड़े भारी अनुभवी आदमी ने सुझाव दिया है कि धार्मिक शिक्षा का अभाव है। यही मूल कारण है अनुशासनहीनता का। अगर मैं इसका विरोध करूं तो आप मुझे अधार्मिक न समझ लें। अधार्मिक न होते हुये भी मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। स्कूल में पहले तो धार्मिक शिक्षा दी नहीं जा सकती है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा, सदाचार की शिक्षा, मुंह से नहीं दी जा सकती है बल्कि सदाचार से दी जा सकती है। हम अध्यापक ऐसे हों जो दुराचारी हों और वहां बैठकर मनुस्मृति वगैरह का उच्चारण करें तो वह शब्द भी मुंह से निकलते ही पतित हो जायेंगे। इस लिए धर्म की शिक्षा की बात न करें। मुझे ईसाइयों के स्कूल की धार्मिक शिक्षा का भी अनुभव है और महामना मालवीय जी के स्कूल का भी है। धार्मिक शिक्षा देने वाले पोप समझे जाया करते हैं जिसका अर्थ हम समझते हैं कि जिनका आचरण ढोंग से भरा हो। अगर आप धार्मिक शिक्षा देने का प्रयत्न करेंगे तो २५ वर्ष के नीचे का विद्यार्थी, जिसका मन और बुद्धि धर्म के प्रति वह नहीं है जो होनी चाहिए, उस को ग्रहण नहीं करेगा और उसकी मखौल उड़ाई जायेगी और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए अनुशासनहीनता दूर करने का कोई दूसरा उपाय सोचिये।

एक बात अध्यापकों के बारे में कह दूं। आप ने वेतन-क्रम बढ़ाया इस के लिए बधाई है, हालांकि अध्यापक होने के नाते मुझे मालूम है कि वह रुपया मेरे पास पहुंचा नहीं है। साल

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

भर पहले इस बात की घोषणा हुई कि इतना मिलेगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं। हम अनुमान करते हैं कि मिल जरूर जायगा।

दुनिया भर में मंहगाई है। क्या आप समझते हैं कि विद्यालय वालों के लिए मंहगाई नहीं है? या तो आप यह निर्णय कर दें कि जित क्षेत्र में विद्यार्थी और शिक्षक रहते हैं उतने क्षेत्र में मंहगाई का असर नहीं पड़ता। अगर आप यह समझते हैं कि दाल, गेहूं आदि वहां ज्यादा सस्ता मिलता है और दूसरी जगहों पर मंहगा मिलता है, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है और वैसी ही मंहगाई है और उसका असर शिक्षकों के ऊपर वैसा ही पड़ता है जैसा कि दूसरों के ऊपर, तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि जिस उदारता के साथ आपने वेतन का ध्यान किया है उस से अधिक उदारता के साथ मंहगाई पर विचार कीजिये। वेतन-क्रम का असर तो किसी पर ५ वर्ष में और किसी पर १५ वर्ष में पड़ेगा, तात्कालिक असर नहीं पड़ता, यदि जल्दी फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो सब से अच्छा और सुन्दर तरीका है कि आप मंहगाई पर विचार करें। यह बात इसलिए और कह रहा हूं क्योंकि पता नहीं सही है या नहीं, हम लोगों को मालूम हुआ है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में बड़ी उदारता की नीति बरत रही है। बहुत से सूबे केन्द्र से मंहगाई बढ़ाने की बात पर बहुत ज्यादा रुपया ले जाते हैं। शर्तें जो लगाते हैं वह कोई कड़ी नहीं है और काफी रुपया वह ले जा कर अपने अध्यापकों को दे रहे हैं। आपकी जानकारी इस विषय में ज्यादा होगी। अगर यह बात सही है तो केन्द्रीय सहायता लेकर अध्यापकों की दशा सुधारने का, मंहगाई भत्ता कर सुधारने का जल्दी ही प्रयत्न किया जाय क्योंकि हम और आप इस बात को मानते हैं कि शिक्षा का रूप चाहे जो कुछ हो, नीति चाहे जो कुछ हो, प्रबन्ध चाहे जो कुछ हो, लेकिन जब तक शिक्षक सन्तुष्ट नहीं है, उस की दशा जब तक ठीक नहीं है तब तक शिक्षा कामयाब नहीं हो सकती है। मूल आधार तो शिक्षक है। जब शिक्षक सन्तुष्ट है तभी शिक्षा में उन्नति हो सकती है। सलिए कम से कम शिक्षकों पर ध्यान रख कर के, जो समाज का सब से उपेक्षित वर्ग है, आप उन को मंहगाई जरूर देंगे।

एक बात मैं जरूर दोहरा दूं, जैसा पालीवाल जी ने कहा कि शिक्षा का स्थान और उसका वातावरण बड़ा पवित्र है, अगर हमारे या किसी और के बारे में थोड़ा भी संदेह किया जाता है, और हमारे लड़कों द्वारा ही किया जाता है तो और भी अधिक घृणित चीज है, और ऐसे व्यक्तियों को जहां तक हो सके शिक्षालयों में स्थान न दिया जाना चाहिये।

*श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि धर्म का विश्लेषण जिस समय हुआ शिक्षा के संबंध में तुरंत ही आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको कोटिशः धन्यवाद है।

मान्यवर, मैं शिक्षा के बजट का समर्थन कर रहा हूं। इस नाते समर्थन कर रहा हूं कि बहुत दिन से इसी लाइन में रहा और स्कूलों को देखा, अध्यापकों को देखा, सरकार को देखा, शिक्षा मंत्रियों को देखा। एक वह समय था जब हर तहसील में एक एक स्कूल हुआ करते थे, अगर किसी की चिट्ठी आती थी....

मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर मेरा भाषण अच्छा हो तो मुझे भी समय कुछ ज्यादा दे दिया जाय क्योंकि मुझे बहुत बोलना है।

श्रीमन्, एक समय ऐसा था कि चिट्ठी आ जाती थी तो गांव के आदमी २, ३ मील दूर पर आ कर उसे पढ़वाते थे। बहरहाल, महात्मा गान्धी की तपस्या और आप सब के सहयोग से देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस तरह से सब चीजों में वृद्धि हुई, शिक्षा की तरफ भी जो साधन थे उन साधनों के अनुसार कार्य-क्रम आरम्भ हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे धर्म के बारे में ही बोलना है, लेकिन उसके पहले यह बता दूं कि हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ी है, प्रारंभिक माध्यमिक, कालेजेज और विश्वविद्यालयों की, सब की तादाद बढ़ी है और जो प्रतिशत लगाया जा रहा है वह सचमुच, जैसा कि देवी प्रसाद जी ने बताया, कम ही है इस प्रदेश के लिये लेकिन यह सरकार की लापरवाही से नहीं है। सरकार को अगर पैसा मिल जाय और सब साधन मिल जायं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम शत प्रतिशत इसी साल कर दें। लेकिन देखना यह भी होगा कि आखिर करें कैसे? १६, १७ करोड़ का जो बजट है हमारी आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति ढाई या तीन रुपया पड़ता है, यह न्यून है, इसको बढ़ाना चाहिये।

मैं इस राय से सहमत हूं कि एक चौथाई भार शिक्षा का सरकार के ऊपर है। सचमुच इसमें कोई शक नहीं है कि जितने हायर सेकेंडरी स्कूल्स होंगे उनमें सरकार के द्वारा संचालित केवल ५० ही होंगे। १२४ डिग्री कालेजेज हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। उनमें से ६२ को आप सहायता देते हैं जिनमें से ३ सरकार के हैं और इन तीनों को कई लाख रुपया सरकार देती है। बाकी जनता द्वारा चालित हैं और ६२ तो ऐसे हैं जिनको सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। जो नियम हैं उनको तोड़ने का कोई नियम नहीं। असेम्बली में चिल्लाते-चिल्लाते मर जाइये लेकिन २-३ वर्ष के पहले कुछ नहीं देते। इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ और न उम्मीद मालूम होती है। जनता का इसमें बड़ा सहयोग है। जनता का इतना बड़ा सहयोग न होता तो सरकार ५,६ या १० फीसदी से ज्यादा शिक्षा नहीं बढ़ा सकती थी। इसलिये सरकार को उसके प्रति ऋणी होना चाहिये। जनता ने ठोकर ली और दरदर परेशानियां उठाईं, उसके लिये सरकार को बहुत आभारी होना चाहिये।

कुछ मझे सुझाव देने हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें शिक्षा मंत्रालय अच्छी तरह से चाहता है कि यह काम हो जाय लेकिन विभाग जो है वह नहीं चाहता है। बड़ा भारी काम इस शिक्षा मंत्री के काल में यह हुआ कि अध्यापकों की वेतन वृद्धि हुई। आजादी प्राप्त होने के बाद कई मंत्री हुए, लेकिन किसी का ध्यान उधर नहीं गया। सचमुच अध्यापक उपेक्षित थे और सचमुच पूजनीयों का पूजन नहीं हो रहा था। शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान उधर हुआ। शिक्षा कमेटी में मैं हूं, बड़े प्रयत्न हुए। उनकी वेतन वृद्धि हुई और यह एक बड़ा ऐतिहासिक कदम शिक्षा मंत्री का इस सम्बन्ध में रहा। लेकिन कोई मेम्बर यह समझ ले कि हम इतना ही करना चाहते थे और नहीं बढ़ा सकते थे तो यह गलत होगा। इच्छा थी, लेकिन साधन हमारे पास कम हैं जिनके कारण हम मजबूर हैं, और जब साधन हाथ में होंगे तो मुझे विश्वास है कि शिक्षा मंत्री उस ओर दृष्टि करेंगे।

दूसरे मुझे यह कहना है हिन्दी साहित्य रत्न अध्यापकों के बारे में। दो वर्ष का कोर्स होता है और वे इंटरमीडिएट कक्षाओं को पढ़ाने के लिये क्वालिफाइड हैं। अब वहां यह है कि क्वालिफाइड होता है १२ वां दर्जा पढ़ाने के लिये लेकिन तनख्वाह देने के लिये क्वालिफाइड नहीं है। १२० रुपये वह नहीं पाता। दूसरा अगर ग्रेजुएट हो कर जाता है, वह पढ़ाता है, उसके पढ़ाने पर अधिक पास नहीं होते, तब भी उसे १२० मिलते हैं और इसमें कोई दुरुस्तगी नहीं आ रही है। एक जी० ओ० है जो सन् १९५७ में भेजा गया है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि दो वर्ष का कोर्स किये हुए हों साहित्य रत्न और रिफ्रेशर कोर्स उसमें रखा हुआ है, तो उनको आप १२० दे दें। लेकिन उसको स्कूलों में अब भी नहीं माना जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी आजमगढ़ गये थे। प्रबन्धकों को संकेत करके कहा कि आप कुछ बढ़ा दें, हम भी करने जा रहे हैं। हमने बढ़ा दिया। रिफ्रेशर कोर्स की कुछ व्याख्या की। एक टीचर था, रिफ्रेशर कोर्स किया था। मैंने उठा कर एल० टी० ग्रेड दे

[श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी]

दिया उसके लिये एतराज किया जाता है कि क्यों आपने दिया। उसके लिये कहा गया कि आधा खर्चा आप देते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप काट लें लेकिन अब जो हम कर बैठे हैं उसे आप क्यों काटते हैं। रिफ्रेशर कोर्स ३ महीने का है। उसमें कौन-सी बड़ी विद्वत्ता आ जाती है। ४०-४५ साहित्य रत्न ऐसे हैं जिनकी योग्यता अच्छी है, विद्वत्ता अच्छी है और इसलिये इस पर विचार करके उनकी तनख्वाहें बढ़ा देना चाहिये।

शिक्षा मंत्री का एक गुण यह भी है कि जिस विभाग को लेते हैं वह तो आसमान पर चढ़ जाता है लेकिन जिसको छोड़ते हैं वह लुप्त हो जाता है। जैसे सिंचाई जब लिये हुए थे तो यह मालूम होता था कि गंगा-यमुना बह रही हैं और तमाम ट्यूबवेल्स निकल गये। तो इनके लिये क्या मुश्किल बात है। ऐसी दशा में मैं जरूर चाहता हूं कि जो क्लर्क हैं उनके साथ जरूर कुछ उदारता बरती जाय। अबकी बार कुछ आश्वासन ही दे दीजिये। हर क्लर्क २४ घंटे का सेवक है, जब जरूरत होती है बुला लिया जाता है। वह कह रहा है कि मेरा कौन-सा अभाग्य है कि इतने उदार शिक्षा मंत्री के युग में भी मेरे से पीछे लोग आयें लेकिन इम्तहान दे दे कर अच्छे ग्रेड पाने लगे और मैं वैसा ही रहा। इसलिये मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री महोदय ने जिस तरह सब को प्रसन्न किया उसी तरह से क्लर्कों के ऊपर भी वह ध्यान दें।

धार्मिक शिक्षा के बारे में आइये। जैसा कि मिश्र जी ने बताया, मैं धार्मिक शिक्षा के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन अगर धार्मिक शिक्षा लायी गयी तो उससे हानि हो सकती है। मैं समझता हूं कि "धार्मिक" शब्द का जो अर्थ उन्होंने लगाया है वह ठीक नहीं लगाया और जिन लोगों ने इन्हें धार्मिक शिक्षा दी है उनके प्रति जो शब्द उन्होंने उद्धृत किये हैं कदाचित वह वैसे रहे हों या न रहे हों लेकिन धार्मिक शिक्षा का जिन्होंने सम्पादन किया है कदाचित उनका तात्पर्य यह होगा कि पहले यह देखा जाय कि वह किस प्रकार की शिक्षा हो। आजकल तो खिचड़ी मिला दी जाती है। तो जहां पर खिचड़ी होगी, काम बिगड़ जायगा। आप शत प्रतिशत शिक्षा कर लें, जिन विचारों का आदान-प्रदान आज हो रहा है उन विचारों को ले कर चाहे जितने स्कूल खुल जायं, नैतिक पतन रुक नहीं सकता। विचार करना है कि हम शिक्षा संस्थाओं द्वारा कैसी शिक्षा दें कि हमारा नैतिक स्तर ऊंचा हो। पहले यह था कि जब लड़का गर्भ में आता था तो एक संस्कार हुआ करता था। संस्कार विहीन समाज और व्यक्ति, सब नष्ट हो जाते हैं। तो हम वहां से चलेंगे। उसमें कोई अधिक पैसा भी खर्च नहीं होता है। उन संस्कारों का पुनरुत्थान हो और उनको सब लोग करें। जब लड़का ५ वर्ष का हो उस समय हमारे यहां विद्यारम्भ का नियम चलता है और वहीं से धार्मिक शिक्षा का आरम्भ हो। जैसा उन्होंने बताया, एक वातावरण होना चाहिये। सिनेमा घर में जा कर धार्मिक शिक्षा पढ़ेंगे, मैं तो कभी सिनेमा घर में गया नहीं लेकिन सड़कों पर तस्वीर देखता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--इस मामले में राजनारायण जी भी आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। (हंसी)

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी--मैंने आज सोचा है कि अगर आप आज्ञा दें तो राजनारायण जी की एक कुंडली मैं बनाऊं और उनका ग्रह-चक्र एक आपके पास हो, जो अध्यक्ष हों और एक उनके पास हो तो काम चल जायगा।

श्री राजनारायण--एक माननीय सम्पूर्णानन्द के पास भी भेज दीजिये।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी--मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसा वातावरण हो उसी के अनुकूल काम हुआ करता है। वातावरण तो सब चौपट है। जूते पहन कर दो श्लोक अगर आपने पढ़ भी लिये तो क्या होता है। मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे अध्यापक और विद्यालय नालन्द और तक्षशिला की तरह से हों। अगर नालन्द और तक्षशिला के

विद्यार्थी और अध्यापक ढोंगी और कमजोर थे तो जरूर धार्मिक शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जानी चाहिये, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरा यही मत है कि हमारे शिक्षालय तक्षशिला के बराबर हों। मैं तो बराबर चिल्लाता हूं कि इधर से और उधर से जितने भी सुझाव आये हैं सब आधुनिक ढंग के हैं। पार्लियामेंटरी पद्धति को मैं बिलकुल गलत समझता हूं क्योंकि यह हमारे देश के आचरण, संस्कृति और वेशभूषा के बिलकुल विपरीत है। कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता कि संध्या हो, पूजन हो, हवन हो।

आज सब अपने बच्चे पढ़ाने लगे। सभी जा कर पढ़ने लगेंगे तो अनुशासन बिगड़ जायगा। जिनकी पैत्रिक प्रतिष्ठा थी, जो उस काम के लिये बनाये गये थे, वह पढ़ते-लिखते थे पढ़ाई अच्छी होती थी। इसी लिये पहले वीर, मेधावी और योद्धा निकलते थे। अब सब को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो अध्यापक हों वह आचारवान हों, अंग्रेजी पद्धति के नहीं बल्कि प्राचीन पद्धति के आचारवान हों। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जैसे आपने बहुत बड़े-बड़े काम किये वैसे शिक्षा विभाग की एक वेशभूषा हो। शिक्षा विभाग के अध्यापक और अफसर जो हैं उनकी एक अलग पोशाक हो। जिस तरह से पुलिस वाले और मिलिटरी वालों को देखते ही मालूम हो जाता है कि वे पुलिस या मिलिटरी वाले हैं उसी प्रकार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को देखने से पता चल जाय कि ये शिक्षा विभाग के हैं। शिक्षा विभाग का डाइरेक्टर शुद्ध आहार-विहार वाला हो, भस्म और चन्दन लगाने वाला हो, पगड़ी बांधने वाला हो।

अब मैं अनुशासनहीनता के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। समें बहुत से सुझाव आये हैं। मेरे भी दो तीन सुझाव हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अनुशासनहीनता की समाप्ति के लिये जरूरी है कि छात्र यूनियनें समाप्त हों। राजनीतिक पार्टी के लोग लड़कों के मामले में कभी मत जायं इसकी हृदय से शपथ लें। अभिभावकों से सम्पर्क हो, विद्यार्थियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट और चरित्र सम्बन्धी रिपोर्ट अभिभावकों के पास भेजी जाया करें। अभिभावकों की मीटिंग बुलायी जाया करे। अध्यापक पूरे संयमी हों। पार्टी-बन्दी में जो आयें उनको तो निकाल ही देना चाहिय क्योंकि उनका अनुशासनहीनता में कम हिस्सा नहीं है। विद्यार्थियों का कोई आन्दोलन तब तक नहीं चल सकता जब तक उस स्कूल के अध्यापक उसमें सम्मिलित न हों।

इसके बाद मैं आप से यह भी निवेदन करूंगा कि पढ़ाई-लिखाई में कुर्सी मेज न रखी जायं। पढ़ाई हो या न हो लेकिन हजारों का फर्नीचर तोड़ा जाता है। दरी पर लड़के बैठें और चौकियां हों जिन पर पुस्तकें रखें। संस्कृत वही पढ़ाएं जो शुद्ध संस्कृत जानने वाले हों, अंग्रेजी न जानते हों। तभी जा कर वह ठीक पढ़ा सकेंगे।

एक निवेदन और है। हाई स्कूल की परीक्षा के सम्बन्ध में तीसरी श्रेणी समाप्त कर दी जाय।। तृतीय श्रेणी का विद्यार्थी किसी तरफ का नहीं रहता। शिक्षाविद् लोग इसको सोचें और इसको समाप्त कर दें तो बहुत अच्छा है क्योंकि दूसरे साल में वह पढ़ लेगा।

खैर, हम लोगों ने भूलें कीं, अगर हम भूल न करते तो सरकार को आज यह सुनने का मौका न मिलता, कुछ गलतियों में हम फंसे। श्रीमन्, मैं आपको यह बताता हूं कि ये गवर्नमेंट आफ इंडिया से फिगर्स मंगावें, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो बनी हुई है उसके लिये इनके पास ऐग्री-कल्चर का स्टाफ आज तक नहीं है, कहीं किसी तरह से भी नहीं दे सकते, सारा काम उनका ठप हो जायगा। लेकिन फिर भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनके यहां एक नियम बना हुआ है कि दो वर्ष, तीन वर्ष तक हम एक पैसा भी नहीं देंगे। आप यह करें कि मान्यता मत दें, मान्यता रोक दें, लेकिन दो-तीन वर्ष तक लाख-लाख रुपया एक-एक वर्ष में खर्च होता है, इससे कम नहीं लगता है, तो तब तक आप एक पैसा भी न दें, यह कौन-सी अच्छी बात है? वित्त मंत्री से कहते हैं तो उनका अपना नियम बना हुआ है, शिक्षा विभाग वाले लिखते-लिखते

[श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी]

मर जाते हैं, उनसे पूछते हैं तो वह कहते हैं कि वह नहीं मानते; तो यह मानने-मनवाने में बकरा मर गया। इसलिये मैं चाहता हूं कि जैसे शिक्षा मन्त्री ने कई लाख रुपये अपने बल पर प्राप्त करके इतना बड़ा ऐतिहासिक काम कर डाला और अध्यापकों को वेतन दिला दिया, वैसे ही हमारे पूर्वी जिलों में इसके सिर्फ दो ही ऐसे स्कूल हैं, और, श्रीमन्, जब उनका परीक्षा फल अच्छा होता है, काम में भी वह अच्छे साबित होते हैं तो क्या यह नियम उनके लिये बदल नहीं सकता है? इस दो वर्ष के अन्दर किसी तरह वह संस्था बन्द हो जाय या उनके कार्यकर्त्ता का हार्ट फेल हो जाय तो सरकार के ऊपर उसका बड़ा भारी कलंक होगा और सरकार हर तरह से उसके लिये उत्तरदायी होगी। ऐसी हालत में मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें और इस नियम को तोड़ें।

*श्री छेदी लाल (जिला खीरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह अंग्रेजों की चलायी हुई शिक्षा प्रणाली चल रही है और यह सरकार भी जिस शिक्षा प्रणाली की बछिया बांधकर के और उसकी पूंछ पकड़कर के यहां शिक्षा चलाना चाहती है, मैं समझता हूं कि इसमें यह सरकार जरूर फेल होगी। आज जो शिक्षा चलायी जा रही है उससे सैकड़ों ग्रेजुएट हमारे देहातों में गरीबों के ऊपर लाद दिये जाते हैं और वह जा कर के वहां कुछ नहीं करते। शिक्षा जो दी जाती है उसमें ज्यादातर उन आदमियों के बच्चे होते हैं जिनके पास खानदानी पेशा है और अगर उनके घर में चार भाई हैं तो चारों भाई नौकरी ही करना चाहते हैं, तो वह अपने बच्चों को ऐसी ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। उनको नौकरी चाहे मिल जाय लेकिन हम ऐसे गरीब असहाय अछूतों को आज कोई साधन नहीं मिलता है। जैसा कि अभी हमारे एक महात्मा जी ने कहा है कि शिक्षा उन्हीं को दी जाय जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो पहले से पाते थे, तो मुझे कुछ ऐसा अन्दाज लगा कि अगर ऐसी शिक्षा दी गई तो हम ऐसे अछूत गरीबों का कोई उससे कल्याण नहीं होगा। सरकार की तरफ से जो उच्च शिक्षा दी जाती है उसको दिलाने के लिये हमारे पास कोई साधन नहीं हैं और अगर कोई गरीब लड़का किसी तरह से पढ़ भी जाता है तो उसको अच्छी नौकरी नहीं दी जाती है। १८ पर सेंट के अन्दर अगर नौकरी उसे मिल भी जाय तो अफसर तो वह होते हैं और मातहत हम लोग बनाये जाते हैं। शिक्षा का आज यह हाल है और जितने बड़े-बड़े कालेजेज हैं, विश्वविद्यालय

(इस समय १ बज कर ३४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता श्री, वीरसेन, पीठासीन हुए।)

वगैरह हैं वे सब शहरों में ही खोले जाते हैं। देहातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं अपने जिले खीरी का कुछ हाल आपके सामने बताना चाहता हूं। हमारे जिले खीरी में लखीमपुर शहर को छोड़कर बाकी पूरी तहसील में कुल चार जूनियर हाई स्कूल हैं जो कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं उसका रकबा लम्बाई में करीब ८० मील के है और चार परगने उसमें हैं। लेकिन उन चार परगनों के अन्दर सिर्फ चार जूनियर हाई स्कूल या मिडिल स्कूल खुले हुए हैं। बाकी कोई स्कूल नहीं है। मैंने अपने जिले में घूमकर देखा है कि ५,५ और ४,४ हजार की आबादी है लेकिन वहां पर कोई स्कूल नहीं हैं। लड़कियों के स्कूल की यह दशा है कि हमारी तहसील में कोई स्कूल नहीं है। जब मैं कभी जिला परिषद् में यह कहता हूं कि लड़कियों के लिये स्कूल या प्राइमरी स्कूल और खोले जायं तो हमारे जिले में, जो उपमंत्री जिला परिषद् के हैं वह एक कांग्रेसी हैं, वह मेरी इस बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं और स्कूलों पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे जिले में अध्यापकों की दशा भी बहुत परेशानी की है। हमारे जिले में आपको मालूम होगा कि वहां पर जो कांग्रेसी कूड़ा- करकट पड़ा हुआ था, उसको लखीमपुर की जनता ने धो कर बिल्कुल साफ कर दिया है। वहां से एक भी मेम्बर चुनकर नहीं आया है। तब भी हमारे जिले के कांग्रेसियों की यह दशा है कि वह मास्टरों पर अपना रोब झाड़ा करते हैं और इसलिये झाड़ा करते हैं कि सारे मास्टर उनसे डरे रहें। मैंने यह देखा है कि एक-एक मास्टर का ५, ५ और ६,६ बार तबादला किया गया है। इस बिना पर तबादला किया करते हैं कि जब उनको यह मालूम हो जाता है कि किसी विरोधी दल के सदस्य या नेता से वह बातें करता है। मैं जानता हूं कि ८०, ७० और ६० मील के फासले पर मास्टरों को भेजा गया है। यह मेरे जिले की जिला परिषद् की हालत है।

अब मैं कुछ हरिजनों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे जिले खीरी में जितने प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल चलते हैं उन स्कूलों में केवल दो अछूत मास्टर हैं। इससे अधिक अछूतों को वहां पर मास्टर के लिये नहीं लिया गया है। जहां तक मेरा खयाल है शायद पांच फी सदी लिया गया है जबकि सरकार की ओर से ५४-५५ में एक आदेश यह निकाला गया था कि हर जिले में वहां के हरिजनों की आबादी के अनुसार अध्यापक नियुक्त किये जायं लेकिन मैं देखता हूं कि आबादी को कौन कहे, पांच फी सदी भी नहीं लिये जा रहे हैं। सरकार कहती है कि हरिजनों के लिये बहुत रुपया खर्च किया जा रहा है। हम इसको मानते हैं लेकिन जो खर्च किया जा रहा है वह ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। सरकार जो अनुदान देती है उसके लिये जिला परिषद् में मैंने देखा है कि २, २ और ३,३ साल की किताबें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले खरीद लेते हैं और उनको लड़कों तक नहीं भेजते हैं। मेरे जिले में १९५४-५५ की किताबें इस साल निकाली गई हैं। वे किताबें जब भेजी गईं तो मालूम हुआ कि वे किताबें तब्दील हो चुकी हैं।

लड़कों को जो वजीफा मिलता है वह समय से उनको नहीं मिल पाता है। जब लड़के पढ़ाई कर चुकते हैं तब मई और जून में उनको वह वजीफा मिलता है। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से लड़के पढ़ाई बीच में ही छोड़ कर बैठ रहते हैं।

अब मैं कुछ आंकड़े, जो सरकारी किताब निकली है, उससे पेश करना चाहता हूं। हमारे खीरी जिले में नहीं बल्कि सारे यू० पी० में ५,९२,५४६ अछूत लड़के पढ़ते हैं। इनमें से ५,७३,६७६ लड़कों को वजीफा मिलता है। इनको ५१,८२,९९५ रुपया वजीफा मिलता है। हिसाब लगाने पर मालूम हुआ कि एक लड़के को साल में ९ रुपया वजीफा मिलता है। क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि कोई लड़का ९ रुपये में साल भर पढ़ सकता है? मैंने अपने जिले खीरी के आंकड़े पढ़े तो मालूम हुआ कि केवल ८,१३९ लड़के जिला खीरी में पढ़ते हैं। इनमें ११ लड़के डिग्री कालेज में पढ़ते हैं जबकि डिग्री कालेजों में ६००, ७०० लड़के पढ़ते हैं। अछूतों के लड़के केवल ११ ही हैं। सरकार कहती है कि अछूतों पर काफी रुपया खर्च कर रहे हैं। हमारे जिले खीरी में अछूतों की आबादी २,६५,००० है पर उन पर क्या खर्च किया जा रहा है यह देखा जा सकता है।

नौकरी की बाबत में निवेदन करूं कि सन् १९४७ में जब अंग्रेजों ने हमारे देश की हुकूमत छोड़ी थी, उस समय कुल गजटेड अफसर ३२,००२ थे, तब अछूत १६ थे और सन् ५५ में जब हमारे गजटेड आफिसर्स ५,५८० हो गये उस समय अछूतों की संख्या ७० थी। माननीय मंत्री जी इसके बाद भी कहते हैं कि वह अछूतों की तरक्की कर रहे हैं। १८ परसेंट के हिसाब से इस समय हमारे गजेटेड अफसर ९५२ होने चाहिये और इस तादाद को देखते हुए ७० बहुत कम हैं।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस शिक्षा के अनुदान पर बोलने का मौका दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० जी० दत्त]

तालीम इंसान की जिन्दगी में एक जरूरी मसला है क्योंकि जिस इंसान को इल्म नहीं है, तालीम नहीं है वह हैवान की तरह है। इल्म ही से परमात्मा मिलता है, इल्म ही से नजर की रोशनी मिलती है और इल्म ही एक ऐसी चीज है कि जो किसी मुल्क या कौम को ऊपर उठा सकती है। इस वास्ते हर मुल्क में तालीम एक बड़ी अहमियत रखती है और यह कोई मामूली मसला नहीं है, यह एक बड़ा जरूरी मसला है और इसके ऊपर गौर करने की अशद जरूरत है। मैं यह मानता हूं कि तालीम का महकमा अपनी पूरी जद्दोजहद से, अपनी पूरी कोशिश से काम कर रहा है, जहां तक उससे होता है वह अपने फर्ज को अंजाम देता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इतने मदरसे खुलने के बाद, इतने कालेज और स्कूल खुलने के बाद, लड़कों की तादाद बढ़ने के बाद, और यह जो तालीम में परिवर्तन करने पड़े उसके बाद भी कुछ गड़बड़ी हुई। कुछ इंतजाम में गड़बड़ी हुई, कुछ एजूकेशन के ढांचे को ढालने और बदलने के लिये जो कमेटियां बैठीं उन्होंने ऐसा मालूम होता है कि पूरी तरह से अपना काम नहीं किया। मैं यह समझता हूं कि बच्चों की तालीम, प्राइमरी शिक्षा की अशद जरूरत है। क्योंकि अगर प्राइमरी तालीम के उस्ताद हाईली ट्रेन्ड न हुए और बच्चों को माडर्न वे से तालीम न दी गयी तो वे सच्चे मानों में एजूकेटेड नहीं हो सकेंगे। जब तक उनको अच्छी एजूकेशन न दी जायगी वे नेशनल स्पिरिटेड नहीं हो सकेंगे। आज कल की तालीम से नेशनल स्पिरिट बच्चों में नहीं आ रही है और उसका असर यह होता है कि उनमें इंडिस्पिलिन आ रहा है। वे नहीं सोचते कि देश का हमारे ऊपर क्या हक है, टीचर का हमारे ऊपर क्या हक है, सेवा किस प्रकार करनी चाहिये, ये सब चीजें उनको नहीं सिखायी जातीं। यह बहुत जरूरी है कि ऐसा प्रास्पेक्टस रखा जाय कि उनको नेशनल टीचिंग दी जा सके, नेशनल स्पिरिट उनमें आये। मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा मैंने सुना है इंग्लैण्ड में खास कर और दूसरे मुल्कों में भी नेशनल टीचिंग बच्चों को दी जाती है और ज्यों ही बच्चा स्कूल से निकलता है वह अपने देश का बड़ा भक्त होता है और देश के लिये वह किसी हालत में भी कुर्बानी दे सकता है। जापान में भी इसी तरह की टीचिंग है। लेकिन हमारे यहां टीचिंग का नया तरीका है। यह सब से जरूरी चीज है कि उसके ढांचे को बदला जाय। मैं भी एक मास्टर रह चुका हूं और उसके साथ ही लैंगुएज मास्टर भी रह चुका हूं। मैं जानता हूं, बच्चों को तालीम देने का तरीका ऐसा होना चाहिये जिससे वे पढ़-लिख कर कुछ कर सकें।

दूसरी चीज यह है कि टीचर्स भी उनकी परवाह नहीं करते क्योंकि उनको भी तमाम परेशानियां घेरे रहती हैं, किसी के यहां बीमारी है, किसी की तनख्वाह कम है, किसी के यहां कुछ परेशानी है, किसी के यहां कुछ है। टीचर यह समझता है कि किसी तरह से स्कूल का टाइम खत्म हो और वह जाकर कोई ट्यूशन आदि करे जिससे उसके घर का खर्च चल सके। मैं जानता हूं कि हमारे देश में टीचरों की वह इज्जत नहीं है जो दूसरे मुल्कों में है। इंगलिस्तान में यह है कि अगर कोई टीचर बादशाह से मुलाकात करने जाता है तो बादशाह खड़ा हो जाता है, लेकिन यहां यह है कि स्टूडेन्ट्स टीचर्स को उनके सामने खड़े होकर गाली देते हैं। तो यह कमी कहां है? वह कमी उन बच्चों में है, उनके पढ़ाने के जो तरीके हैं उनमें है, टीचर्स में है, कहां है? इसको हमें देखना है। हमें देखना है कि आज डिसिप्लिन क्यों नहीं है। यह जो हमारी किताबें हैं उनमें कोई ऐसी शिक्षा नहीं है क्या? हमें इसको भी देखना है। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे उनका मारेल ऊंचा हो, उस शिक्षा का कुछ मारेल इफैक्ट हो। जहां तक मैं इस सम्बन्ध में देखता हूं, आज कल, अपने इलाके में भी और दूसरी जगह भी, एक बिजनेस लाइन पर स्कूल खुलते जा रहे हैं। किसी ने देखा कि उस व्यक्ति ने प्राइमरी स्कूल खोल दिया है, इनकम अच्छी हो रही है, दूसरे ने भी खोल दिया और सरकार ने उसको एड भी दे दी। इसके अलावा फैक्टरी की तरह से इसके शिफ्ट चलते हैं। किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि शिफ्ट होने चाहिये, लेकिन मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। स्कूलों में शिफ्ट सिस्टम के मैं खिलाफ हूं। (लाल बत्ती जलने पर) मुझे, अधिष्ठाता जी, थोड़ा-सा समय और दिया जाय। तो मैं यह चाहता हूं कि फैक्टरी बेसिस पर यह स्कूल नहीं चलना चाहिये।

अब स्कूल जो हैं उनमें टैक्नीकल शिक्षा होनी चाहिये। मैंने पहले भी कहा कि हाथ की दस्तकारी वगैरह की शिक्षा उनमें दी जाये ताकि जो बच्चे मैट्रिक पास करके निकलें वे कुछ कमा सकें और वे बेरोजगार न रहें। सरकार को इस तरफ खास ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी एक शब्द भी न सिखायी जाय, मैं इसके खिलाफ हूं। मेरे मित्र राजनारायण जी को जरूर अंग्रेजी से घृणा है, किन्तु वे अपने भाषण में उसका प्रयोग करते हैं। मैं यह कहता हूं कि अंग्रेजी जबान जो है उसके अन्दर दुनिया का हर इल्म है। बहुत-सी बातें हमारी हिन्दी में नहीं हैं। हमारे यहां बच्चों को आज न पूरी तरह हिन्दी ही आती है और न अंग्रेजी ही आती है और न संस्कृत ही। इसलिये इस ओर हमें देखना चाहिये। आज जितने भी आई० ए० एस० के इम्तिहान होते हैं उनमें यू० पी० के जितने लोग बैठते हैं सब फेल हो जाते हैं। इसी तरह से इन्जीनियरिंग के इम्तिहान में भी यही होता है। जितनी भी किताबें हमारे यहां इंजीनियरिंग की हैं वे सभी अंग्रेजी में हैं। अंग्रेजी पढ़ने से ही कोई व्यक्ति पापी नहीं हो जाता है और न देशद्रोही हो जाता है। अंग्रेजी की नालेज उनको होना चाहिये और एक स्टैन्डर्ड कायम करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता, मैं ऐसा नहीं हूं कि देश द्रोही हूं, मैं भी नेशनल हूं। मैं चाहता हूं कि हिन्दी चले और अच्छी तरह से चले, एक नेशनल जबान हमारी भी हो और हमको उस पर फख्र हो, लेकिन जब शुरुआत ही ऐसी कि मैं पंजाबी हूं, मैं बयान करता हूं कि मैं हिन्दी नहीं जानता, बूढ़ा तोता हूं, उसको सिखाना बहुत मुश्किल है ....

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुख है कि सदन के सम्मुख शिक्षा की जो मद स्वीकृति के लिये पेश है उसके लिए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ रहा है। जिस प्रदेश में सिर्फ १४.९ फी सदी लोग साक्षर हैं, उस प्रदेश के लिए शिक्षा में अधिक से अधिक धन की व्यवस्था होती, यह ज्यादा हितकर होता। परन्तु इस प्रदेश की सरकार ने शिक्षा के प्रति जो रुख, रवैया और ढंग अपना रखा है उसके कारण मुझे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ रहा है।

मैं फीरोजाबाद की तरफ से यह कह सकता हूं कि फीरोजाबाद मे जितने भी इंटर कालेज हैं वे सब ऐसे हैं जिनको कालेज के नाम से पुकारना कालेज के नाम की बदनामी होगी, वे दुकानें हैं। वहां अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए प्रयास कराया जाता है। प्राइमरी शिक्षा के दूसरे और और तीसरे दर्जे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इन कालेजों में छठवीं कक्षा में प्रवेश कर लिया जाता है। उन बालकों की बुद्धि का विकास किस प्रकार हो सकता है ? मैंने इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स, आगरा, को लिखा, समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया, प्रमाण दिये वहां अध्यापकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होती है वरन्, अध्यापकों की नियुक्ति का क्रम अब वहां इस तरह से होता है कि जो अध्यापक जूनियर हाई स्कूल में नियुक्ति चाहता है तो वह जूनियर हाई स्कूल की कक्षा में कम से कम ३० नये विद्यार्थियों का प्रवेश करा दे। यदि वह हाई स्कूल और इंटर में नियुक्ति चाहता है तो वहां ३० छात्र नये प्रवेश करा दे, उसकी नियुक्ति उस स्कूल और कालेज में खुली हुई है। तो आज विद्यार्थियों को प्रवेश कराने की संख्या का कोटा पूरा करने पर अध्यापकों की नियुक्ति होती है और अध्यापक अपनी नियुक्ति के लिए बिना किसी स्टैन्डर्ड के जो विद्यार्थी मिल जाता है, दूसरे स्कूल में जो फेल हो रहा है छठवीं कक्षा में उसको दूसरे विद्यालय में ७वीं कक्षा में प्रवेश करा देता है। जहां इस तरह की बेईमानी, इस तरह की कार्यवहियां चल रहीं हों, सरकार का ध्यान मैंने इससे पूर्व आकर्षित किया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तो मैं यह समझता हूं कि सरकार की भी इसमें मौन स्वीकृति है। जो सरकार देश व विदेश के अन्दर यह ढिंढोरा पीटने मे अपने को गर्वित महसूस करती है कि हमारे प्रदेश में स्कूलों की संख्या इतनी बढ़ गयी, क्या उस सरकार ने कभी यह भी सोचा है कि आज उसके द्वारा संचालित स्कूल, कालेज और

श्री जगन्नाथ लहरी]

डिग्री कालेजों के विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर कितना गिरा है ? आज जब उनका स्तर इतना गिर गया है तो उसका दोषी वह स्कूल का अध्यापक नहीं है, बल्कि हमारी यह सरकार भी है।

अधिष्ठाता महोदय, ये स्कूल बेईमानी के अड्डे बने हुए हैं। क्या सरकार को पता नहीं कि प्राइवेट और एडेड चलने वाले स्कूल सरकारी अनुदान और बच्चों की फीस पर ही चलते हैं, मैनेजमेंट अपना कोई भी कांट्रीब्यूशन नहीं करता ? स्कूल के फर्नीचर, साइंस और दूसरे कामों के लिए जो मदद मिलती है उसमें फर्जी बिल, वाउचर दिये जाते हैं। एक हजार अगर गवर्नमेंट से ग्रांट है और एक हजार रुपया मैनेजमेंट को लगाना है तो मैनेजमेंट कुल ८०० रुपये का फर्नीचर खरीदता है और ढाई हजार के बिल व वाउचर सरकार के सामने पेश कर देता है। जहां तक प्रधानाध्यापक और मैनेजर दोनों के ताल्लुक ठीक रहते हैं तब तक बेईमानी चलती रहती है और उसके बाद जैसे ही प्रधानाध्यापक और मैनेजर के ताल्लुक बिगड़े कि प्रधानाध्यापक के ऊपर गबन की तलवार चला दी जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फीरोजाबाद के इंटर कालेजों के कितने ही निर्दोष प्रिन्सिपलों को इस दुर्नीति के कारण ही अपने स्थान से अलग होना पड़ा। तो क्या सरकार ने कभी यह सोचा है कि जो फर्नीचर ८०० रु० की कीमत में आ सकता था उसके लिए ढाई हजार रुपये के बिल वाउचर उसके सामने कैसे आ गये ?

मुझे दुख होता है इस बात को कहते हुये भी कि बैकवर्ड और अछूतों के लिये जो छात्रवृत्तियां मिलती हैं उसमें किस तरह की बेईमानी होती है। इस संबंध में मैं जिला आगरे की मिसाल देना चाहता हूं---श्री छत्रपति अम्बेश यहां पर इस समय उपस्थित नहीं हैं---जब विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिये प्रार्थना-पत्र लेकर हरिजन कल्याण बोर्ड में आता है तो उसके इस बेइमानी के कार्य में हम हाथ बंटाते हैं, उसके फार्म में लिखा होता है कि आमदनी इतनी और उस पर संरक्षक या उसके पिता गारन्टी करते हैं कि यह सही है और उस पर हस्ताक्षर होते हैं एम० एल० ए० के, एम० पी० के और वह आर्थिक दशा के लिये जिला अधिकारियों से प्रमाण पत्र ले आते हैं लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं और चैलेंज करता हूं कि अगर किसी को शक हो तो किसी भी स्कूल के विद्यार्थी के फार्म को लेकर जांच करा ली जाय तो आपको मालूम हो जायगा कि वह फार्म स्वयं विद्यार्थी भरता है और उसके पिता या संरक्षक को कोई जानकारी नहीं होती है न उनके हस्ताक्षर ही होते हैं। तो जो विद्यार्थी सब प्रकार की बेईमानी करता हो उससे आप क्या आशा कर सकते हैं ? मैंने कई बार उनसे कहा कि जब तुमने पिता के हस्ताक्षर बना लिये और मेरे हस्ताक्षर भी बना लो; अगर तुम्हें किसी सरकारी नौकरी में रख दिया गया तो तुम किसी बिल पर अफसर के जाली दस्तखत बनाकर गबन कर दोगे। मैंने श्री अम्बेश जी से कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे मालूम है कि ९० प्रति शत ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने पिता या संरक्षक के दस्तखत खुद ही कर लेते हैं तो वह कह देते हैं कि वजीफा तो देना ही है, आप अपना काम करते रहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन विद्यार्थियों में इतना नैतिक पतन हो गया है, जिन प्रबंधकों में इतना नैतिक पतन हो गया है और दुकानों की तरह से वे स्कूलों को चला रहे हैं उनसे आप क्या आशा कर सकते हैं कि वहां से पढ़कर विद्यार्थी अच्छे नागरिक बनकर आयेंगे। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले के ऊपर अध्यापकों का एप्वाइन्टमेन्ट हो उनका क्या बौद्धिक स्तर ऊंचा होगा ? यह कोरी कल्पना है। जब तक हम अपनी रीति नीति वास्तविकता के ऊपर नहीं करेंगे इस देश के बालकों का सुधार नहीं हो सकता।

अधिष्ठाता महोदय, मुझे अपनी बातों को कहने में आपके समय की पाबन्दी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में इतना रुपया शिक्षा पर खर्च करने के बाद भी और इतनी बड़ी संख्या में स्कूल और कालेज खोलने के बाद भी आज क्या हालत है। अभी दत्ता साहब ने अपने भाषण में इस बात का संकेत किया कि आई० ए० एस० और दूसरी सर्विसेज में यू०पी० के विद्यार्थी सफलता नहीं पाते हैं। उन्होंने इसीलिये कहा क्योंकि हमारे यहां का शिक्षा का स्तर काफी गिरा हुआ है। तो अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे यहां बालकों का स्तर ऊंचा हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बालक सभ्य नागरिक बनें तो आवश्यकता इस

बात की है कि आज जो धोखा दे वाले स्कूल हैं--चाहे स्कूलों की भले ही संख्या कम हो जाय--उनको सहायता देना तत्काल बन्द कर देना चाहिये। आज सरकार जो फर्नीचर या साइन्स के सामान आदि के लिये रुपया देती है उसके लिये उचित यह है कि वह स्वयं ऐसा सामान खरीद कर दे दिया करे और रुपया उनको न दिया जाया करे। लेकिन आज सरकार को भी सामान किस कीमत पर मिलता है उसे हम यहां लखनऊ में ही दारुलसफा में देख सकते हैं। वहां पर ओवरसियर ने आठ तख्त सप्लाई किये हैं जो कि उस खुद बनवाये हैं। जो तख्त बीस पच्चीस रुपये में बाजार में मिल सकता था उसके लिये १४० रुपया देकर टू तख्तों के तख्त हम लोगों को दिये गये हैं। सन् १९५२ में दारुलसफा के सामने सीमेन्ट की कुछ सड़क बनी थी वह जहाँ बहुत अच्छी हालत में है वहां उसके मुकाबिले में बनी हुई दारुलशफा के सामने वाली नयी सड़क, सीमेंट की, जो अभी दिसम्बर-जनवरी में बनाई गई और वह टूट फूटने लगी है। आज सरकार के मिनिस्टरों को इतनी फुरसत नहीं है कि अपनी नाक के नीचे पी० डब्लू० डी० के लोगों के गड़बड़ घुटाले को देखने की कृपा कर सकें। चारों ओर लूट मची हुई है। अगर शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य शिक्षा देना है तो इन व्यापारिक संस्थाओं को तत्काल बन्द कीजिये।

श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

सबसे पहले मुझे यह कहना है कि हमारे भाई माननीय देवीप्रसाद जी ने कहा कि हमारी शिशु-शिक्षा बेकार है, यह उन महिलाओं के लिये चलाई गई है जो फैशन-परस्त हैं या क्लबों में जाती हैं। आज हमारे समाज का स्टैन्डर्ड कितना ऊंचा हो गया है कि उन्होंने स तरह से हमारी बहनों को आंका। हो सकता कि कुछ महिलायें ऐसी हों। उन्होंने कहा कि उन महिलाओं के लिये जो नौकरी करती हों या देश सेवा करती हों, उनके बच्चों के लिये स्कूल खोले जावें। मेरा निवेदन है कि आज हमारे समाज में ऐसी महिलाओं की संख्या ज्यादा है जो मजदूरी, नौकरी या देश-सेवा करके गुजर करती हैं। उनके लिये जरूरी है कि ३ से ५ साल के बच्चों के लिये स्कूल खोले जावें। देश के भावी नागरिक हमारे बच्चे ही हैं। हमारी प्रारंभिक शिक्षा की दशा बहुत गिरी हुई है। यह शिक्षा अन्तरिम जिला परिषदों के अन्तर्गत है जो सुचारुरूप से प्रबंध नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार वहां के अध्यापकों के लिये कुछ सहायता देती है जो अपर्याप्त है। विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार हमारी अंतरिम जिला परिषद् अध्यापक नहीं रख सकती हैं और ठीक से शिक्षा-दीक्षा नहीं हो पाती है। इसलिये मंत्री जी बच्चों की संख्या को देखते हुये अन्तरिम जिला परिषदों में अध्यापकों की इतनी पूर्ति करदें जिससे हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी तरह से चल सके।

हमारे प्राइमरी स्कूलों की इमारतें बहुत ही जीर्ण और क्षीर्ण अवस्था में हैं। प्लानिंग विभाग से जो पंचायत घर बनाये जाते हैं अगर उनमें ही प्राइमरी स्कूल शिफ्ट कर दिये जावें तो बच्चों को बैठने की जगह मिल सके और गांव की इमारत भी काम में आ सके। साथ ही साथ अगर प्राइमरी स्कूलों में पुरुष अध्यापकों की जगह महिला अध्यापिकायें रखी जावें तो ज्यादा उचित होगा। यह बात निर्विवाद है कि जितना अच्छा महिलायें बच्चों को पढ़ा सकती हैं उतना अच्छा पुरुष नहीं पढ़ा सकते हैं।

एक सदस्य--इतनी महिलायें मिलेंगी कहां से ?

श्रीमती सियादुलारी--मिलने के लिये समाज कल्याण विभाग ज्वलंत उदाहरण है। कठिनाई यह होती है कि पुरुष अध्यापक तो कहीं भी रह सकते हैं परन्तु हमारी महिलायें बच्चों के साथ हर जगह नहीं रह सकतीं। सलिये उनके लिये मारत का प्रबंध होना चाहिये। तभी महिलायें मिल सकती हैं। यह प्रश्न भी इसके साथ उठता है कि क्या इतना बोझा उठाया जा सकता है। लेकिन जब हम शिक्षा से समाज में परिवर्तन चाहते हैं। तो कुछ त्याग करना ही होगा। इसके लिये पैसा खर्च करना ही होगा।

[श्रीमती सियाबुलारी]

हमारे विद्यालयों में सभी प्रकार के स्कूल आते हैं, जैसे जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिग स्कूल या विश्वविद्यालय उनको उपमा एक फैक्टरी से दी जा सकती है जिसमें अपना निज का उत्पादन होता है। हमारी इन विद्यालय-रूपी फैक्टरियों का उत्पादन हमारे विद्यार्थी ही हैं। उनको उत्पादन शक्ति को उठाने के लिये उन्हें स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है, न कि हम उन्हें मशीन की तरह शिक्षा दें और वे बाबू बनने के लिये दफ्तरों के दरवाजे खटखटाते फिरें। अगर सभी बाबू बनने लगेंगे तो हमारे हाथ के कामों को जैसे खेती इत्यादि हैं, इन्हें कौन सम्भालेगा? शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि विद्यार्थी अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हो सकें, न कि वह सरकार के लिये बोझ बन जावें और आये दिन यहां प्रश्न हो कि बेकारी बढ़ती जा रही है।

आज कहा जाता है कि हम केवल १४ प्रति शत शिक्षित हुये हैं। कुछ भी हो, गुलामी के बाद हम आगे बढ़े हैं। यह सोचना कि हम सारा मैदान एक दिन में ही जीत लें, सम्भव नहीं है। अन्धकार से निकल कर प्रकाश में जाने के लिये हमें संघर्ष करना होगा।

कहा जाता है कि धर्म के आधार पर शिक्षा दी जाय। अगर भारत में धर्म-भेद या जाति-पांति चली तो इसके कारण गुलामी रही और इसी कारण हम वर्गों में विभाजित हुये और आज सवर्ण और हरिजन का प्रश्न इसीलिये हमारे सामने उपस्थित है। अब युग आ गया है कि जब मानवता की शिक्षा देनी चाहिये, न कि धर्म विशेष की। हम सब भारतवासी हैं। हमारा पुराना तिहास बताता है कि हमारे धर्म-भेद का फायदा हमेशा बाहर वालों ने उठाया। पूज्य बापू ने हमें स्वतंत्रता दिलाई लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें अकेले उनका ही हाथ था। देश के ४० करोड़ लोगों की शक्ति उनके हाथ में थी। इसलिये शिक्षा में एकता और आत्म-निर्भरता लाई जाय। अनुशासनहीनता हो रही है या आज लोगों के चरित्र पर शक किया जा रहा है, इसका कारण हम और आप हैं। जो कुछ हम करते हैं वहीं हमारे पीछे चलने वाले करते हैं। क्या नेतागण यह नहीं समझते कि उनके चाल चलन और व्यवहार का ही हमारे सबके ऊपर असर पड़ता है? समाज को सुधारने के लिये पहले अपने चरित्र को सुधारना होगा। जो कुछ हम कहें उसे पहले करके दिखावें, दूसरे लोगों से कहने से पहले अपने ऊपर लागू करें। हमारी मंजिल अभी बहुत बाकी है। हमारे सामने बड़े-बड़े संघर्ष हैं जिनसे लड़कर ही हम उन्नति कर सकते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—अधिष्ठाता महोदय, वर्ष में एक दिन और उस एक दिन में भी कुछ घंटे हमें शिक्षा पर विचार करने के लिये यहां दिये जाते हैं। इसी बीच में जो भी सुझाव भिन्न-भिन्न व्यक्ति माननीय मंत्री जी को देते हैं, उनमें से भी जो वे पसन्द करते हैं, अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करने की कृपा करते हैं। हमें विचार यह करना है कि शिक्षा का हमारा लक्ष्य क्या है। क्या हमारी गुलामी के समय में हमारा जो शिक्षा का लक्ष्य था उसमें हम कोई परिवर्तन कर सके हैं। अंग्रेजी समय में हम शिक्षा प्राप्त करते थे गुलामी करने के लिये, नौकरी पाने के लिये और दफ्तरों का बाबू कहलाने के लिये। आज १३ वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या शिक्षा के लक्ष्य में हम कोई परिवर्तन कर पाये हैं? आज भी हम समझते हैं कि हमारी शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को देवता बनाना तो दूर मनुष्य बनाना भी नहीं है, मनुष्य को आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान का ऐसा भंडार बनाना नहीं है जिसको मनुष्य की वास्तविक उन्नति कहा जा सके। केवल यह लक्ष्य है कि उसको नौकरी योग्य बनाना, जिससे वह अपनी जीविका उपार्जन कर सके। जब तक हम अपने इस लक्ष्य में परिवर्तन नहीं कर पाते तब तक आधुनिक शिक्षा भी हमें ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंचा सकती।

मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि आज जब हम अपनी शिक्षा का आदर्श बदलकर उसके स्तर को ऊंचा करने का प्रयत्न नहीं करते फिर हम यह शिकायत क्यों करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों के चरित्र में गिरावट है और वे अनुशासनहीन होते चले जा रहे हैं। इस बारे में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक समाज में अध्यापकों का स्तर ऊंचा नहीं किया जाता तब तक शिक्षा और शिक्षितों का स्तर भी ऊंचा नहीं हो सकता। मैं इस प्रश्न पर अपना दृष्टि-

कोण ेश करना चाहता हूं। आज जहां तक हमारी प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों की समाज में क्या प्रतिष्ठा है? गांवों में ही जो सरकारी कर्मचारी हैं—लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी, वी०एल०डब्लू अथवा ग्राम सेवक, उन सब के मुकाबिले में आज ग्राम के प्राथमिक शिक्षा के अध्यापक को क्या आपने ऊंचा स्थान दिया है? वेतन की दृष्टि से उसको सबसे कम वेतन मिलता है। स्थान की दृष्टि से भी समाज में उसको सबसे कम प्रतिष्ठा मिलती है। समाज में सबसे कम अधिकार और सबसे कम प्रतिष्ठा प्राइमरी अध्यापक को दी जाती है, उन ग्रामीण अधिकारियों के मुकाबिले में। वह सबसे निम्नश्रेणी का व्यक्ति समझा जाता है। जब तक आप उसको वेतन और सामाजिक स्तर की दृष्टि से ऊंचा नहीं करें तब तक उसके पढ़ाये हुये विद्यार्थियों का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता।

अगर हम माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों की हालत देखते हैं, चाहे वे जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक हों या हायर सेकेन्डरी स्कूल के शिक्षक हों, तो हमें मालूम होता है कि उनका स्तर भी हमने ऊंचा नहीं किया है। हमारे जिलों में जो भी उत्सव होते हैं हम उन विद्यालयों के प्रमुख आचार्यों को अथवा अध्यापकों को सभ्य समाज में सबसे पीछे बिठाने का प्रयत्न करते हैं। क्या अध्यापकों का आदर हम अपने समाज में उस दृष्टि से करते हैं जैसा कि हमको करना चाहिये? जहां हम अध्यापकों को एक ओर उचित वेतन भी नहीं देते दूसरी ओर वह आदर भी नहीं देते जिसके कि वे पात्र हैं तो क्या हम उनके साथ न्याय करते हैं? मेरे विचार में उनको किसी भी उत्सव में, किसी भी जलसे में सबसे अगली कतार में बैठने का स्थान मिलना चाहिये चाहे उनका वेतन सब से कम ही क्यों न हो। ऐसा करने से वे समझेंगे और उनको गौरव अनुभव होगा कि हम बच्चों को शिक्षा देते हैं इसलिये समाज हमारा आदर करता है। समाज में आदर पाकर अध्यापक भी अपने मन से शिक्षक होने का गौरव अनुभव करेंगे और अपने विद्यार्थियों के हृदय में शिक्षा के प्रति वैसी ही ऊंची भावनायें भरने का प्रयत्न करेंगे जिससे शिक्षित होने पर वे समाज सेवी और राष्ट्रसेवी बनना अपने जीवन का आदर्श बनावें।

इसके बाद विश्वविद्यालय के स्तर पर विचार करें तो हम देखते हैं कि आपने वहां के अध्यापकों के स्तर को उठाने का प्रयत्न अवश्य किया है, लेकिन आपने विश्वविद्यालयों को आटोनामस बाडी बना कर उनको साधारण समाज से इतना दूर कर दिया कि समाज में मिलने का तथा नये समाज के अनुकूल अपने आप को बनाने का हम शिक्षक और शिक्षार्थियों को अवसर ही नहीं देते। इसका परिणाम यह होता है कि विश्वविद्यालयों में एक पृथक् समाज की रचना वे अपने लिये करते हैं और उसी के अनुसार एक निराला वातावरण विश्वविद्यालयों में तैयार होता रहता है, जिसका परिणाम होता है अनुशासनहीनता और आये दिन काशी, लखनऊ अथवा प्रयाग विश्वविद्यालय के जैसे रोमांचकारी काण्ड। अनुशासनहीनता के जहां कई और कारण हैं वहां मैं एक मुख्य कारण इसे भी मानता हूं। आज विश्वविद्यालयों में जिस तरह की शिक्षा दी जाती है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि वह शिक्षा के वर्तमान क्रम पर विचार करें और एक ऐसा शिक्षा क्रम बनावें कि जब विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करता हो तभी से अपनी मातृभाषा में अपना ज्ञान बढ़ाने का अभ्यास करने लगे और जिस समय विद्यार्थी विश्वविद्यालय स्तर पर पहुंचे तो वह अपनी मातृभाषा में ही ऊंची शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ हो सके, तभी वह राष्ट्र और समाज का सेवक बन कर राष्ट्रीय कल्याण के लिये हितकारी सिद्ध हो सकता है और तभी उसके अन्दर ऐसे संस्कार आ सकते हैं जिन संस्कारों की हमारे माननीय चन्द्रबली जी ब्रह्मचारी ने आकांक्षा प्रकट की कि हम ऐसे विद्यार्थी और ऐसे आचार्य चाहते हैं।

श्रीमन्, मैं निवेदन करता हूं कि आज हमारे समाज का स्तर गिर रहा है, हमारे विद्यार्थियों का स्तर गिर रहा है और उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे समाज में अध्यापक वर्ग को वह स्थान नहीं दिया गया है जिसका कि वह अधिकारी है। जब तक समाज इस बारे में अपनी परिपाटी नहीं बदलेगा, जिससे कि अध्यापकों को समाज में उचित स्थान प्राप्त हो सके, तब तक मैं

[श्री देवनारायण भारतीय]

समझता हूं कि हम शिक्षा से वे नतीजे प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिसकी कि हम आकांक्षा करते हैं। श्रीमन्, मैं आपसे संक्षेप में निवेदन करूं कि हमको अपनी शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन करना होगा। पहले जब हम गुलाम थे तो दफ्तरों में नौकरी करने तथा बाबू बनने के लिये ही अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करते थे लेकिन आज हमें अंग्रेजी को छोड़ना होगा। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि माननीय मंत्री जी को इस बात पर विचार करना है कि हम अध्यापकों को समाज में उच्च तथा आदरपूर्ण स्थान देने का प्रयत्न करें ताकि वे समाज में अपने आपको प्रतिष्ठित समझें और समाज भी उन्हें प्रतिष्ठित समझे। इस तरह से वे विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा द्वारा ऐसे स्तर पर ले जाने का प्रयत्न करेंगे जिससे कि आगे चल कर वे समाज के एक उचित अंग बन कर समाज की सेवा कर सकेंगे।

श्रीमन्, एक सुझाव मुझे यह देना है कि माध्यमिक शिक्षा में हमें दस्तकारी (टेकनिकल) शिक्षा का भी अधिकाधिक समावेश करना चाहिये, क्योंकि जैसा कि माननीय देवीप्रसाद मिश्र जी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी के सामने कोई रास्ता नहीं होता, इसलिये वह विवश होकर विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के लिये ख्वामखाह विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होता है। यदि माध्यमिक शिक्षा काल में विद्यार्थियों को दस्तकारी शिक्षा मिल जाय तो वे अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार की तलाश में आज की तरह रोजगार दफ्तरों में मारे मारे न फिरें और न वे विश्वविद्यालय की ओर दौड़ें बल्कि वे उस दस्तकारी के आधार पर जिसे वे स्कूल में सीख चुके हों अपनी रोजी पैदा कर सकें और समाज में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकें। जब तक हम दस्तकारी की शिक्षा अपने माध्यमिक शिक्षालयों में न देंगे तब तक मैं समझता हूं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता।

जहां तक विश्वविद्यालयों के स्तर की बात है मैं पहले भी कह चुका हूं कि वही फिर दोहराता हूं कि जो भी विद्यार्थी वहां जाते हैं उन के लिये हम उन नगरों में जहां वे विश्वविद्यालय हैं सरकार की तरफ से ऐसे काम खुलवा दिये जावें कि जो विद्यार्थी अपने माता-पिता से खर्च लेकर पढ़ते हैं या जो अपना खर्च वहन नहीं कर सकते वे वहां काम कर के कुछ घंटों मेहनत कर के धनोपार्जन कर सकें और स्वावलम्बी बनकर विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें। जबतक यह प्रबन्ध न होगा तबतक अनुशासनहीनता भी बढ़ेगी। मां-बाप के पैसे के बल पर जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं उस पैसे का दुरुपयोग करके ही अनुशासनहीनता सीखते हैं। आजकल बहुत से अच्छे विद्यार्थी धनाभाव के कारण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं इसलिये विश्वविद्यालय के स्तर पर सरकार कोई ऐसा प्रबन्ध करे कि वे विद्यार्थी जो निर्धन हैं, जो हरिजन या पिछड़े वर्ग के हैं वे मेहनत करके अपने स्वावलम्बन के बल पर शिक्षित हो सकें और इस प्रकार धनोपार्जन कर के स्वावलम्बी बन सकें। यदि ऐसा अवसर उनको दिया जायगा तो मेरा विश्वास है कि वह विद्यार्थी अनुशासनहीन न होंगे। जब वे अपने परिश्रम से धनोपार्जन करेंगे तो उन्हें अपनी शिक्षा की ही फिक्र होगी और धन का अपव्यय करना सीख कर अनुशासनहीन नहीं बनेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। शिक्षा की तस्वीर हमारे सामने स्पष्ट होनी चाहिये। शिक्षा का उद्देश्य समाज के लिये अच्छे नागरिक, शिक्षित नागरिक, उपलब्ध कराने का है। आज की जो दशा है वह यह है कि देहात का जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करता है उसको आज गांव में रहने के लिये कोई आकर्षण नहीं है। वह मजबूर है क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति में वह सिवा नौकरी करने के या अन्य ऐसा पेशा ढूंढने के जो कि उसे केवल शहरों में ही मिल सकता है कोई और उपाय उसके पास नहीं है। परिणाम स का यह होता है कि गांव के नौजवान शिक्षा ग्रहण करते हुये गांवों को खाली कर के शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पद्धति को हमें बदलना होगा। आज हमारी शिक्षा हमारे गांवों को हराभरा नहीं बना

पाती है, जो शिक्षित लोग हैं उन से गांव के लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, इस तरफ हमें ध्यान देना होगा ।

मैं बुन्देलखंड की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । अभी-अभी हमारे स्वामी जी ने कहा था कि पहले तहसील में एक इंटर कालेज था, अब तो बढ़ गये हैं । इसमें सन्देह नहीं कि प्रदेश में पिछले दस बारह वर्षों में प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, बहुत विद्यालय खुले हैं, हमारे यहां भी खुले हैं लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि झांसी तथा बुन्देलखंड के अन्य जिलों में बहुत-सी जगह ऐसी हैं कि जहां बावजूद इस सारी प्रगति के एक-एक तहसील में एक-एक इंटर-कालेज या एक हायर सेकेन्डरी स्कूल अभी ही कायम हो सका है । उस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये । जब बुन्देलखंड के पिछड़े हुये क्षेत्र के लिये आप उदारतापूर्वक कुछ अनुदान दें, उसके साथ आप उदारता बरतें । वहां पर अभी पिछले कई वर्ष पहले कोई डिग्री कालेज नहीं था। हाल ही में झांसी और उरई में खुले हैं । विज्ञान का कालेज आज तक बुन्देलखंड में कोई नहीं था । झांसी में गत वर्ष प्रारम्भ हुआ है । उसकी दशा यह है कि अगर सरकार ने उसके साथ उदारता नहीं बरती तो एक वर्ष की उम्र में ही वह समाप्त हो जायेगा। विपिन बिहारी डिग्री कालेज है । यह सबसे पुराना बुन्देलखंड का कालेज है जिसमें राष्ट्र कवि श्री गुप्त जी निकले हैं, उपन्यास सम्राट डाक्टर वृन्दावनलाल वर्मा निकले हैं और इस सदन के माननीय अध्यक्ष ने जहां शिक्षा पाई है । उस कालेज के लिये विज्ञान की कक्षाओं के लिये आप उदारतापूर्वक सहायता करें ।

हमारी जो शिक्षा की नींव का पत्थर है, प्राथमिक शिक्षा, काफी अच्छी संख्या में उसके स्कूल खुले हैं । लेकिन पिछले वर्षों से मैं देख रहा हूं कि जो नया स्कूल खुला उसमें अध्यापक उसी वर्ष का जूनियर हाई स्कूल या आठवीं पास अनट्रेन्ड भेज दिया गया । नतीजा यह होता है कि न तो वह समझता है कि क्या शिक्षा पद्धति है और न समझता है कि कैसे पढ़ाना है और न उसकी दिलचस्पी है । अगर हाई स्कूल भी भेज दिया तो अखबारों में दूसरी जगहों के लिये वह वांट्स देखता है । तो जहां नये स्कूल खुले और जहां एक ही अध्यापक हो वहां योग्य, शिक्षित और अनुभवी अध्यापकों को भेजा जाय क्योंकि वहां पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी । यदि इस नींव के पत्थर, प्राथमिक शिक्षा, को नहीं ठीक किया गया तो हाईस्कूल, डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटी में यही दशा होती रहेगी जो कि चल रही है । इसलिये हमारी सारी शक्ति प्राथमिक शिक्षा की तरफ लगना चाहिये ।

एक निवेदन सरकार से अनुदान की नीति के सम्बन्ध में और करना चाहता हूं । सरकार को जितना अंश देना चाहिये वह आज नहीं दे रही है, उसके सामने मुसीबतें हैं । शहरों में क्लास में बच्चे अधिक हैं और अधिक सेक्शन भी खोले जाते हैं, अध्यापक भी सहूलियत से मिल जाते हैं । लेकिन देहातों में छात्रों की संख्या कम हैऔर अध्यापक भी विशेष सुविधा देने पर मिलते हैं । हमारे यहां मऊरानीपुर है । वहां एक अध्यापक पहुंचे । जिला विद्यालय निरीक्षक ने उनको भेजा। वह सलिये वहां से लौटआये कि वहां बिजली नहीं है, नल नहीं है पानी के लिये । जब यह हमारी हालत हो और उस दशा में अध्यापकों को विशेष सहूलियत देकर बुलावें तो उस पर आडिट में ऐतराज होता है । मेरे ऊपर स्वयं ऐतराज है कि मैंने ३-४ हजार रुपया एक्सेस टीचर्स को पेमेन्ट किया है । इसमें देना पड़ेगा । हम चाहते हैं कि ट्रेन्ड अध्यापक हो तो उनको अधिक वेतन पर बुलाना पड़ेगा । तो मेरा निवेदन है कि देहात के स्कूलों के साथ कुछ अधिक उदारता बरती जानी चाहिये । शहरों में एक सेक्शन में ४५-५० लड़के हैं और देहातों में ३५ हैं । तो उनके सामने मुसीबत पड़ती है ।

दूसरा मेरा निवेदन वह है कि बुंदेलखंड में आज भी और आज से पहले भी कृषि और अन्न के मामले में प्रथम रहा है। तो कृषि कालेज हमारे यहां खुलना चाहिये। राठ में

[श्री सुधामा प्रसाद गोस्वामी]

ब्रह्मानन्द कालेज कृषि विद्यालय खोलने के लिये प्रयत्नशील है। सरकार को उधर भी ध्यान देना चाहिये।

मेरे यहां तालबेहट में मर्दन सिंह इंटर कालेज है। उसके कागजात जिला विद्यालय निरीक्षक अय कार्यालय में ले आये थे और उनका आडिट हुआ सितम्बर में और फिर १२ अक्तूबर से १२ दिसम्बर तक आडिट हुआ, मुझे कत्तई पता नहीं है कि मेरे विरुद्ध उसमें कुछ आरोप हैं। लेकिन मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरे विरुद्ध भ्रष्टाचार या गबन का कोई चार्ज हो तो मैं इस सदन से तथा स्कूल से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं। लेकिन इस तरह से किसी विद्यालय की प्रतिष्ठा में धक्का लगता है कि उसके कागज सील करके रखे हुए हैं और वह कागज हमको आज तक वापस नहीं मिले हैं। पार्टीबाजी के बेसिस पर दूसरे लोगों को दिन-दिन भर कागजात दिखाये जाते हैं, मगर हमको वापस नहीं दिये जाते। मैं शिक्षा क्षेत्र के अधिकारियों के व्यवहार से पूर्णतया प्रभावित हूं और मानता भी हूं कि वे योग्य हैं लेकिन कुछ दिनों से मुझे कटु अनुभव हुआ कि शिक्षा क्षेत्र में ऐसे लोग भी हैं जो पार्टीबाजी में लगे रहते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोका जाय। पार्टीबाजी में शिक्षा वर्ग के अधिकारी न पड़ें तो उचित ही होगा।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—मान्यवर, मैं कटौती के अनुदान का समर्थन करता हूं। जैसे-जैसे हमारे स्कूल और कालेजेज बढ़ते चले जा रहे हैं उसी रफ्तार में शिक्षा की महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है और शिक्षा महंगी होती जा रही है, जिसके कारण गरीब आदमी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाता। १५, २० साल पहले १०, १२ रुपये प्रति माह खर्च करके एक विद्यार्थी हाई स्कूल पढ़ लिया करता था लेकिन आज ९० रुपये खर्च करने पड़ते हैं और उसके कारण भी हैं। एक तो विद्यार्थियों के लिये मैटिनी शो किये जाते हैं, उनमें भी अश्लील गाने, बुरे-बुरे चित्र होते हैं, इनका सेंसर होना चाहिये। जैसे-जैसे शिक्षा कीमती होती चली गई वैसे-वैसे किताबें भी महंगी होती चली गईं और उनकी कीमत को कम करने की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। उनकी कीमतें भी कम होनी चाहिये।

सके अलावा जो आये दिन किताबें बदली जाती हैं उनको न बदला जाय। हम देखते हैं कि सिनेमा की वजह से और अनुशासनहीनता के कारण आज का विद्यार्थी चोरी, डकैती और कत्ल करने में हिचकिचाता नहीं। आज से १० साल पहले कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं पाया जाता था। आज अगर किसी की उपस्थिति स्कूल में लगी भी हुई है तो भी उस पर शक किया जाता है।

मेरा निवेदन है कि शिक्षा को सस्ता बनाना चाहिये ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा मिल सके। हमारा विद्यार्थी-वर्ग अनुशासनहीन और चरित्र-भ्रष्ट होता चला जा रहा है। उसके कारण हैं। हम देखते हैं कि आज से १० साल पहले अध्यापक श्रद्धा के केन्द्र थे और गुरु और शिष्य का सम्बन्ध बड़ा पवित्र था। लेकिन आज वह घृणा के रूप में परिवर्तित हो गया है। जब वह इम्तिहान देने जाता है और मास्टर नकल नहीं करने देता है तो स्कूल में ही उसको चाकू दिखाया जाता है। लाठियों से वह पीटा जाता है और कत्ल कर दिया जाता है। आज हम पश्चिमी सभ्यता के द्वारा पले हुए हैं और प्राचीन परम्परायें हमारे अन्दर विद्यमान हैं तो उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा और हमको सोचना पड़ेगा कि विद्यार्थियों का उत्थान कैसे हो। आज हम यह देखते हैं कि पश्चिम में अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है गुरु तथा स्टूडेंट गर्ल के बीच में तो उस पर कोई आंख भी नहीं उठाता लेकिन हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां गुरू और गर्ल स्टूडेंट के बीच में ऐसी घटना हो जाने पर महीनों यूनीवर्सिटी बन्द हो जाती है। यह आज हमारी नेचर है और डिमांड है कि को-एजूकेशन कालेजेज और स्कूलों के अन्दर नहीं होना चाहिये। इसका परिणाम आपने सुना और देखा भी है कि यहां यूनीवर्सिटियां बन्द रहीं।

आज हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि हमारी शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है, वह स्तर कैसे ऊंचा हो और उसकी सामर्थ्य कैसे बढ़े। आज हम देखते हैं कि १० वर्ष पूर्व २०-२२ लड़के कक्षा में रहते थे लेकिन आज ६०-६० तक भरती कर लेते हैं। मास्टर को यह ज्ञान नहीं रहता कि कौन-सा विद्यार्थी पीछे बैठा है, वह खेल रहा है या सो रहा है, उसके अन्दर कौन-कौन से गुण निहित हैं और कौन-से गुण विकसित करने चाहिये, कौन-से अवगुण खत्म करने चाहिये। संख्या आज इतनी बढ़ गयी है कि अध्यापक को इन बातों का खयाल नहीं रहता। अध्यापक को खयाल क्यों रहे? प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को ४५ रुपये मय महंगाई के मिलते हैं। अध्यापकों के सम्बन्ध में हम (simple living and high thinking) की बात करते हैं वैसे हम हाई स्टैंडर्ड की बात करते हैं। हम अध्यापक के लिये वही पुरानी बात करते हैं कि गुरू और शिष्य का सम्बन्ध होना चाहिये और भूखों मरना चाहिये। हम यह भी देखते हैं कि मैनेजमेंट में टीचर्स भाग लेते हैं जिससे पार्टीबन्दी बढ़ती चली जा रही है। इससे टीचर्स पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान नहीं देते। वे समझते हैं कि कोई चिन्ता नहीं। मैनेजमेंट हमारे साथ है, उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता चाहे रिजल्ट उनका कुछ भी हो। जितने इंटरमीडिएट कालेजेज के मैनेजमेंट्स हैं वहां कभी-कभी दो पार्टियां होती हैं। वर्षों चुनाव नहीं होते और लिटिगेशन होता है। इसलिये वहां भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी कुछ प्रबन्ध करना चाहिये।

जब स्तर की बात आती है तो जितने आई० सी० एस० व पी० सी० एस० के कम्पीटीशंस होते हैं उनमें उन हरिजन व बैकवर्डस की संख्या नगण्य होती है। उनको इसीलिये संरक्षण मिलता है। जितने हरिजन व बैकवर्डस हैं वे सब ट्यूशन करते हैं, रोटी पकाते हैं और अन्य कार्य करते हैं, तब जो कुछ मिलता है उससे पढ़ते हैं। सवर्ण हिन्दू जो हैं जिनके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पूरे साधन उपलब्ध होते हैं और वे १८-१८ घं० पढ़ते हैं। इस तरह जो बैकवर्ड और हरिजन लोग हैं उनका स्तर अपने आप गिर जाता है। उनको किताबें तथा छात्रवृत्तियां मार्च का महीना हो जाता है तो भी प्राप्त नहीं हो पाती है, इसका कारण मैं नहीं समझ पाया क्यों। और फिर उनसे अपेक्षा यह की जाय कि अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा करो। मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार होगा। मैंने कुछ बातें बतायीं कि आज हमारा स्तर क्यों गिरता चला जा रहा है। उसको उल्टा कर दिया जाय तो उपाय अपने आप निकल आता है।

आज यूनिवर्सिटी में भी कुछ दुर्भाति हो रही है। जूनियर टीचर्स का ग्रेड २०० रुपये से स्टार्ट होता था और ४०० रुपये पर खत्म होता था। लेकिन अब ३६० के ऊपर एक एफ़िशियेन्सी बार लगा दिया गया है। तो इसका कौन निर्णय करेगा? इत्तफाक से अगर उसका किसी से झगड़ा हो गया तो वह ३६० से आगे नहीं बढ़ पायेगा। ऐसी सूरत में उस एफ़िशियन्सी बार को खत्म करना चाहिये और जितनी सुविधायें मेडिकल वगैरह की हों वे सब उनको मिलनी चाहिये। उनको यूनिवर्सिटी का सदस्य भी बनाना चाहिये ताकि वे अपनी बुद्धि का विकास कर सकें और जितने भी ग्रेड्स हैं वे सब यूनिवर्सिटी के हिसाब से उनको मिलने चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि पुराना अध्यापक कोई चल रहा है और ३६० पर एफ़िशयन्सी बार हो गया तो वह आगे न बढ़ पाये। उनकी एफ़िशयेन्सी का कौन निर्णय करेगा? इसलिये इस एफ़िशयेन्सी बार को खत्म करना चाहिये। इतना ही मुझे कहना था।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा संबंधी जो अनुदान माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और सरकार को इस वर्ष के

[श्री नवल किशोर]

शिक्षा बजट में जो कुछ नयी चीजें हैं उनके लिये बधाई देता हूं। मिसाल के तौर पर, मैंने बजट में देखा कि इस वर्ष मिलिटरी ट्रेनिंग के ऊपर अधिक जोर दिया गया है और एक मिलिटरी स्कूल हमारे प्रदेश के अन्दर खोला जायगा। मैं समझता हूं कि आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में यह एक बड़ा सही कदम है। इसके साथ-साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि १ लाख ९४ हजार रुपया इस वर्ष पोलिटिकल सफ़रर्स के बच्चों व डिपेंडेंट्स की शिक्षा सुविधाओं के लिये रखा गया है। यही नहीं, यूनिवर्सिटीज के इन्फ़ीरियर स्टाफ़ की प्राविडेन्ट फंड की सुविधा के लिये जो मांग थी उसके लिये भी इस साल के बजट में रुपया रखा गया है। मैं समझता हूं कि ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो भी इस साल के शिक्षा बजट में १०२ लाख रुपया ज्यादा रखा गया है।

जहां तक शिक्षा के प्रसार का सवाल है इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि हमारे प्रदेश में शिक्षा संस्थाओं की सभी स्तर पर बढ़ोत्तरी हुई है और साथ ही साथ विद्यार्थियों की भी बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी सही है कि जहां शिक्षा बढ़ी है वहां हमारे यहां शिक्षित व्यक्तियों का अनएम्पलायमेंट (बेकारी) भी बढ़ा है और उससे एक नयी समस्या हमारे सामने पैदा हो गई है कि शिक्षा बढ़ती जरूर जाती है लेकिन उसके साथ-साथ जो एक नयी समस्या पैदा हो जाती है अनएम्पलायमेंट (बेकारी) की इसको किस तरह से हल किया जाय। प्रदेशीय सरकार ने इसके लिये टेक्निकल एजूकेशन के ऊपर भी जोर दिया और बहुत से टेक्निकल स्कूल हमारे प्रदेश में खोले गये। मगर फिर भी हम यह देखते हैं कि टेक्निकल एजूकेशन देने के बावजूद भी उसमें अनएम्प्लायमेंट बढ़ता चला जाता है। एक कठिनायी और भी है जिसको कई वर्ष से मैं इस हाउस में बार-बार कहता हूं और वह यह है कि हमारी शिक्षा का कोई इंटीग्रेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर, जनरल एजूकेशन एक जगह है, ऐग्रीकल्चर की एजूकेशन दूसरी जगह, मेडिकल एजूकेशन तीसरी जगह और टेक्निकल एजूकेशन चौथी जगह है और वह भी कोई पी० डब्लू० डी० में है तो कोई प्लानिंग में है, कोई इरीगेशन में है, कोई हाई डिल में है। हम बहुत बात करते हैं प्लानिंग की मगर मेरा यह निश्चित मत है कि शिक्षा के सम्बन्ध में कोई नियोजन नहीं है, तमाम हैपहैजर्ड वे में इसका विस्तार किया गया है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार मेहरबानी करके इस बात की कोशिश करे कि एजूकेशन एक जगह होनी चाहिये और उसका इंटीग्रेशन होना चाहिये।

इस बात की भी चर्चा की गयी कि हमारी मौजूदा शिक्षा पद्धति उचित नहीं है। यह सही है। आज से नहीं बल्कि जब हमारी आजादी की जंग चल रही थी उस समय से हमारे नेताओं का यह निश्चित मत था कि जो हमारे देश की आवश्यकतायें हैं उनके हिसाब से हमारी शिक्षा पद्धति सही नहीं है। आज भी हम यह महसूस करते हैं कि जो हमारा सोशल आब्जेक्टिव है, समाजवाद का और प्लानिंग की जो आवश्यकतायें हैं, हम देखते हैं कि वे आवश्यकतायें हमारी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती हैं। माननीय गोविन्द सहाय ने उसके बारे में कुछ अपने विचार रखे हैं, परन्तु दुर्भाग्य यह है कि उसके ऊपर भी दो मत हैं। जो टोटैलिटेरियन कंट्रीज हैं, चाहे वे फासिस्ट हों या कम्युनिस्ट, उनके यहां एजूकेशन का रेजिमेंटेशन होता है। हमने डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को माना है। इसलिये हमको यह करना भी सम्भव नहीं है मगर इन दिक्कतों के बावजूद भी इस मसले पर संजीदगी के साथ विचार किया जाना चाहिये कि हम किस प्रकार परिवर्तन लाएं जिससे सही ढंग से, हमारी एजूकेशन (शिक्षा) हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में कामयाब हो सके। मैं यह नहीं कहता कि इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया गया। कम से कम माध्यमिक स्तर पर इसके लिये बहुत सी कमेटियां बैठीं। यह भी शिकायत की गयी कि सरकार ने इन कमेटियों की रिपोर्ट को कार्यान्वित क्यों नहीं किया। जहां तक मेरा अपना ज्ञान है, मैंने उसमें से कई कमेटियों की रिपोर्टों को देखा। कुछ दिक्कतें भी हैं क्योंकि उनकी सिफारिशों में भी मतभेद और अन्तर है। माननीय मंत्री जी का एक विचार था कि माध्यमिक शिक्षा के लिये एक काम्प्रीहेंसिव बिल तैयार किया जाय जिसमें तमाम

रिपोर्टों की अच्छी-अच्छी बातों का समावेश किया जाय। मैं यह चाहूंगा कि वह कम्प्रीहेंसिव बिल जिसका वादा इस हाउस में कई दफा हो चुका है जल्दी से जल्दी आये। इन्टरमीडिएट बोर्ड के पुनर्निर्माण का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है उस ओर भी शीघ्र ही कोई क़दम उठाना चाहिये। इसके अलावा मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस बात का भी संकेत अपने भाषण में किया कि इस बात की सरकार कोशिश करेगी कि जो हमारे विधान में डाइरेक्टिव है कि चौदह साल तक के बच्चों को फ्री एजूकेशन (निःशुल्क शिक्षा) दी जायगी उसके लिए क़दम उठायेंगे। उन्होंने यह भी कहा, अगर मैं भूलता नहीं, कि केन्द्र से कुछ सहायता मिलने वाली है। यह खुशी की बात है कि आज छठें दर्जे तक निःशुल्क शिक्षा है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि वह काफी नहीं है। हमारा फर्ज़ है कि जब विधान को बने हुए १० साल हो चुके, हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि चौदह साल तक के बच्चों के लिये प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध हो, चाहे हमें इसके लिये किसी तरफ से बचत भी करनी पड़े।

यह भी कहा गया कि थर्ड प्लान में इसके लिए कोशिश की जायगी कि प्राइमरी एजूकेशन का अधिक प्रसार किया जाय। इस सम्बन्ध में एक बड़ी आवश्यकता यह है कि जब तक प्राइमरी स्कूल के टीचर का सम्मान और आवश्यकताओं के अनुसार उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा, मुझे इसमें बड़ा संदेह है कि सरकार व मन्त्री जी इस दिशा में कोई विशेष उन्नति कर सकेंगे। इसमें शक नहीं कि पिछले वर्ष आपने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के अध्यापकों की तनख्वाह बढ़ायी। लेकिन उसके बढ़ाने से जहां एक तरफ संतोष हुआ वहां दूसरी तरफ असंतोष भी हुआ। असंतोष इस मानी में हुआ कि प्राइमरी शिक्षा का अध्यापक जो सब से ज्यादा नीडी तथा नीचे स्तर पर है उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी बल्कि इस बढ़ोत्तरी से उसकी तनख्वाह और इंटरमीडिएट के टीचर्स की तनख्वाह में और भी डिस्पैरिटी हो गयी है। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि आप इस बात की कोशिश कीजिये कि प्राइमरी टीचर्स की जो तनख्वाह है जो कि केन्द्रीय सरकार के चपरासी के मुकाबले में भी बहुत कम बैठती है और अनट्रेंड की आपके चपरासी के मुकाबले में भी कम बैठती है, उसके ऊपर आप का ध्यान जाना चाहिए। इंटरमीडिएट बिल के सम्बन्ध में मैं आप से एक बात कहना चाहूंगा और वह यह कि आप ने अब नये ग्रेड्स इंट्रोड्यूस किये हैं, १५० का १७५ कर दिया लेकिन आपने अभी तक मिनिमम क्वालीफिकेशन कोई नहीं रखी है। यही जो पहले से चली आ रही है उसमें यहीं तक आप ने फिक्स किया है कि इंटरमिडिएट कालेज में एम० ए० पास टीचर होगा लेकिन इतना मैं आप से और अर्ज करूंगा कि आगे जो नियम आप बनायें उसमें यह और रखें कि इंटरमीडिएट के अन्दर कोई भी टीचर सेकेंड क्लास एम० ए० से कम क्वालिफिकेशन का न हो। उससे कम वाले का कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिये कम से कम परमानेंट करने के समय। श्रीमन्, एकाध मिनट और दे दें।

इंडिसिप्लिन का, श्रीमन्, बहुत चर्चा किया गया है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश के अन्दर विद्यार्थियों में काफी अनुशासनहीनता बढ़ी है। उसके कारण जो भी हों, उनमें मैं नहीं जाना चाहता, पर वह कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। आपने यूनिवर्सिटीज के विधानों में, मुझे याद है इस बात को कहकर परिवर्धन किया था कि इससे अनुशासन में भी बेहतरी होगी, एजूकेशन का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा और टीचर्स में भी संतोष होगा, यह सब बातें आप ने कहीं थीं, और यह भी फरमाया था कि इससे गुटबन्दी और पार्टीबाजी भी यूनिवर्सिटी में कम होगी। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इसके कि आप ने यह तमाम तरमीमें कीं, इसमें से कोई भी चीज हासिल नहीं हो पायी। आपने एक नयी पोस्ट क्रियेट की, डीन आफ दी स्टूडेंट वेलफेयर। मैं जानता नहीं कि उनका क्या काम है। आदमी एप्वाइंट हो गए, उनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन उससे अनुशासनहीनता में क्या कमी आयी, यह मैं नहीं जान पाया। इस सम्बन्ध में मेरा एक निश्चित मत है, श्रीमन्, और वह यह है कि आजादी के बाद आज एक नया तबका ऐसा हमारे यहां पैदा हो गया है जिसका नाम है टीचर पालीटिशियन और मैं समझता हूं कि इनके ऊपर जब तक कोई नियंत्रण नहीं होगा

[श्री नवलकिशोर]

तब तक अगर आप चाहें कि अनुशासनहीनता स्कूलों तथा कालिजों से खत्म हो जाय, तो यह बिलकुल असम्भव बात है। मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूं। मैं तो यह समझता हूं कि विधान में इस बात की तरमीम होनी चाहिये कि टीचर्स कांस्टीट्यूएंसी खत्म की जायं। एलेक्शन उन्हें अगर लड़ना हो तो ग्रेज्युएट्स या जनरल कांस्टीट्यूएंसी से आकर लड़ें। मेराविश्वास है कि इस कारण भी एक नयी पार्टीबाजी की भावना माध्यमिक स्कूलों तथा उससे ऊपर के टीचर्स में पैदा हो गई हो। मुझे खुशी है कि इन बातों की जांच के लिये आप एक स्टेट-यूनिवर्सिटी कमीशन" नियुक्त करने जा रहे हैं।

एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा। आपके यहां वाइस-चांसलर का एप्वाइंटमेंट होता है। मेरा अपना यह विश्वास है कि जो टीचर पन्द्रह, बीस या तीस साल से किसी विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं वे वहां किसी न किसी गुटबन्दी में शामिल हो जाते हैं, मैं ज्यादा उस विवाद में जाना नहीं चाहता, न मैं कोई उनके ऊपर ऐसा स्थायी प्रतिबन्ध ही चाहता हूं, अपवाद भी हो सकते हैं लेकिन यह मेरा निवेदन आप से है कि कोशिश आप इस बात की जरूर करें कि जहां तक हो सके वाइस-चांसलर का पद स्थानीय गुटबाजी और पार्टीबाजी से ऊपर उठाकर रखा जाय। ऐसा अगर आप कर सकें तो मेरी समझ से यह अधिक अच्छी बात होगी।

थोड़ा-सा मैं टेक्स्ट बुक्स के बारे में भी कहना चाहता हूं। टेक्स्ट बुक्स की भी बड़ी शिकायत की गई। मैं भी समझता हूं कि वह बात बहुत हद तक सही है। आज इन टेक्स्ट बुक्स की, बावजूद इसके कि आप के डिपार्टमेंट में उसके लिये तना स्टाफ है, स्क्रूटिनी ठीक से नहीं होती है मेरे एक दोस्त लारी साहब को भी इस बात की शिकायत थी हालांकि मुझे खुशी है कि जिस पुस्तक की उन्होंने चर्चा की थी वह पुस्तक अब हमारे यहां है नहीं, मगर मैंने इस तरह की बातों की खुद देखा है। एक किताब मैंने देखी जो कि सातवें दर्जे की अरिथमेटिक की किताब थी जिस पर नाम लिखा हुआ था माननीय गोरख प्रसाद जी का जो कि हमारे बहुत ही मशहूर मैथेमेटीशियन हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। उसमें बहुत सी एक्सरसाइज बोगस हैं, गलत हैं और जवाब दस पन्द्रह पर सेंट गलत है। यह मैंने प्रमाण के तौर पर एक चीज रखी। यह इस बात का सबूत है कि हमारे यहां टेक्स्ट बुक्स की स्क्रूटिनी ठीक नहीं होती।

एक शिकायत यह की गई कि हमारी शिक्षा में कृषि और देहात का बायस (ष्टिकोण) नहीं होता है। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि जो एक्सटेंशन सर्विस है जूनियर हाई-स्कूलों में इनको इसीलिए रखा गया था कि कृषि की बात वहां की जाय। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्सटेंशन टीचर्स आपके उस परपज को पूरा करने में जिसके लिये उनको रखा गया था बहुत अधिक कामयाब नहीं हुए हैं। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि आप ने उसक लिए कोई असेसमेंट कराया था, कमेटी बनाई थी कि उससे कितना फायदा हुआ कितना नहीं हुआ। उसकी रिपोर्ट मुझे देखने को नहीं मिली। मैं नहीं जानता कि उसने क्या रिपोर्ट दी। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि आप उसकी फिर चाहे एन्क्वायरी कराकर चाहे असेसमेंट कराकर यह देखें कि जितना रुपया आप उस पर खर्च करते हैं उतना फायदा उससे होता है या नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)-- माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

यह निर्विवाद है कि प्रजातंत्र की रक्षा, उसका विकास और उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिये देश और प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाय और उसका प्रसार किया जाय लेकिन जब मैं इस कसौटी पर इस प्रदेश को कसता हूं तो जितनी कामयाबी होनी चाहिये उसका एक अंश भी नजर नहीं आता है। मैं इस बात को भी मानता हूं कि प्रदेश में स्कूलों का जाल बिछता चला जा रहा है। मैं इस बात को भी मानता हूं कि १० साल पहले जो हमारे यहां शिक्षा संस्थायें थीं उससे कई गुना शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ी है। यह भी मानता हूं कि जिस तादाद में लड़के पहले भरती होते थे स्कूलों में उससे बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लड़कों की भरती हो रही है लेकिन यह कहने के लिये भी

तैयार हूं कि शिक्षा का स्तर जो १० साल पहले था वह आज नहीं है। पहले जिस तरह से इन्टर और हाई स्कूल पास लड़का लिख सकता था, आज बी० ए० पास विद्यार्थी उस तरह से नहीं लिख सकता है। इसका कारण खोजना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आज विश्वविद्यालयों के स्तर से लेकर छोटे-छोटे प्राथमिक स्कूलों तक जिस तरह से खर्च होता है उसका भी खयाल करना पड़ेगा। मेरा यह विश्वास है कि असल में प्राथमिक शिक्षा पर सरकार उतना खर्च नहीं करती जितना कि विश्वविद्यालय और डिगरी कालेज की शिक्षा पर व्यय होता है।

आप देखेंगे कि यह जो सरकार की ओर से पुस्तिका बांटी गई है उसको देखने से मालूम होता है कि जो वेतन में वृद्धि प्रदेश में विश्वविद्यालय, इन्टर कालेज, डिगरी कालेजेज में की गई है उतनी वृद्धि प्राथमिक स्कूलों में नहीं हुई है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जे० टी० सी० पास अध्यापकों के लिये ६०---१०० रु० और १२० रु० तक तनख्वाह निर्धारित है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजमगढ़ में जानबूझ कर जे० टी० सी० पास अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में ४५ पया लेने के लिये मजबूर किये जाते हैं। आप यह भी देखें कि जहां पर हाई स्कूल पास लड़के ग्राम सेवक की शिक्षा पाते हैं तो १।। साल की ट्रेनिंग के पास करने पर उनको ११० रुपया तनख्वाह शुरूआत में ही मिलती है। लेकिन इन जे० टी० सी०पास अध्यापकों में और उन ग्राम सेवकों में क्या अन्तर है यह आप विचार कर सकते हैं। उनकी योग्यता के अन्तर को भी आप समझ सकते हैं। मैं समझता हूं एक स्तर ऐसा निश्चित होना चाहिये कि एक योग्यता की शिक्षा-दीक्षा वाले कर्मचारियों का वेतन सारे प्रदेश में एक सा रहे। मैं यह देखना चाहता हूं कि बजट में कहीं भी सका जिक्र नहीं है।

आप देखेंगे कि प्राइमरी स्कूलों की अवस्था आज क्या है। मैं समझता हूं आज प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की आर्थिक दशा १०० में ५० की ऐसी है कि वे पैर में बिना जूता पहने हुये ही स्कूलों में जाते हैं। आज भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां के अध्यापक जमीन पर बैठते हैं। आज भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो पेड़ के नीचे लगते हैं। बहुत से ऐसे स्कूल हजारों की तादाद में हैं जिनमें लड़कों के बैठने के लिये कोई साधन नहीं है। आज से १० साल या १५ साल पहले जब मैं एक जूनियर हाई स्कूल का विद्यार्थी था उस समय १२ आना मासिक फीस देनी पड़ती थी। आज २ रुपया ४ आना और २ रुपया ६ आना एक सातवीं कक्षा के विद्यार्थी को देना पड़ता है। एक किताब जब छप कर आती थी तो एक विद्यार्थी उसको पढ़ता था; फिर दूसरे कई सालों तक वह पढ़ाई जाती थी। अब क्या होता है कि हर साल किताबें बदलती रहती हैं। इसका कारण क्या है इसकी खोज करनी पड़ेगी और उसे दूर करना होगा। यह मानना पड़ेगा कि शिक्षा बहुत महंगी होती चली जा रही है। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के बावजूद भी प्राथमिक स्कूलों में लड़कों की संख्या उतनी बढ़ती नहीं जितनी बढ़नी चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। आज छठें दर्जे तक फीस नहीं ली जाती है लेकिन छठवें दर्जे के बाद कितने लड़के ७वें दर्जे में पढ़ते हैं इसकी जानकारी आप हासिल करें। ७ वें दर्जे में उतने लड़के नहीं पढ़ते हैं इसका कारण क्या है? छठें दर्जे तक फीस माफ है। वहां तक लड़कों को थोड़ी-सी फीस देने में कोई कठिनाई नहीं होती है लेकिन जब वे सातवें दर्जे में जाते हैं तो उनको फीस की कठिनाई शुरू हो जाती है और २ रुपया ६ आना मासिक फीस उनके लिये देना मुश्किल हो जाता है, बड़ी तकलीफ होती है, श्रीमन्। यहां माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि शिक्षा के स्तर में हम बहुत पिछड़े हुये हैं। लेकिन इस देश में बहुत से ऐसे प्रदेश हैं कि जो बहुत गरीब हैं और जहां पर केन्द्रीय सरकार के भरोसे बहुत से काम होते हैं। काश्मीर में हम देखते हैं कि सरकार गरीब है, केन्द्र से सहायता मांगती है लेकिन वहां पर विश्वविद्यालय स्तर तक की, बी० ए० तक की शिक्षा निःशुल्क है। केरल, छोटा-सा प्रदेश है, गरीब है, दूसरे से भीख मांगता है, लेकिन वहां ८० फीसदी तक साक्षरता है और जब वहां थानू पिल्ले साहब की प्रथम बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार हुई तो उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क कर दिया। मैं निवेदन करूंगा कि

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

आप हजार बार प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दें, निःशुल्क कर दें, लेकिन जब तक जिस तरह से छठें दर्जे की शिक्षा निःशुल्क हुई है उस तरह से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क न की जायगी तब तक यह प्रजातंत्र ठोस तरीके पर आगे नहीं बढ़ सकेगा, और काफी संख्या में नागरिक प्रदेश की आवश्यकता के लिये मिल नहीं सकेंगे, यह मेरा निश्चित मत है।

संस्कृत विश्वविद्यालय की बड़ी चर्चा है। ग्रान्ट भी उसके लिये दी जाती है लेकिन विश्वविद्यालय तक के स्तर की बात तो छोड़िये, जो छोटे-छोटे गांवों में, देहातों में संस्कृत पाठशालायें हैं उनकी अवस्था क्या है उसे देखा जाय। उनकी बड़ी दुरवस्था है। संस्कृत के अध्यापक उसी हालत में हैं जिसमें कि प्राइमरी शिक्षा के अध्यापक हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि साहित्यरत्न एम० ए० की डिग्री के समकक्ष है, लेकिन उनके वेतन का स्तर क्या है ? जूनियर स्कूल के अध्यापक के समकक्ष तनख्वाह संस्कृत के अध्यापक की है। मैं निवेदन करूंगा कि इस दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिये।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि शहरों में क्या हालत है, स्कूलों की। शहरों में विश्वविद्यालय, आर्ट्स कालेज, डिग्री कालेज आदि पर जितना रुपया खर्च किया जाता है उसी अनुपात से वहां अनुशासनहीनता भी बढ़ती जाती है। इसके लिये सरकार को केवल इतना ही दोष दे सकता हूं कि सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील नहीं है। सरकार समझती है सारे प्रदेश में केवल आर्ट्स कालेज और डिग्री कालेज की भरमार कर देने से ही बेकारी दूर हो सकती है और अनुशासन-हीनता खत्म हो सकती है किन्तु परिणाम इसके विपरीत निकल रहा है। आज विद्यार्थी बी० ए०, एम० ए० करने के बाद बेकार बैठते हैं और मजबूर होकर अनुशासनहीन हो जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि प्रदेश की प्रत्येक तहसील में एक एक टेक्निकल स्कूल खोला जाय। उनके लिये पैसा खर्च होना चाहिये ताकि वह विद्यार्थी जिस विषय को लेकर स्वावलम्बी बनना चाहता है उस विषय को वहां पढ़ सके और अपने जीवन में स्वावलम्बी बन सके।

एक निवेदन और करना है। पिछड़े क्षेत्रों में हायर सेकेन्डरी स्कूलों के लिये मान्यता प्राप्त करना बहुत कठिन है। अंग्रेजी जमाने में जो मान्यता प्राप्त के लिये शर्तें थीं वे ही आज भी मौजूद हैं और मान्यता कमेटी तथा सरकार की उदारता के कारण मान्यता कुछ प्रार्थियों को मिल जाया करती हैं, लेकिन उन शर्तों में कुछ ढिलाई होनी चाहिये और अगर ढिलाई नहीं होगी तो जो उदारतापूर्वक मान्यतायें दी जा रही हैं वह अंत तक प्रभावकारी नहीं रहेंगी; तथा पूरी सहायता न मिलने से संस्थायें खत्म हो जायंगी और गरीब क्षेत्र के संचालकों के लिये उन स्कूलों को चलाना मुश्किल हो जायगा।

यह भी निवेदन करना है कि मान्यता प्राप्त हायर सेकेन्डरी स्कूलों को जब तक प्रारम्भिक अनुदान नहीं मिलता तब तक सरकार के हिसाब-किताब में वे कोई अपना स्थान नहीं रखते। मैं समझता हूं कि इसमें भी ढिलाई होनी चाहिये। जितना उन स्कूलों का खर्च है, अगर सरकार उतना नहीं दे सकती तो नियम में ढिलाई करके कुछ न कुछ उसे देने का प्राविजन सरकार को अवश्य करना चाहिये। यह अभी नहीं है। मैं इसकी मांग करता हूं।

इसके साथ ही यह भी निवेदन करना है कि आर्ट्स कालेजों और डिग्री कालेजों के पास सिनेमा हैं। इनकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये और जो यह मैटनी शो है, उसका तो, जैसा रामायण राय जी का विचार है, मैं भी उससे सहमत हूं और मैं घोर विरोध करता हूं और चाहता हूं कि सरकार को बिलकुल निश्चित होकर इस मैटनी शो को बन्द कर देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो यह अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उनको इसलिये बधाई देता हूं कि उन्होंने शिक्षा का एक विकासमान और सुन्दर कार्यक्रम हमारे

सामने प्रस्तुत किया है । इस बजट के अन्दर जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने कहा है, जो सैनिक शिक्षा का प्राविधान किया गया है वह भी एक बहुत अच्छी चीज है । सरहदी इलाके का एक प्रतिनिधि होने के कारण मैं इस चीज का हार्दिक स्वागत करता हूं । इसके लिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं । लेकिन उसके साथ ही साथ मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे सरहदी इलाकों में चीन की हमलावर नीति के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है उसको देखते हुये वहां पर जो यह शिक्षादल योजना है उसको जल्द से जल्द लागू करने की कृपा करें । हम इस चीज को मानते हैं कि अगर आपके यह प्रारम्भिक मिलिटरी स्कूल कहीं पहाड़ों के नजदीक होते तो इसका ज्यादा अच्छा उपयोग हो सकता था ।

(इस समय ३ बजकर ७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो खुशी की बात इस बजट में मालूम होती है वह यह कि इस बजट का ६५ प्रतिशत प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च होगा । प्रारम्भिक शिक्षा का गांव-गांव में विस्तार हो, यह बहुत अच्छी बात है । लेकिन मुझे दुख: है कि प्रारम्भिक शिक्षा के महत्व को अभी तक समझा नहीं गया है, क्योंकि जितने भी और उन्नितशील देश हैं वहां पर प्रारम्भिक शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है । हमारे यहां इस पर अभी तक कम विचार होता रहा है । प्रारम्भिक शिक्षा की जो संस्थायें होती हैं उनमें उस उम्र में बालक आया करते हैं जबकि उनका दिमाग फारमेटिव स्टेज में होता है । इसके अलावा ऐसे स्कूलों की इमारत इतनी शानदार होनी चाहिये जिससे कि बालक के वहां पहुंचते ही पढ़ने के लिये रुचि पैदा हो सके । हमारे जितने प्राइमरी स्कूल हैं वहां की इमारतें बड़ी ही शोचनीय दशा में हैं । कितने ही स्कूलों के पास भवन हैं ही नहीं । मैं जानता हूं कि एक समय जनता में बड़ा उत्साह पैदा हुआ था । तब सरकार की तरफ से एक आश्वासन दिया गया था कि अगर जनता प्राइमरी स्कूल के भवनों को बनायेगी तो सरकार से १ हजार प्रति भवन मदद मिल सकती है । काफी स्कूलों को वह मदद मिली किन्तु तत्काल ही सरकार ने अपने उस आदेश को खत्म कर दिया, थोड़े समय के बाद खत्म कर दिया । ऐसे १०८ स्कूल गढ़वाल जिले में हैं जिन्हें ऐसा प्रोत्साहन नहीं मिला । इससे जनता में जो उत्साह था वह क्षीण होता चला गया है । मेरा उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा शिक्षा मंत्री से अनुरोध है और शायद इस सम्बन्ध में जिला परिषद् गढ़वाल, की तरफ से अनुरोध भी किया गया था कि जो १०८ स्कूल बन गये हैं और जिनको कुछ सहायता देने का आपने आश्वासन दिया था उस वादे के अनुसार आप १,००० रुपया प्रति स्कूल के हिसाब से दें तो हमारे जिले में लोगों का निर्माण कार्यों के प्रति पहले जैसा उत्साह फिर पैदा हो सकता है । जहांतक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, उसका स्तर गिरा है, यह सही है, और कई लोगों ने यह बात कही है ।

सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आज एम्फैसिस मास माइंड के निर्माण पर है, एक पिटे पिटाये दिमाग, एक सामूहिक दिमाग पर है जबकि हमारे माध्यमिक स्कूलों में एक क्रिएटिव माइंड, एक नवीनता का, सृजन-कर्ता और रचनात्मक दिमाग का विन्यास होना चाहिये--यह हो नहीं पाता । उसका कारण यह है कि हमारा पाठ्य क्रम जो रखा गया है उसकी फांउडेशन, उसका आधार साईकालोजिकल नहीं है । वह न जाने किन लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन मैं जानता हूं कि जिन लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है उनको चाइल्ड साइकालोजी, बच्चों के मनोविज्ञान का कतई ज्ञान नहीं है । मैं जानता हूं कि १९३५-३६ में जब माध्यमिक विद्यालयों में हम पढ़ते थे तो एक बड़ा सुन्दर, आकर्षक प्रोग्राम हमारे सामने रहता था । उस समय भले ही हमें सूचनायें वाह्य जगत की कम रहती थीं, लेकिन जानने, समझने की और चिन्तन और अन्वेषण की एक जिज्ञासा हर एक विद्यार्थी के दिमाग में रहती थी । आज आठवीं क्लास का एक विद्यार्थी कई चीजें जानता है, लेकिन उसके अन्दर चिन्तन की शक्ति नहीं है, ढूंढ- पन करने की स्फूर्ति उसमें कतई नहीं है । इसका कारण यह है कि हमारा पाठ्यक्रम जो है वह बड़ा दूषित है । वह न जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप है और न बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुरूप है । इसमें कुछ परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है ।

[श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी]

उपाध्यक्ष महोदय, जब से शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना शुरू हुई है तबसे शिक्षा को जन-जीवन के अनुरूप लाने की चेष्टा हुई है, यह मैं मानता हूं, लेकिन इस व्यवस्था के अन्दर जिस प्रसार अध्यापक की नियुक्ति की गई है उसकी बहुत दयनीय दशा है । मैं सोचता हूं कि शिक्षा विभाग में इतना अभागा दूसरा इन्सान नहीं होगा जितना प्रसार अध्यापक है । उसकी सर्विस की शर्तें बहुत ही दुखदायी हैं । उससे सबसे ज्यादा काम लिया जाता है । शायद हफ्ते में ३६ से लेकर ४० घंटे काम लिया जाता है । रोजमर्रा ४ से ५ तक पंजिकायें तैयार करनी पड़ती हैं और साथ ही साथ उससे यह भी कहा जाता है कि तू शिक्षा का काम भी कर और ब्लाकों में सामाजिक शिक्षा, सांस्कृतिक समारोहों का नियोजन भी कर । उसके वेतन में वृद्धि तभी होती है जब वह उत्पादन में बढ़ती दिखाये । जो खेत वगैरह स्कूल से मिला हुआ होता है, उसका अगर उत्पादन बढ़ गया तो उसके वेतन में वृद्धि होती है, अगर नहीं बढ़ता है तो नहीं हो पाती है और उत्पादन की बढ़ोत्तरी का कार्य निर्भर है प्लानिंग डिपार्टमेंट पर । अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट उन खेतों में सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है, फेंसिंग के लिये वायर देता है तो कुछ उत्पादन होता है, लेकिन अगर नहीं देता है, को आपरेट नहीं करता और उसका हेडमास्टर उसके साथ कोआपरेट नहीं करता तो उसका दुष्परिणाम केवल प्रसार अध्यापक को भुगतना पड़ता है, और किसी को नहीं । यही नहीं, उसके ऊपर दोहरा शासन रखा गया है, एक तो एक्सटेंशन गाइड और एक हेडमास्टर उसके सर पर होता है । मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि प्रसार अध्यापक की जो दुर्दशा है उसको सुधारने की कोशिश करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द शब्द संस्कृत शिक्षा के बारे में भी कहना चाहूंगा। हमारा पर्वतीय प्रदेश जो अन्य बातों में पिछड़ा हुआ रहा है वह संस्कृत और ज्योतिष के मामले में सर्वप्रथम रहा है और मुझे इस बात पर गर्व है । हमारे गढ़वाल में एक शोणितपुर केदारनाथ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय है जो १८८० से काम कर रहा है और दूसरा देवप्रयाग रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय है जो काफी पुराना है । हमने कोशिश की थी कि इन संस्कृत महाविद्यालयों को जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार अपने हाथ में ले ले और उत्तराखण्ड विद्यापीठ में कालेज खोल ले । लेकिन मुझे खेद है कि इतना सुन्दर काम करके और इस प्रदेश में जो इतना पिछड़ा हुआ है वहां इन विद्यालयों ने संस्कृत की सभ्यता और साहित्य को ज्वाजल्यमान रखा, इनके विषय में सरकार ने जो निर्णय लिया वह अत्यन्त ही खेदपूर्ण है ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और कुछ कहने के पहले मैं सरकार को उन चीजों के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं जिनकी बढ़ोत्तरी हुई है, शिक्षा विभाग में ? सबसे पहले धन्यवाद तो यह है कि शिक्षा विभाग में जितना रुपया पिछले साल था उससे इस साल एक करोड़ से अधिक रुपया बढ़ गया है, इसके लिये सरकार को धन्यवाद है । प्राइमरी स्कूलों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है उसके लिये धन्यवाद है । माध्यमिक स्कूलों में भी बढ़ोत्तरी हुई है उसके लिये भी धन्यवाद । डिग्री कालेज में भी वृद्धि हुई है उसके लिये धन्यवाद । विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है उसके लिये धन्यवाद । शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई उसके लिये धन्यवाद । श्रीमन्, इन सब धन्यवादों के बाद और थोड़-सा धन्यवाद है जिनको देने से मैं अपने को रोक नहीं सकता । आपके ारा उन धन्यवादों को भी मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं । अध्यापकों की तनख्वाह में वृद्धि हुई उसके लिये धन्यवाद । विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के लिये धन्यवाद । विद्यार्थियों में बढ़ती हुई फैशनपरस्ती के लिये धन्यवाद । विद्यार्थियों में बढ़ती हुई शारीरिक कमजोरी के लिये धन्यवाद । विद्यार्थियों में गंजिंग करने की आदत पड़ने के लिये धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष—मालूम होता है आपने खुद वहां जाकर विद्यार्थियों को देखा है ।

(हंसी)

कुंवर श्रीपालसिंह--अच्छी तरह से रोज देखता हूं। विद्यार्थियों में बुजुर्गों के प्रति सन्मान के स्थान पर असम्मान की भावना बढ़ने के लिये धन्यवाद। श्रीमन्, इन धन्यवादों के बाद शिक्षा विभाग की ओर से जो और चीजें बढ़ी हैं उसके लिये भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हमें एक पुस्तक मिली है जिसमें वाचनालयों की संख्या दी हुई है, उनकी पुस्तकों की संख्या दी हुई है और उन पुस्तकों से लाभ उठाने वालों की भी संख्या दी हुई है। अगर सन् १९४६-४७ को देखा जाय तो ३,६०० वाचनालयों की संख्या दी हुई है--मालूम नहीं यह सही है या गलत, यह मैं नहीं कह सकता--और उनमें पुस्तकों की संख्या १३,१३,५८५ थी और उनसे लाभ उठाने वालों की संख्या ३०,७९,४६७ थी। और श्रीमन् सन् १९५८-५९ में वाचनालयों की संख्या तो ३,६०० ही रही लेकिन पुस्तकों की संख्या ५,५७,८१७ रह गई यानी लगभग १३ लाख के बजाय ५ लाख ही रह गयी और लाभ उठाने वालों की संख्या ३० लाख के बजाय १०,८४,४०७ ही रह गई। अध्ययन की रुचि है और अध्ययन करने वालों को क्या मस्तिष्क की खाद्य सामग्री दी जा रही है सरकार की तरफ से, इससे यह स्पष्ट हो जाता है।

श्रीमन्, कल माननीय गोविन्द सहाय जी ने अपनी वक्तृता में कहा कि पूजा करने से चरित्र का उत्थान नहीं होता है, एक बिलकुल नयी बात उन्होंने कही। कम से कम मेरे लिये तो बिलकुल नयी बात थी वह, क्योंकि आज तक मैंने इस चीज को किसी से सुना, पढ़ा या देखा नहीं। मैंने तो यही सुना और देखा कि ईश्वर के प्रति आस्था होने से हमारे चरित्र का उत्थान होता है, क्योंकि वही एक शक्ति ऐसी है जिसके ऊपर आस्था होने से, ईश्वर के हर जगह अनुभव करने से, बुराई करने से पहले ईश्वर की वह शक्ति हमें दिखायी पड़ जाती है, जिसको देखकर हम बुराई से भागते हैं। माननीय गोविन्द सहाय जी सन् १९३७ में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे उसके बाद वे रूस गये। उन्होंने यह विचार रूस से प्राप्त किये अथवा उससे पहले उनके ये विचार थे मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि समाजवाद के ढंग से जब पढ़ाई की जायगी तभी जाकर चरित्र का उत्थान हो सकेगा। समाजवादी ढंग से कोई पढ़ाई होगी, मेरी समझ में नहीं आया कौन-सी होगी। शायद कोई होती हो जो माननीय गोविन्द सहाय जी सीख कर आये हों रूस से और जिसको लोगों को जबरदस्ती पढ़ाया जाने वाला हो। चूंकि वे राजकीय पक्ष के वक्ता थे सलिये यह समझा जा सकता है कि कदाचित राजकीय पक्ष जबरदस्ती समाजवादी कोई पढ़ाई लोगों पर लादने जा रहा हो। हो सकता है ऐसी कोई खिचड़ी कहीं पक रही हो।

श्रीमन्, यह निर्विवाद सत्य है कि चरित्र बनता है शिक्षा से। अब वह शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिये? अगर थोड़ा इतिहास के ऊपर ध्यान दिया जाय तो यह मालूम हो जायगा। कहा जाता है कि आज की पढ़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है लेकिन ऐसा नहीं है, वह बहुत पीछे चली गई है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है। अगर दूसरे देश इस बात को कहें जिनकी सभ्यता हजार, दो हजार वर्ष पुरानी ही है तब तो बात कुछ ठीक हो सकती है क्योंकि उनका भूत तो अंधकारमय है ही और भविष्य अंधकारमय होता है ही। अंधकार में कदम उठाते जा रहे हैं चाहे कहीं गिरें। मगर भारतवर्ष जिसकी सभ्यता अरबों वर्षों की है उसके भूत में इतना बड़ा प्रकाश है कि जिसमें आगे के भविष्य को भी हम साफ-साफ देख सकते हैं। अब हम भारतीय कहें कि हमारे समाजवाद की शिक्षा से उत्थान होगा तो यह हम तो कह नहीं सकते शायद् माननीय गोविन्द सहाय जी ही इसको कह सकते हैं। आज की शिक्षा में कृष्ण और सुदामा का कहीं प्रमाण मिल सकता है? प्राचीन शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचर्याश्रम में रख कर बच्चों को पढ़ाया जाता था। उनको उस समय स्नो और पाउडर का ध्यान भी नहीं आता था। उनको नीम की पत्ती तक खिलाई जाती थीं। उतना ही भोजन उनको दिया जाता जितना कि उनके जीवित रहने के लिये पर्याप्त हो। कवल उनका मस्तिष्क पढ़ाई की तरफ लगाया जाता था। सब बच्चे गुरुकुल में जाकर

[कुंवर श्रीपालसिंह]

पढ़ते थे । गुरुकुल में पढ़ने के माने यह होते थे कि ट्यूशन नहीं होता था । जब से यह ट्यूशन की प्रथा चली तभी से सत्यानाश हुआ । महाराजा रामचन्द्र जी ने चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र होते हुये भी गुरु के यहां जाकर ही शिक्षा प्राप्त की थी । मगर जिस समय से भीष्म देव ने आचार्य द्रोण को अपने घर पर रख कर और उनको तनख्वाह देकर कौरव पांडवों को शिक्षा दिलवायी तभी से यह ट्यूशन की सत्यानाशी प्रथा चालू हुई और उसी से महाभारत जैसे युद्ध की नींव पड़ी । वह ट्यूशन आज भी हमारा सत्यानाश कर रहा है क्योंकि अध्यापक समझता है कि हम तो पेड हैं, हमारी केवल तनख्वाह लेने की जिम्मेदारी है । हमारी शिक्षा का स्तर कहां जा रहा है इसकी फिक्र कतई न तो अध्यापक को है और न प्रधान अध्यापक को है और न किसी और को है । तो मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि जब तक ऋषिकुल वाली परम्परा नहीं अपनायी जाती, जब तक प्राचीन आदर्श को नहीं अपनाया जाता कि "विद्या "ददाति विनयम्", विद्या से विनय आती है, तब तक हमारे देश का भला नहीं होने वाला है । आज तो विद्या से विनय आने के बजाय उद्दंडता आती है और सब से बड़ा भारी विद्वान आज वही समझा जाता है जो अपने से बड़ों को, बुजुर्गों को, गाली दे सके ; क्योंकि आज कल जो हुल्लड़ मचाते हैं, जो विद्वता का आडम्बर खड़ा करते हैं ऐसे ही लोग विद्वान माने जाते हैं । आजकल के जमाने में यदि कोई किसी की इज्जत करता है, अपने से बड़ों की इज्जत करता है तो वह बेवकूफ समझा जाता है । तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि चूंकि वे भी उसी ऋषिकुल के हैं इसलिये उसी प्राचीन परम्परा को देश में लाने का प्रयास करें । यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह देश इस अनुशासन हीनता और चरित्र हीनता से मुक्त नहीं हो सकेगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)----उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो लोग कटमोशन या टोकेन मोशन देने वाले होते थे उनको उस विषय पर अपने विचार जाहिर करने की सुविधा होती थी । मैं देख रहा हूं कि आज शुरू से ही वह परम्परा बदली हुई है, तो आखिर क्या बात है, कैसे हम लोग अपने विचार सदन के सामने रख सकते हैं, क्योंकि मैं भी कटमोशन देने वालों में से एक हूं ?

श्री उपाध्यक्ष---आप धैर्य रखें, परम्परा वही है ।

***श्री अतीकुल रहमान** (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सब से पहले मैं आदरणीय श्रीपालसिंह जी को यह यकीन दिलाता हूं कि आपके दल को इस सदन के अन्दर और बाहर, जैसा मैं जानता हूं उसके मुताबिक मैं यह बात यकीन से कह सकता हूं कि उन्हें जो शुबहा है, वह सही नहीं है । मेरा दल सोशलिज्म में यकीन रखता है इसमें कोई शुबहा नहीं है लेकिन तालीम के जरिये किसी भी नुक्तेनजर से किसी विचारधारा या किसी इज्म को किसी पर थोपना, उसके ढांचे को बदलना हमारा मकसद और मंशा नहीं है । यह विचारधारा कम्युनिस्ट कंट्रीज में तसलीम की जाती है और इसी तरह से, इसी नुक्तेनजर से वहां तालीम दी जाती है । फासिज्म भी, हिटलर और मुसोलिनी ने अपने सियासी नुक्तेनजर के मुताबिक लोगों के दिमाग में पैदा करने की और बनाने की कोशिश की थी । इसलिये मैं तो समझता हूं कि श्रीपालसिंह जी का जो शुबहा है, वह जहां तक मैं समझता हूं दुरुस्त नहीं है । आदरणीय पालीवाल जी ने अपने भाषण में मजहबी तालीम का जिक्र किया था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मजहबी का नहीं धार्मिक शिक्षा का किया था । हिन्दी या संस्कृत के 'धर्म' शब्द का 'मजहब' या 'रेलीजन' यह सही तर्जुमा नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अतीकुल रहमान--गालिबन अखलाकी तालीम से मतलब है। तो मैं समझता हूं कि तालीम खुद एक ऐसी चीज है जो सरासर अखलाकी होनी चाहिये। हमारे दिमाग में किसी मजहबी, धार्मिक या अखलाकी तालीम के अलावा कोई तस्वीर इसलिये कायम नहीं होती कि हम यह समझते हैं कि तालीम वह नहीं है कि मालूमात बहुत-सी हो जायें और तालिबइल्म की जागरफी, तारीख और साइन्स के उलूम में जानकारी बढ़ जाये बल्कि तालीम का सही मंशा जो अखलाकी तालीम है वही है यानी इन्सान के कैरेक्टर का बनना, उसकी अन्दरूनी सलाहियत का बेदार हो जाना। इसलिये मैं बजाते खुद तालीम को कहता हूं, उसको चाहे धार्मिक तालीम कहें या अखलाकी तालीम कहें, वह खुद तालीम से पैदा होनी चाहिये। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि यह खयाल श्री प्रकाश कमेटी ने या आदरणीय पालीवाल जी ने रखा है कि कोई धार्मिक तालीम होनी चाहिये वह यकीनन इस खामी की बिना पर है जो हमारी मौजूदा तालीम में अखलाखी तालीम या अखलाक पर उतना जोर नहीं है जितना कि होना चाहिये। इसलिये खयाल हुआ कि रिलीजस तालीम इन्सटीट्यूशन्स में दी जाय।

आदरणीय पालीवाल जी ने अरबन बायस के मुताल्लिक फरमाया और मैंने यह महसूस किया है कि अक्सर वह अपने भाषणों में सरकार की नीति के मुताल्लिक गांव और शहर का मुकाबला करते हुये कुछ फरमाते हैं मैं यह देखता हूं कि जहां तक गांव और शहर के मुकाबले का सवाल है, जो फिगर्स उन्होंने पेश की हैं, जो मेरे पास भी हैं उनसे कोई शहर या गांव के मुकाबले का सवाल बिल्कुल नहीं पैदा होता। सवाल सिर्फ यह पैदा होता है कि प्राइमरी तालीम में सन् १९४६-४७ से १९५८-५९ तक दुगुने का इजाफा हुआ है, सेकेन्ड्री एजूकेशन में भी तिगुने का इजाफा हुआ है और यूनिवर्सिटी की तालीम में भी २०० फीसदी का इजाफा हुआ है। प्राइमरी एजूकेशन का यह इजाफा १२३ फीसदी है, हायर सेकेन्डरी एजूकेशन का इजाफा २०० फीसदी है। यह फर्क जो नीचे से ऊपर तक की तालीम में हुआ है वह यकीनन इस बात को जाहिर करता है कि ऊपर की तालीम में, यूनिवर्सिटी एजूकेशन में निस्बतन फैलाव ज्यादा हुआ है। मैं इसको गांव और शहर के मुकाबले से दूर इसलिये समझता हूं कि जिस तालीम में विस्तार हुआ है, जिसको वह अरबन बायस फरमाते हैं वह खुद शहर के लिये भी मुफीद तालीम नहीं है। अगर शहरी नुक्तेनजर से ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्वाइंट आफ व्यू से ही सोचा जाय तो उसमें साइन्टिफिक, टेक्निकल या वोकेशनल एजूकेशन का स्थान आता है। इस तरह की तालीम को कि जिसके मुताल्लिक आदरणीय पालीवाल जी का खयाल यह है कि शहरों की ज्यादा सरपरस्ती के लिये या उन्हें संवारने के लिये शहर की तालीम दी जाती है इसमें शक नहीं और मैं भी महसूस करता हूं कि सन १९४६-४७ से १९५८-५९ तक १६ डिग्री कालेजेज के बजाय अब १०२ डिग्री कालेजेज हो गये हैं और जिस तरह की तालीम काई की तरह बढ़ती जाती है वह मुफीद नहीं है। पहले से भी हमारे बड़े-बड़े एजूकेशनिस्ट ऐसा खयाल करते थे, यह कोई नया खयाल नहीं है, हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी यह बात कही है कि जिस सूरत में हम यूनिवर्सिटी एजूकेशन दे रहे हैं वह दुरुस्त नहीं है और यूनीवर्सिटी एजूकेशन स्क्रीनिंग के बाद छांट कर ऐसे लोगों को देनी चाहिये जो उसके लिये मुनासिब हों।

सबसे पहला सवाल मेरे नजदीक तालीम में एडल्ट एजूकेशन का है क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि डेमोक्रेसी में जब तक बड़े पैमाने पर खुसूसन एक जाहिल मुल्क में जैसा कि हमारा है, एडल्ट एजूकेशन नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। एडल्ट एजूकेशन जो आसानी से दी जा सकती है वह इस सूरत में दी जा सकती है कि मूविंग स्कूल्स हों, वान्स हों, और उनमें वह जरूरी सामग्री हो जो इस किस्म की तालीम के लिये जरूरी है। इस किस्म की तालीम के लिये तीन चीजों की जरूरत मैं खास तौर से महसूस करता हूं। एक तो रहन-सहन की तालीम कि कैसे रहें, क्या खायें। अगर हम डाइट के मुताल्लिक जानकारी रखते हैं तो सेहत के फायदे के अलावा बहुत-सी उन चीजों को छोड़ सकते हैं जिनकी पैदावार कम है और एक बैलेन्स्ड डाइट भी कायम कर सकते हैं। दूसरे जो सरकार ने सहूलियतें वहां पहुंचाई हैं और जिन से वे नावाकिफ हैं, उनके बारे में बताया जाये ताकि जो बहुत-सा पैसा बेकार हो जाता है उससे वह फायदा उठायें। तीसरे, उनको डेमोक्रेटिक

[श्री अतीकुल रहमान)

इंस्टीट्यूशन और कांस्टीट्यूशन के बारे में बताया जाये। अगर इस किस्म के मोबाइल स्कूल्स हों तो वह एक बड़ा क्षेत्र कवर कर सकते हैं। वे वक्त निर्धारित कर सकते हैं कि किस वक्त और कहां वह पहुंचेगे। पब्लिक को बाजा बजा कर या किसी और तरीके से अट्रैक्ट किया जा सकता है।

इन्कलाब जब होता है उस वक्त जो दुश्वारियां पेश आती हैं उन दुश्वारियों का अन्दाजा आमतौर से नहीं किया जा सकता। हमारा हाफजा बाज दफा भूल जाता है पिछली बातों को। मैं बेसिक एजूकेशन के मुताल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। बेसिक एजूकेशन जब शुरू हुई तो बहुत से लोगों को यह बात याद होगी कि ये समझा गया कि यह शायद चलेगी नहीं। किसी एक-आध आदमी ने अगर दिमागी तौर से उसे कुबूल भी कर लिया, बौद्धिक तरीके से उसको माना भी तो वह बात आमतौर से दिलों में नहीं उतरी। लेकिन आज रफ्ता-रफ्ता बेसिक एजूकेशन इस मंजिल पर आ गई कि कम से कम एजूकेशन डिपार्टमेंट और टीचर्स अक्ली तौर पर ज्यादातर तस्लीम करते हैं। अब भी उसके न मानने वाले हैं। यह दुश्वारी इस वजह से हुई क्योंकि हम लोग लिबरल एजूकेशन पाये हुये हैं। इसलिये हमने यह समझा कि महात्मा गांधी ने या जाकिर हुसैन कमेटी ने यह जो चीज चलाई तो यह कोई जंगल की ओर ले जाना चाहते हैं या पुरानी तहजीब की ओर ले जाना चाहते हैं। एक बात और थी और वह यह कि वह लोग टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे। उन्हें अपनी पुरानी तहजीब और तमद्दुन के मुताल्लिक कुछ नहीं मालूम था। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि रूसी क्या कहता है, स्पेंसर क्या कहता है, विलियम जेम्स क्या कहता है ?

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे देर से बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर पहले मौका दिया होता तो हमारे मुख्य मंत्री जी नहीं थे, उस समय। इसलिये मैं समझता हूं मुझे बोलने का अच्छे वक्त मौका दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निःसंदेह सरकार अच्छी, हमारे मुख्य मंत्री अच्छे, शिक्षा मंत्री अच्छे और विद्या, बुद्धि और पांडित्य के साथ शिक्षा का होना और भी अच्छा है। आप लोगों ने इम्तहान भी पास किया है, जिस समय बिगुल बजा था उसमें भी आप पास हुए। फिर भी अगर हमारे दोस्त शिकायत करते हैं कि बजट अच्छा नहीं है, ऐसा कहने वाले लोग भी अच्छे-अच्छे हैं, उनका कहना भी गलत नहीं है। कुंवर श्रीपालसिंह ने नयी बात कह दी, बहुत सी बातों के लिये धन्यवाद दिया और साथ ही अनुशासनहीनता को भी धन्यवाद दिया। तो अच्छा भी, मगर फिर भी शिकायत क्यों की जाती है इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यह गलत बात है कि हर साल बजट आये और उसकी तारीफ भी हो और मुखालफत भी। सोचना यह है कि क्या किया जाय जिससे बजट की शिकायत न हो। तो मेरा कहना है कि इस से अच्छा बजट नहीं बन सकता है। मान लिया जाय यह सरकार न हो, विरोधी दल सरकार बनाये, पार्टी हुकूमत अगर रहेगी तो इससे अच्छा बजट बन नहीं सकता केवल पब्लिक हुकूमत ही अच्छा बजट बना सकती है। पब्लिक हुकूमत और पार्टी हुकूमत के बारे में कुछ कहने के लिये समय कम है इसलिये उधर न जाकर मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं।

मुझे आज तकलीफ हुई इस बेंच के एक विद्वान की जबान से सुन कर जब उन्होंने यह कहा कि अंग्रेजी जानने वाला चरित्रवान नहीं होता। अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी है, मगर अंग्रेजी से संस्कृत बहुत अच्छी है। लेकिन संस्कृत के साथ अगर अंग्रेजी जान जायगा तो बहुत अच्छा है और विद्वान हो जायगा। यह कौन-सी बात है कि संस्कृत के विद्वान ही उपदेश दे सकते हैं ? संस्कृत का विद्वान जहां अंग्रेजी जान गया उसकी सारी अक्ल खत्म हो जायगी ? यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

दूसरी बात मुझे धर्म के बारे में कहनी है। हमारे माननीय गोविन्द सहाय जी ने बताया कि धर्म तो जहर है, स्लो प्वाइजन है, और इसके क्लासेज लगते हैं कालेजेज में, विश्वविद्यालयों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में। उन्होंने कहा कि धर्म गलत है, वर्णाश्रम गलत है। मुझे कोई ताज्जुब नहीं है क्यों कि वह पले ही हैं उस शिक्षा में कि अगर धार्मिकता रहती है तो शौके लीडरी होने में धक्का लगेगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि पांडित्य की पूजा होती है। वह जानते नहीं कि धर्म क्या चीज है। एक लंगोटी पहनने वाले ने स्वराज्य दिला दिया। गांधी जी ने कहा कि एक तरफ स्वराज्य मिलता है लेकिन झूट बोल कर हमें नहीं चाहिये। ऐसे स्वराज्य को आदाब अर्ज है। स्वराज्य मिले हिंसा, तलवार पर तो नहीं चाहिये। बड़े-बड़े पॉलीटीशियंस फेल हो गये लेकिन जो 'रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम' कहता था वह कामयाब हो गया। इसके बाद मैं क्या बतलाऊं कि धार्मिकता क्या चीज है और क्या चीज नहीं है!

आप साहबान बड़े जिम्मेदार हैं। थोड़ी-सी अपनी शिकायत सुनिये, मिनिस्टर साहबान भी और मेम्बर साहबान भी। जड़ में खराबी है। जड़ ठीक होगी तभी सरकारी कर्मचारी ठीक होंगे और सरकारी कर्मचारी ठीक होंगे तो पब्लिक ठीक होगी। क्या तुक है २४ घंटे मिसिल साथ, यहां भी मिसिल साथ। आप पत्थर हैं, इंसान हैं या आदमी हैं? काम करने का घंटा है। हद से ज्यादा काम करियेगा तो काम ज्यादा खराब हो जायगा। फिर आनरेबिल मिनिस्टर साहबान के ये डिप्टी मिनिस्टर व पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी किस लिये हैं? ये लिख कर भेजें, आप दस्तखस्त कर दीजिये और देख लीजिये कि काम ठीक है या नहीं और जो पालिसी आपने बनायी थी वह कैरी आउट हो रही है या नहीं।

आपको याद होगा कि यहां से आर्डर है हिन्दी का। फाइल को पेश किया जाता है हिन्दी में लेकिन आफिसर दस्तखत करते हैं अंग्रेजी में। बस्ती जिले से चिट्ठी आती है कि फलां तारीख को मिनिस्टर आयेंगे, आप आइये। मैंने मिनिस्टर को लिखा कि मैं हिन्दी जानता हूं, आप मेहरबानी कर के हिन्दी में लिखिये। लेकिन मेरी चिट्ठी लिखने के बाद भी अंग्रेजी में चिट्ठी भेजी। आपके सर्कुलर की कोई वकत नहीं, वह झूठा है। आप इसे वाच करें। मेरी गुजारिश है कि इसपर आप वक्त लगाइये और ऐक्शन लीजिये तब काम ठीक होगा।

मेरे दोस्त ने फरमाया कि कुछ तनख्वाहें कम हैं, बढ़नी चाहिये। इधर से भी और उधर से भी कहा गया। बहुत अच्छा जुमला है कि तनख्वाहें कम हैं, बढ़नी चाहिये। सरकारी अफसरों की हमदर्दी आसानी से ली जा सकती है लेकिन इन कुर्सियों पर बैठने वाले देखते हैं क्या इनकम है और क्या खर्च है और कहां से बढ़ाया जाय। यह कहिये कि इस मद को काट कर इसको बढ़ा दीजिये। निराधार बात कह कर उन कर्मचारियों की आप हमदर्दी चाहते हैं। साफ कहिये कि पैसा हम देना चाहते हैं। लेकिन आये कहां से? मुल्क गरीब है पैदावार कम है। पैदावार बढ़ेगी तो जरूर पैसा दिया जायगा।

यूनिवर्सिटियों का हाल देखिये। केवल डिग्री ले लेना काफी नहीं होता। लड़कों में विनम्रता आनी चाहिये। कालेज से पास हो कर निकलते हैं तो मोस्ट कम्युनल हो कर निकलते हैं, हसद करने वाले हो कर निकलते हैं। वहां से पास हो कर निकलते हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं। आप शक्ल बदल कर जाइये। आपके कर्मचारी जो ऊंचे कर्मचारी हैं उनके बीच में जाइये। यह मत बताइये कि आप कौन हैं और फिर देखिये कि वहां आपकी कितनी निन्दा की जाती है और यहां आ कर बेंच पर बैठते हैं। चाय पर कुछ बात होती है। मीटिंग में कुछ बात होती है। खाने पर कुछ बात होती है। आपका आदमी घूमना चाहिये कि कौन मिनिस्टर कम्युनल है। एक स्पीच हुई तो एक आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि उर्दू रीजनल लैंगुएज होनी चाहिये। हुजूर वाला, मैं कई दिन के बाद खड़ा हुआ हूं। १६ तारीख को इससे पहले खड़ा हुआ था। मैं ५ मिनट और चाहूंगा।

श्री राजनारायण--जरूर दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—राजनारायण जी भी सिफारिश कर रहे हैं। इसलिये २, ३ मिनट और दे दूंगा।

श्री सीताराम शुक्ल—वहां जा कर तकरीर फरमाते हैं कि उर्दू रीजनल जबान होनी चाहिये। कोई रोकता है कि उर्दू न पढ़ो क्या कोई सर्कुलर निकला है कि उर्दू पढ़ने वालों को सजा दी जायगी? उर्दू पढ़ने वालों की मदद की जा सकती है लेकिन सरकारी कार्यवाही उर्दू में हो यह नहीं होगा। खुश करने के लिये अगर कोई उर्दू की जायगी तो कुछ खुश होंगे और मेजारिटी नाराज हो जायगी। जिसकी हिम्मत हो वह इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ ले कि उर्दू हो या हिन्दी हो। उर्दू अच्छी जबान है, बड़ी मीठी जबान है, लेकिन वह सरकारी जबान नहीं होगी। हमें शिकायत है कि मोस्ट कम्युनल आदमी के लिए कोशिश हो रही है कि पार्लियामेंट में भेज दिया जाय। पार्टीबाजी की हद हो गयी। ऊपर उठिये पार्टीबाजी से। कुर्सी रहे या जाय, लेकिन सही काम को अगर आप करेंगे तो कुर्सी आपके पीछे घूमेगी और गलत काम करेंगे तो कुर्सी आप से भाग जायगी। आपने मुझे और वक्त दिया मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—मान्यवर, मैं दो, एक बातें अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। वैसे और बातें काफी आ चुकी हैं। मैंने कल जो कटौती का प्रस्ताव दिया था वह इसीलिये कि कुछ अपने क्षेत्र की बातें कह सकूं। हमारे क्षेत्र में गोरखपुर विश्वविद्यालय है और १४ जिले उसके अन्तर्गत हो गये हैं। उसकी स्थापना करने के समय यह कल्पना थी कि यह ग्रामीण विश्वविद्यालय बनेगा। मगर वह कोई योजना ठीक-ठीक नहीं आ सकी। विश्वविद्यालय कायम हुआ। राधाकृष्णन् कमीशन ने भी यह तय किया था कि क्षेत्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों में वहां की समस्याओं के समाधान के लिये ऐसे विषय डाले जायंगे जिससे वह विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सके। गोरखपुर विश्वविद्यालय उस पूर्वी अंचल में है जहां अभाव का साम्राज्य है और साथ ही वहां पर उत्तर प्रदेश की आधी गन्ने की मिलें हैं। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान उधर की समस्याओं की ओर और कम से कम उस विश्वविद्यालय की ओर जो कि बहुत बाद को कायम हुआ है दिलाना चाहता हूं कि वहां की क्षेत्रीय समस्याओं को हल करने के लिये उस विश्वविद्यालय को पथ-प्रदर्शक बनाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास करे। अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं, ४५ लाख रुपये दूसरी पंचवर्षीय योजना में गोरखपुर विश्वविद्यालय को देने को थे जिसमें से ३० लाख के करीब मिल चुका है और १५ लाख बाकी है। केन्द्रीय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जो अध्यक्ष आये थे उन्होंने उधर की जनता को और वहां के प्रतिनिधि मंडल को यह आश्वस्त किया था कि अगर उत्तर प्रदेशीय सरकार १५ लाख रुपया देगी तो ३० लाख रुपया केन्द्र देगा। इसके माने यह थे कि ४५ लाख रुपये से इस विश्वविद्यालय का बड़ा कल्याण हो जायगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह एक बड़ी आवश्यक समस्या है उसको हल करने में और उसकी क्षेत्रीयता के लिये जो रूप-रेखा होगी उसमें बड़ी सहायक होगी।

दूसरे यूनिवर्सिटी कमीशन की बात कई बार इस सदन में आयी है। उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। सन् १९५२ में डाक्टर राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसकी बहुत सी बातें अभी कार्यान्वित भी नहीं हो सकी हैं और ८ वर्ष के बाद एक दूसरा कमीशन आ गया। तो यह मैं नहीं समझ पाता हूं कि कौन सी समस्यायें उसके सामने हैं। हां, एक-आध विषय जरूर है, जैसे अनुशासन और क्षेत्रीय समस्याओं के विषयों का निर्धारण करना जो इस कमीशन को रेफर कर सकते हैं लेकिन सारे विश्वविद्यालयों के लिये कमीशन बैठाना कुछ बहुत आवश्यक नहीं मालूम होता और जैसा कि कहा जाता है, कमीशन बैठाने का मतलब समस्या को और स्थगित कर देना होता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो दो, एक खास विषय हैं उनको ले कर इस यूनिवर्सिटी कमीशन को बिठायें तो अच्छा हो और यदि व्यापक छोड़ देंगे तो बड़ा समय भी लगेगा और पैसे का भी दुरुपयोग होगा। साथ ही साथ हमारी

जो प्रमुख समस्याएं हैं, विषयों का निश्चित करना, वायस चांसलर की नियुक्ति, अनुशासनहीनता, इनका हल नहीं हो सकेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर कमीशन अभी हाल में बैठा था। लखनऊ यूनिवर्सिटी पर कमीशन की रिपोर्ट है ही। काशी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सब को जानकारी है ही। मेरी छोटी-सी बुद्धि में सारे विश्वविद्यालयों के लिये कमीशन बिठाना आवश्यक नहीं दीखता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय दो वर्ष से कायम हुआ है। संस्कृत वाराणसेय विश्वविद्यालय पारसाल से चल रहा है। इनके बारे में क्या जांच करवाएंगे? गोरखपुर विश्वविद्यालय अपने ढंग का एक है। यह रेजिडेंशल, एफीलिएटिंग और टीचिंग भी है। इन दोनों विश्वविद्यालयों में कमीशन की क्या उपयोगिता होगी?

हमारी एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें जो डिग्री कालेजेज खुलते हैं उनमें एक स्पष्ट नीति होनी चाहिये। वही पुराना तौर-तरीका, वही पढ़ाई जिससे लड़के निकल कर नौकरी खोजें। मैं निवेदन करूंगा कि कृषि, इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्निकल, वैज्ञानिक अनुसंधान---ऐसे विषयों की शिक्षा ऊंचे स्तर पर देनी चाहिये। हमारे क्षेत्र में चार कृषि महाविद्यालय हैं। उनके लिये नियम है कि तीन वर्ष तक वहां के संस्थापक चला लें तब अनुदान मिलता है। आर्ट्स कालेज के लिये भी वही नियम है। कृषि विज्ञान के महाविद्यालयों पर बड़ा खर्चा होता है जब कि आर्ट्स कालेज के चलाने में आमदनी होती है। इसलिये अगर सरकार की यह इच्छा है कि हमारे छात्र उपयोगी शिक्षा ग्रहण करें तो यह उपयोगी संस्थाएं जो हैं इनको विशेष रूप से सुविधा देने के लिये नियम में ढिलाई कर दें।

माध्यमिक शिक्षा के बारे में हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद् है। उससे सम्बन्धित अधिनियम हमने चार-पांच धाराएं बढ़ायी हैं। १९५९ में जो अधिनियम पास हुआ उसके अन्तर्गत व्यवस्थापक समितियों की रूपरेखा के देख-रेख के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से डिप्टी डाइरेक्टर नियुक्त किये गये हैं, संस्थाओं की नियमावली को देखने के लिये। जितनी संस्थाएं हैं उतने प्रकार की नियमावली है। उनको पांच वर्ष लग जायंगे, एक-एक डिटेल देखने में। इसलिये मेरा सुझाव है कि एक माडल आउटलाइन प्रशासन या माध्यमिक परिषद् की ओर से बना देनी चाहिये। वरना समय का बड़ा दुरुपयोग होगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। टेक्स्ट बुक्स का जो चयन होता है, उसमें बहुत सी किताबें होती हैं। प्रिंसिपल्स को अधिकार है कि वह उनमें से चुन लें। वह दो तीन वर्ष के बाद किताबों को बदल देते हैं। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि इन किताबों का राष्ट्रीयकरण कराएं अर्थात् परिषद् पुस्तकों को लिखवायें और इनीगिनी किताबें लिखी जायं।

प्राथमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की रीढ़ है। जिस समाज में शिक्षा की ठीक व्यवस्था नहीं है वह समाज ठीक बन नहीं सकता। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी शिक्षा मन्त्री १९५१ में थे। उन्होंने एक ऐक्ट शिक्षा का रखा था। मान्यवर, उसमें माध्यमिक और प्राथमिक दोनों प्रकार की शिक्षा के लिये बातें रखी गई थीं और उसमें ऐसी भी कल्पना थी कि सारे प्रदेश में एक माध्यमिक शिक्षा के लिये तथा एक प्राथमिक शिक्षा के लिये भी ऐसी संस्था होगी जो कि प्रादेशिक स्तर पर एक सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के लोगों से बनी हुई होगी और जो कि उसकी नीति निर्धारित करने के लिये सुझाव देती रहेगी। मैं समझता हूं कि उससे शिक्षा का सरकारीकरण रुक सकता है। यही दो-तीन बातें मुझे कहनी थीं और इन सुझावों के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं। दो एक बातें जो उसमें अच्छाइयां थीं जैसे मिलिट्री की शिक्षा और राजनीतिक संग्राम में भाग लेने वालों के बारे में इतिहास लिखने के लिये जो प्राविजन उन्होंने रखा है, वह बहुत ही श्लाघनीय हैं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय बंशीधर शुक्ल, चूंकि समय अब कम रह गया है इसलिये आप पांच-सात मिनट ही लें और बाद में श्री सुरथबहादुर को भी इतना ही समय रहेगा।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--तो फिर मैं चाहता हूं कि आप मौका न दें। शाह जी को ही मौका दें, वही बोल लें, वह भी मेरे भाई हैं।

श्रीमान् जी, मैं बहुत दिनों से यह देख रहा हूं कि कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई इसलिये लड़ी थी, जनता ने आपको यहां इसलिये बैठाला था कि अंग्रेजी परम्परा को आप तोड़ेंगे। लेकिन आप उसी अंग्रेजी परम्परा की पूंछ पकड़कर न जाने कहां जाना चाहते हैं और देश को कहां ले जायेंगे? आप तो समुद्र में डूबेंगे लेकिन जनता को जाने कहां फेकेंगे? तो यह सब क्या हो रहा है? उधर से कमेटी में चन्दा दिया कीजिये, तरक्की के हिज्जे किया कीजिये। हम इस हाउस में यह एक परम्परा देख रहे हैं। बजट यहां पेश होता है, उधर वाले अपना मद्देसहाबा पढ़ते हैं, इधर से अपना तबर्रा पढ़ा जाता है और बजट इसी तरह ज्यों का त्यों आप पास करा ले जाते हैं। तो वह तो आप हां पार्टी में हैं जो चाहेंगे पास होगा ही। लेकिन मैं यह आपसे प्रार्थना करूंगा कि जनाब आप यह परम्परा अब तो तोड़िए। अगर आपको कुछ काम करना है, क्योंकि आप महात्मा गांधी के नाम पर वोट लेकर यहां आये हैं, तो उस मर्यादा की रक्षा के लिये आप अब इस परम्परा को तोड़िए और अंग्रेजी शिक्षा को खतम कीजिये। अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है। भारतवर्ष का बच्चा ६ वर्ष के अन्दर सभी विद्यायें सीख सकता है। हमारे देश में विद्यायें ही कितनी हैं कुछ थोड़ी-सी प्रान्तीय भाषायें, और राष्ट्र भाषा हिन्दी, और हमारे प्रान्त में तो सौभाग्य से कोई भाषायें ऐसी नहीं हैं, केवल बोलियां हैं, कुछ थोड़ी सी उर्दू है, संस्कृत है और हिन्दी है। संस्कृत के केवल ४,००० सूत्र हैं जिन्हें याद कर कण्ठाग्र कर लिया जाय तो बोलने, समझने में कभी कोई कठिनाई पड़ नहीं सकती। पाणिनि जी ने उसे बनाया ही इस तरह से है कि कुछ विशेष उसमें बताने को नहीं रह जाता स्वयं उसमें से अर्थ पैदा होता है, और हिन्दी एक साल में, उर्दू एक साल में और किसी तरह से तीन-चार साल में वह तीन चार भाषायें विद्यार्थी सीख सकता है। उसके बाद आप उसको ट्रेनिंग जो देना चाहें दीजिए। अगर वह इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दीजिए, अगर वह कपड़े का काम सीखना चाहता है तो उसे वही कार्य सिखाइए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बच्चे-बच्चे को जो ३६ करोड़ ४० लाख पूरे देश की आबादी है, उसको सबको आप ग्रेज्युएट बना दें और आर्थिक परिस्थिति यही रही तो फिर आप सोचिये कि देश का क्या होगा। पता नहीं आप इसे इंगलैंड का गुलाम बनायेंगे या अमरीका का गुलाम बनायेंगे। इतना कर्जा लादते चले जा रहे हैं, जिसका १ करोड़ ४० लाख रुपया सालाना सूद देना पड़ता है। तो आपको इसलिये यहां नहीं बैठाला गया था कि आप हमको गुलाम बना दें अमरीका का या रूस या चीन का। हम तो देखते हैं तो गुस्सा लगती है मगर किस पर गुस्सा करें.....

श्री उपाध्यक्ष---आप लखनऊ में बोल रहे हैं, दिल्ली में नहीं।

श्री बंशीधर शुक्ल---श्रीमान् जी, दिल्ली और लखनऊ की सरकार एक ही है। एक अंग्रेजों की छोटी बच्ची और दूसरी बड़ी बच्ची (हंसी)।

श्रीमान् जी, शिक्षा में आज जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं उनके सम्बन्ध में मैं गृह मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि मन्त्री जी तथा गृह मंत्री जी वे स्वयं बड़े अच्छे कवि हैं, कविता जानते हैं, उन्हें मालूम है कि तुलसीदास की रामायण के बाद इधर जितनी भी कवितायें लिखी गई हैं वह कालेजों में पढ़ाने के काबिल नहीं हैं। मैं तो कहता हूं कि बिहारी की कविता में आपके साथ आपके घर चलकर पढ़ूं। अगर आप नहीं तो आपके घर में से कोई डंडा लेकर मारने के लिये अवश्य निकल पड़ेगा। तो इन कविताओं को कालेजों में पढ़ाना या विद्यापति की पदावलियों को पढ़ाना यह सब आप बन्द कर दीजिये। सब वही प्रेम और विरह की बातें लिखी जाती हैं। इसी को कविता तथा रस का नाम दिया जाता है। यह बन्द कर दिया जाय। नाविल को लिखना और नाविल के लिये कोई प्रोत्साहन देना या पढ़ना या पढ़ाना बिलकुल बन्द कर दिया जाय। यह गलत है। अगर आप

स्कूलों में कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो भाषा पढ़ाइये। उस भाषा के साथ-साथ उत्तम चरित्र पढ़ाइये। एक मजदूर का चरित्र निहायत अच्छा होता है, अपनी मेहनत से पैदा करके अन्न खाता है, अपनी मेहनत करते-करते वह मर जाता है, किसी को हानि नहीं पहुंचाया करता, किसी का सहारा नहीं चाहता उसका चरित्र अच्छा है। एक कलाकार का चरित्र दूषित होता है अगर वह त्याग, तपस्या की मनोवृत्ति रखकर जीवन निर्वाह नहीं करता, जिसको समाज अच्छी दृष्टि से उचित नहीं समझता हैं। आप अपने यहां जो चरित्र अच्छे हैं उपदेश देने वाले रहे हैं, उनको पढ़ाइये। चरित्र तो भारतवर्ष के अनेक महानुभावों के इस प्रकार के रहे हैं जिससे बहुत बड़ी शिक्षा यहां के बच्चों को मिलती रही है। यहां पर आप जानते हैं कि इस प्रकार की स्त्रियां हुई हैं कि जो अपने पतियों के साथ जीवित जल जाती हैं। उनका चरित्र इस प्रकार उत्तम, इन्कलाबी, उपदेशजनक रहा है जिसका किसी देश में जोड़ नहीं। मगर हाय रे देश ! उनको कोई पूछने वाला नहीं। उनके अन्दर से अपने आप एक आग पैदा होती है और वह अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। यह भारतवर्ष के उदाहरण हैं जिस पर भारत देश जीवित है। आप इस तरफ नहीं देखते हैं। आप तो विलायत की तरफ देखते हैं कि विलायत की श्रीमती क्या बोलती हैं और चीन की श्रीमती क्या बोलती हैं। अगर आपको ऐसा ही करना है तो अपने बालकों से कह दीजिये कि :--

कब तक कृषक अन्न बांटेंगे, कब तक श्रमिक करेंगे सेवा ?
कब तक कालिज शिक्षा देंगे, कब तक राज्य नौकरी देगी ?
अच्छा होगा चलो यहां से पहुंचो किसी विदेशी के घर।
वहीं कमाओ, वहीं लुटाओ, उनमें अपनी नस्ल जमाओ उनको अपना पुत्र बनाओ।
तब सब विश्व तुम्हारा होगा, नहीं किसी की हिम्मत होगी,
करे बाप से रण, आमन्त्रण, यारो करो नस्ल परिवर्तन।।

फिर चीन से भी कोई डर नहीं रहेगा। क्योंकि चीन की नस्ल परिवर्तन हो जायगी। इसलिये श्रीमान् जी, इन कालेजों से और इन पुस्तकों से काम नहीं चलेगा। इस पढ़ाई-लिखाई की जरूरत आज नहीं है। जिनके वोट लेकर आप यहां आये हैं उनसे जाकर पूछिये कि वे कैसी शिक्षा चाहते हैं। वह खुद बता देंगे कि किस प्रकार की शिक्षा उनको पसन्द है। उसी से इस देश का लाभ होगा। अंग्रेजी शिक्षा सभ्यता से नहीं, बस इतना ही समय है।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--श्रीमन्, यह मेरा सौभाग्य है कि आज तीन वर्ष के बाद मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं यहां पर जब बोलूं उस समय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद हों। मैं अच्छी पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस तो यह समझता हूं कि पिछले जो माननीय सदस्य या स्पीकर बोले हैं उनसे अपने तार को संबंधित करूं लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है कि माननीय सदस्य देवरिया और माननीय सदस्य कानपुर के भाषणों को मैं समझ नहीं पाता हूं। अब मुझे अर्ज यह करना था कि जितने मंत्री हैं उतने ही प्रकार की शिक्षा की स्कीमें हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर एग्रीकल्चर शिक्षा को चलाते हैं। हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ की शिक्षा को चलाते हैं। - मुख्य मंत्री जी गृह उद्योग की शिक्षा को चलाते हैं। पावर के मिनिस्टर इंजीनियरिंग की शिक्षा को चलाते हैं। यह नहीं मालूम कि माननीय कमलापति जी किस शिक्षा के मंत्री हैं ? और वह किस शिक्षा को चलाते हैं। इसके संबंध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि दो प्रकार की शिक्षा मिनिस्ट्रियां होनी चाहिये। एक जनरल शिक्षा की और दूसरी टेक्निकल शिक्षा की। अब यहां है क्या ? म्यूजिक कालेज इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के अन्दर है। आर्ट कालेज गृह उद्योग के अन्दर है। रुड़की इंजीनियरिंग कालेज पावर से संबंधित है। एग्रीकल्चर कालेज से एग्रीकल्चर मिनिस्टर का संबंध है। हुकुमसिंह जी यहां पर हेल्थ शिक्षा को चला रहे हैं। एक मिनिस्टर होना चाहिये जो जनरल शिक्षा से संबंध रखे और एक मिनिस्टर टेक्निकल शिक्षा से।

[श्री सुरथबहादुरशाह]

दूसरी बात यह है--मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता--मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष आपके सेकंड फाइव ईयर प्लान का अन्त होने को है। आप मेहरबानी करके यह बतायें कि आपका लक्ष्य क्या था, आपका ध्येय क्या था, और आपने उसमें कितना परसेंट अचीव किया या कितने फीसदी सफलता प्राप्त किया ? यह बात अलग है कि इतने स्कूल थे वह दूने हो गये और इतने टीचर थे वह इतने ज्यादा हो गये और छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इससे प्यास नहीं बुझती है। असली तरक्की तो तब मालूम होगी जब आप यह बतलायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य यह था और इस में से इतना हम प्राप्त कर पाये और इतना रह गया। उसके बाद ही मालूम हो सकेगा कि आपकी कितनी प्रगति हुई और आप काबिले तारीफ हैं या निन्दा के काबिल हैं।

दूसरी बात, मैं यह समझता हूं कि किसी भी समाज या देश के बारे में अगर हम यह जानना चाहते हैं कि वह तारीफ के काबिल है या निन्दा के तो हमें यह बात उसकी दो चीजों से मालूम हो सकती है। पहला कि उस समाज या देश में अध्यापकों का क्या status अर्थात् सामाजिक स्थिति है और दूसरा उस समाज में महिलाओं का क्या आदर होता है। जहां महिलाओं का आदर और टीचर्स पर विश्वास नहीं रहता, उस देश का, आगे क्या होने वाला है भगवान जाने; क्योंकि यही दोनों भविष्य पीढ़ी का निर्माण करती हैं।

हमारा जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है उसका वेतन इतना नेग्लीजेबिल है, कम है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती और न वह अपनी इज्जत बना सकता है, जैसा किन्हीं माननीय सदस्यों ने कहा भी कि वह गांव के पटवारी के साथ भी अपना मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर वह जो भावी जवाहरलाल और राजेन्द्र प्रसाद को शक्ल देने वाला है वह क्या शक्ल देगा, यह मैं समझ नहीं पाता। इस ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा हमें यह निश्चित कर लेना चाहिये कि हायर सेकेंड्री स्टेज के बाद हम विद्यार्थी को क्या शक्ल देना चाहते हैं। आजकल की शिक्षा प्रणाली से जल्द ही यूनिवर्सिटी एजूकेशन पर इतना बोझा हो जायगा कि वह किसी के सम्हाले नहीं सम्हलेगा, क्योंकि लड़का हाई स्कूल पास करता है तो उसे नौकरी नहीं मिलती और वह इंटरमीडियेट पढ़ने लगता है, इंटर पास करने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता तो बी० ए० करता है और फिर एम० ए० में दाखिले के लिये और पी० एच० डी० करने के लिये मारा-मारा फिरता है और रहता बेकार का बेकार ही है। तो हायर सेकेंड्री को क्वालीफाइंग इक्जामिनेशन होना चाहिये और उस के बाद तय हो जाना चाहिये कि लड़के को किस तरह की शिक्षा पानी है, किस लाइन में भेजना है और उसी हिसाब से उसकी आगे की पढ़ायी होनी चाहिये इसके plan या नियोजन की जिम्मेदारी सरकार पर है।

अन्त में मैं यह फिर कहूंगा कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन दो प्रकार की करनी पड़ेगी हम लोगों को। एक तो residential और दूसरी Affiliating Residential Post-graduate Studies के लिये और Affiliating Under-graduate Studies के लिये। अगर इस प्रकार का परिवर्तन न किया गया तो विश्वविद्यालयों पर बोझ बहुत बढ़ जायगा और वह किसी के सम्हाले नहीं सम्हलेगा।

एक शब्द मैं और कहना चाहता हूं। कल मुझे अपने वयोवृद्ध और तजुर्बेकार नेता स्वतंत्र दल के भाषण को सुन कर ताज्जुब हुआ। उन्होंने अपने भाषण के अन्त में एक विश्वविद्यालय में, जहां उपकुलपति का चुनाव होने वाला है और उनका जो चुनाव करने वाले हैं, उनके लिये उन्होंने कुछ कहा था। मैं आप के द्वारा उनको इस बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो लोग वहां पर इस पोजीशन में हैं कि जो चुनाव कर सकें, वे पूर्ण दक्ष हैं और वे अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं। और मैं उनको यह इतमीनान दिलाना चाहता हूं कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझ कर कभी अनुचित बात नहीं करेंगे लेकिन

माननीय नेता की इस बात को लेकर हमारे यहां के किसी खास पत्र के पत्रकार गलत प्रचार करके उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर सके हैं। चूंकि समय नहीं है इसलिये मैं इतना ही निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल से) आपको केवल १० मिनट का ही समय है। आप कृपया इसी में अपनी बात कह लें।

(श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल के खड़े होने पर)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आपने मुझे भी समय देने को कहा था।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री राजनारायण--१५ मिनट बढ़ाने का हक है आप को।

श्री उपाध्यक्ष--आप बैठिये (श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल से) आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय उपाध्याक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये इस सम्मानीय सदन का अत्यन्त कृतज्ञ हूं कि मेरी इस बात से सभी वक्ताओं ने सहमति प्रकट की कि शिक्षा में सुधार की, आमूल सुधार की और क्रांतिकारी सुधार की आवश्यकता है। जिन माननीय सदस्यों ने शुरू में यह कहा कि वे मेरे कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करने के लिये खड़े हुए हैं उन्होंने भी मेरी बातों का, मेरे सुझावों का घनघोर समर्थन किया और मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरी बातों से सहमति प्रकट की। मैं यह भी मानता हूं कि कुछ साथियों ने मेरे सुझाव का गलत मतलब लगाया, लेकिन मैं उस मतभेद का उत्तर देने की आवश्यकता इसलिये नहीं समझता हूं कि वह मतभेद मेरे उन दोस्तों को मेरी बातों को न समझने के कारण हुआ। एक बार ईसा मसीह ने कहा था "Father forgive them, because they do not know what they are doing." यही मैं कहना चाहता हूं और उन्हें क्षमा करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--अन्तर यह है कि उन्होंने तो फादर से क्षमा करने के लिये कहा था और आप खुद क्षमा कर रहे हैं (हंसी)।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--यह मैं समझ सकता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सदन के कुछ सदस्यों को फादर से कुछ थोड़ी सी शिकायत हो, और मुमकिन है आप भी उन्हीं में से हों, क्योंकि माननीय गोविन्द सहाय जी ने यह कहा था कि किसी धर्म में यह माना गया है कि राजा ईश्वर का पुत्र है और इसलिये वे राजा के विरोध की झोंक में ईश्वर का भी विरोध करने लगे। तो मैं इस सेंस में इसका प्रयोग कर रहा हूं।

अब मैं केवल एक दो बातों का स्पष्टीकरण करूंगा और सुझाव दूंगा, क्योंकि उत्तर देने के लिये कोई आलोचना है ही नहीं। स्पष्टीकरण में मुझे दो बातें कहनी हैं। सबसे पहले तो मुझे यह कहना है कि माननीय सुरथबहादुर शाह जी ने जो बात कही उसके संबंध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा मतलब यह नहीं था कि द्वेष आदि के कारण किसी के विरुद्ध जन-ख अथवा लोकापवाद के कारण किसी को दंडित किया जाय, वह मैं स्वयं जानता हूं। मेरा मतलब केवल इतना था कि जिन लोगों के संबंध में प्राइमाफेसी केस हो और जिनकी बाबत में मारल बनाने का कन्विकशन हो, चाहे अदालती सबूत न हो, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि चुनाव करने वाले भी उस व्यक्ति के संबंध में इसे ध्यान में रखेंगे। मेरा यही मतलब था।

दूसरी बात जिसके ऊपर मुझे माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है वह यह है कि उनके पास लखनऊ विश्वविद्यालय के एसोसिएटेड टीचर्स का एक प्रार्थना-पत्र आया

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

होगा। उस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनकी जो शिकायत है कि जो रिवाइज्ड ग्रेड्स कायम किये गये हैं उससे उनके साथ कुछ अन्याय होता है, न्याय नहीं होता, तो उनकी इस शिकायत पर सहानुभूतिपूर्वक सानुकूल विचार कर के वे जो उचित समझें वह निर्णय करें।

एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय अजीजुर्रहमान ने जो धार्मिक शिक्षा के बारे में कहा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरा मतलब कतई यह नहीं था कि धार्मिक शिक्षा किसी एक संगठित धर्म की शिक्षा हो। संस्कृत में यह 'धर्म' शब्द ऐसा है कि उसका उर्दू या और किसी भाषा में सही अनुवाद नहीं हो सकता। 'धर्म' के मानी उन नियमों से हैं कि जिनके धारण से समाज का लाभ होता हो और समाज कायम रहता हो। इसलिये 'धर्म' शब्द का मैंने इस अर्थ में प्रयोग किया था। जो बातें सब धर्मों में हैं, उनकी शिक्षा दी जानी चाहिये। हमारे अजीजुर्रहमान जी जो सोशलिस्ट बन गये हैं वे अगर स्वीकार करें तो इस्लाम धर्म की भी शिक्षा दी जानी चाहिये। इसी के संबंध में मैं एक बात यह और कह देना चाहता हूं कि यह न समझा जाय कि विज्ञान और धर्म में आपस में कोई विरोध है, बल्कि इसके प्रतिकूल हिन्दू दर्शन शास्त्र में ज्ञान के मानी यह हैं कि अनेक में एक को देखने की शक्ति। इस समस्त विश्व में ब्रह्म तत्व को देखने-सुनने की शक्ति को हिन्दू दर्शन में ज्ञान कहते हैं और एक में अनेक देखने की शक्ति को विज्ञान कहते हैं। एक विश्लेषणात्मक है और दूसरा समन्वयात्मक है। तो विज्ञान विरुद्ध नहीं है ज्ञान के, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

इसके बाद माननीय श्रीपालसिंह ने जो यह सुझाव दिया कि खेल के मैदानों की तरफ, विद्यार्थियों के लिये, सरकार का ध्यान जाना चाहिये, उस पर मैं खास तौर से जोर देना चाहता हूं। क्योंकि खेलकूद से केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता, चरित्र का निर्माण भी होता है और समय बचाने के लिये मैं अंग्रेजी की एक कहावत की ओर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो मुझे माननीय श्रीपालसिंह जी का भाषण सुन करके याद आयी। वह यह है कि "Battle of Waterloo was won in the play-fields of Eton." तो ड्यूक आफ विलिंगडन के चरित्र का जो निर्माण हुआ खेलों के मैदानों में उसी से उन्होंने वाटरलू के मैदानों में नैपोलियन पर विजय प्राप्त की। तो शारीरिक विकास के लिये ही नहीं, चरित्र निर्माण की दृष्टि से भी खेलकूद की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। सही बात तो यह है कि हमारे राजनीतिक दलों में भी, परस्पर विरोधी दलों में भी कुछ दलों के भीतर जो गुट हैं उनमें अगर स्पोर्ट्समैन की भावना आ जाय तो हमारा जो कटुता का द्वेषमय और दूषित वातावरण दिखाई देता है इसमें बहुत कुछ कमी हो जायगी। इसलिये मैं इस बात की ओर खास तौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि खेलकूद की ओर भी अब तक जितना ध्यान दिया जाता है उससे अधिक दिया जाय, यह आवश्यक है। माननीय अजीजुर्रहमान साहब ने कहा कि इखलाक की तालीम जैसी मिल रही है उससे अलग कोई नहीं होनी चाहिये। सुनकर मुझे थोड़ा-सा अचरज हुआ। उसका कारण हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय अजीजुर्रहमान साहब हमारे उन नये कांग्रेसियों में से हैं कि जिनको कांग्रेस के मूल सिद्धांत क्या हैं, महात्मा गांधी, जिनकी तस्वीर आगे टंगी हुई है उनकी शिक्षा क्या है, उसका अच्छी तरह से ज्ञान न हो, इसलिये वह इन बातों के अन्तर को न समझ पाते हों।

समाजवाद की बात कही गयी। वादों के बारे में मेरा मत यह है कि निस्संदेह विद्यार्थियों को सब वादों का, राजनीति का पूर्ण ज्ञान कराया जाना चाहिये, लेकिन किसी वाद को उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिये। जैसे कि धर्म के बारे में सवाल उठता है कि किस धर्म की शिक्षा दी जाय, वैसे ही समाजवाद के बारे में प्रश्न उठ सकता है कि किस समाजवाद की शिक्षा दी जाय। चार समाजवादी पार्टी तो यहीं बैठी हुई हैं, कांग्रेसी भी हैं, राजनारायण सिंह भी हैं, हमारे तिवारी जी भी समाजवादी अपने को कहते हैं और हमारे दीपंकर जी भी हैं और झारखंडे राय जी तो कहते हैं कि हम सबसे बड़े समाजवादी हैं। तो कौन से

समाजवाद की शिक्षा दी जायगी? कांग्रेस में भी एक समाजवाद नेहरू जी का है और एक समाजवाद तिलक छाप शिक्षा मंत्री जी का है और एक मुख्य मंत्री महोदय का भी है जो मानते हैं कि समाजवाद में जो डायलेक्टिकल मैटिरियलिज्म है वह सही नहीं है, बल्कि "चिद्विलास" में उन्होंने प्रतिपादन किया है कि अध्यात्मक विकास पर समाजवाद आधारित होना चाहिये और ब्रह्म की बात को समझना समाजवाद के प्रतिकूल नहीं है, बल्कि अच्छी चीज है। तो जैसे सब धर्मों में जो समान बातें हों उनकी शिक्षा दी जानी चाहिये वैसे ही वादों के बारे में है। गांधीवाद और मार्क्सवाद अल्टीमेट आबजेक्ट, अन्तिम ध्येय, एक है। मार्क्स भी यही कहते हैं कि शोषणहीन और शासनहीन शांतिमय समाज की स्थापना होनी चाहिये और सर्वोदय और गांधीजी का सिद्धांत भी यही है कि शोषणहीन शासनहीन समाज हो। हां, वे चाहते हैं कि 'शान्तिमय' के स्थान पर 'सर्वोदय' शब्द का प्रयोग किया जाय। तो दोनों के अंतिम ध्येय की अगर शिक्षा दी जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को सदन इसलिये स्वीकार करेगा। मैं यह भी जानता हूं कि मेरे इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध इसलिये भी किया गया कि अगर यह स्वीकार हो गया तो शिक्षा का काम चलना मुश्किल हो जायगा और एक रुपये में वह चल नहीं सकेगा, मैं इस भावना का आदर करता हूं, लेकिन मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि कभी-कभी बुराई से भी भलाई हो सकती है और हमारे प्रधान मंत्री नेहरू जी के शब्दों में कभी-कभी सरकारों को भी शाक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, इसलिये अगर मेरा कटौती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जायगा तो सरकार इस बात के लिये मजबूर होगी कि वह जल्दी से जल्दी शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन करके हमारे सामने आये और यह कहे कि हमने सुधार कर दिया है जैसा कि आप लोग चाहते थे और अब हमारे बजट को स्वीकार कर लीजिये। मैं आशा करता हूं कि अगर माननीय शिक्षा मंत्री इस बात की घोषणा न करें कि वह शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करने के लिये कोई निश्चित कदम उठा रहे हैं, तो मेरा कटौती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जायगा और उसका परिणाम यह होगा कि सरकार सही रास्ते पर आ जायगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को माननीय सदस्यों के सामने स्वीकार करने के लिये उपस्थित करता हूं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---उपाध्यक्ष महोदय, कल मध्याह्न के पश्चात् ही शिक्षा के सम्बन्ध में आपकी आज्ञा से मैंने जो अनुदान प्रस्तुत किया उस पर सदन में विचार हो रहा है। मैं कृतज्ञ हूं माननीय पालीवल जी का कि उन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुये सारे विवाद को जिस ऊंचे स्तर पर ले जाने की ओर प्रयास किया उसमें उन्हें बहुत सफलता मिली और मैं आभार प्रकट करता हूं कि एक दिशा विचारदृष्टि को प्रदान करने के कारण उन्होंने स्तर को वस्तुतः इस विषय के अनुकूल स्थापित किया और कल से ही आज तक जो इस पर विवाद हो रहा है मैं निःसंकोच यह कह सकता हूं कि कई वर्षों के बाद विधान सभा में एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर इतने ऊंचे स्तर पर विवाद हुआ है। इसके लिये हम सब पालीवाल जी के कृतज्ञ होंगे।

जहां तक कटौती के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यह बात मैं अवश्य कह सकता हूं कि यह मेरी समझ में नहीं आया कि वह बातें जो उन्होंने कहीं उनमें कटौती के लिये जगह कहां है? सारा उनका दृष्टिकोण और सारी उनकी बातें और फिर उसमें कटौती की बात, यह कुछ उसमें बैठा नहीं। फिर मैंने सोचा यह कि मनुष्य रूढ़ियों का गुलाम होता है और चेष्टा करके भी उसके प्रभावों से पीड़ित रहता है। उन्हीं रूढ़ियों के कारण कि हमारी जो संसदीय पद्धति है कि जिस समय बजट पर विचार हो और जब उस पर कोई विचार व्यक्त करना हो तो उसमें कटौती पेश कर दो, इसी दृष्टि से मैं समझता हूं कि उन्होंने यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी बुराई में भी भलाई निकलती है और उसका उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्रस्तुत किया। तो कटौती पेश करके उन्होंने चाहे कितनी ही हमारे लिये कठिनाई उत्पन्न की हो पर

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जिस विवाद की सृष्टि उन्होंने की उससे इस प्रदेश का भी और शिक्षा विभाग का भी और उन समस्त व्यक्तियों का जिनका चाहे शिक्षा से सम्बन्ध रहा हो या न रहा हो पर जो प्रदेश के हित की दृष्टि से शिक्षा को एक अत्यंत आवश्यक राष्ट्रीय जीवन का एक अभिन्न अंग मानते रहे हैं उन्हें इससे लाभ पहुंचेगा ।

बहुत सी बातें कही गईं मान्यवर, लेकिन मैं देखता हूं कि सयम थोड़ा ही है कदाचित उन सारी बातों का उत्तर देना यहां कठिन हो । यद्यपि जो बातें कही गईं उनमें से बहुत सी बातें तो मौलिक हैं । उनके विषय में मैं आपकी आज्ञा से अपने विचार आगे प्रस्तुत करूंगा । कुछ बातें शिक्षा के शासन के सम्बन्ध में कही गईं और कुछ में किन्हीं स्थानों की आवश्यकताओं की ओर संकेत किया गया । आवश्यकताओं को हमने नोट कर लिया है और हमारी सभी की चेष्टा रहेगी, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं कि शिक्षा के प्रसार और विकास के लिये सभी प्रयत्न करेंगे जो हो सकते हैं । शिक्षा प्रशासन सम्बन्धी बातों को भी हमने नोट कर लिया है और उन पर विचार करेंगे ।

हमारे आदरणीय भाई और मित्र पंडित देवीप्रसाद जी ने कई बातों की ओर संकेत किया । इन्होंने एक बड़ी बात कही कि हमारी माध्यमिक शिक्षा की सारी पद्धति का क्रम ऐसा होना चाहिये जो स्वयं में पूर्ण, यानी complete in itself, हो और उसके बाद जब तक कोई व्यक्ति किसी ऊंचे ज्ञान के उपार्जन में न लगना चाहे, किसी प्रकार की बाधा उसके सामने अपने जीवन के उन्नत करने में इसलिए न पड़े कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है । शिक्षा-शास्त्र के सम्बन्ध में जिन लोगों ने विचार किया है उन्होंने बार बार इस बात को कहा भी है । मुझे ऐसे स्मरण नहीं, पर आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बात की ओर संकेत किया गया है कि सेकेन्डरी हायर एजूकेशन का स्वरूप कुछ ऐसा हो कि वह स्वयं में पूर्ण हो । वही आदमी विश्वविद्यालयों की ओर चलें जिनमें रुचि हो, प्रतिभा और कामना हो किसी ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करने की । जैसा देवीप्रसाद जी ने कहा, आज १६, १७ वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास करके, १८ वर्ष की अवस्था में इंटर पास करके विद्यार्थी कहां जाय ? वह नाबालिग भी है और कोई नौकरी-चाकरी मिलती नहीं, तो जाय कहां ? उसके मता-पिता के लिये परेशानी हो जाती है और श्रीपालसिंहजी गंजिग के लिये धन्यवाद देने लगेंगे । मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस विषय पर पहले भी और आज भी बराबर सोचा गया है । मुझे स्मरण है कि दिल्ली में जो अखिल भारतीय स्तर पर सेकेन्डरी शिक्षा के सम्बन्ध में राय-मश्विरा हुआ था उसमें भी सोचा गया था कि परीक्षा की पद्धति में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाय कि इंटरमीडिएट से निकले लड़के कम्पटीशन्स में या और चीजों के लिये चले जावें जिससे विश्वविद्यालयों के ऊपर लदता हुआ बोझ दूर हो । यह महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने भी है ।

कुछ सम्मानित सदस्यों ने प्राइमरी शिक्षा के प्रसार के सम्बन्ध में कठिनाइयों की ओर संकेत किया । इसमें किसी की भी दो रायें नहीं हो सकतीं ।

हमारे अध्यापकों का वेतन, जैसा कि कई लोगों ने कहा, निस्संदेह जो चपरासियों का वेतन है, उससे कम है । इस प्रदेश की सरकार ने साढ़े सात रुपया पिछले सालों में बढ़ाया भी है । ४१ रुपया वह पाता था, इन साढ़े सात रुपयों को मिलाकर साढ़े अड़तालीस रुपया हुआ । अब अन्तरिम जिला परिषद् कोई-कोई ५–६ रुपया महीना उनको महंगाई भत्ता भी देते हैं । इस प्रकार से ५४–५५ रुपये हो जाते हैं । इसलिए प्रारंभिक अध्यापकों की स्थिति के बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि उसमें सुधार की आवश्यकता है, प्रत्युत यह अनुचित भी है कि अभी तक सुधार नहीं हुआ है । चाहे कोई भी कारण हो, चाहे वह पैसे की कमी हो अथवा किन्हीं और साधनों की कमी हो, परन्तु जो बुनियाद है अगर उसी में किसी प्रकार की उपेक्षा रही तो उस पर जो भी अट्टालिका खड़ी होगी उसमें बड़ी भारी कमजोरी सदा के लिये रह जायगी ।

अभी कदाचित् देवी प्रसाद जी ने कहा कि भारत सरकार हमें कुछ पैसा देना चाहती है, उसको हमें ले लेना चाहिये। उनको यह भी सूचना मिली कि वह मंहगाई के सम्बन्ध में भी कोई सहायता देना चाहती है। हमने उस सम्बन्ध में मांग की। जो स्केल्स हमने बढ़ाये, स तेंडरी कालेज के सम्बन्ध में भी हमने मांग की, लेकिन हमें रुपया नहीं मिला। कभी-कभी ऐसा विचार पैदा हो जाता है कि भारत सरकार तो कह रही है, लेकिन हमारी सरकार लेती नहीं है। जब भीतर की जानकारी किसी को नहीं होती तो ऐसी बात कही जाती है। उन्होंने यह कहा था कि अध्यापकों के बढ़ाये हुए वेतन का ५० प्रतिशत व देंगे। जब मांग की गयी तो अपनी कठिनाई उन्होंने बतायी और कहा कि आप उसको प्लान सीलिंग के अन्दर ले आइये। यानी उन्होंने प्लान के लिये जो सीलिंग फिक्स कर दी है कि इतना रुपया मिलेगा, जैसे सारी पंचवर्षीय योजना की सीलिंग २५३ करोड़ रुपया है, तो जो भी वृद्धि हम कर रहे हैं उसको इस २५३ करोड़ के अन्दर ले आयें। इसके मानी यह हुए कि बहुतसी चीजों को हम काट दें।

अभी विचार प्रकट किया गया कि दर्जा ६ की फीस सरकार ने फिर से वसूल कर ली। हमारे सामने यह प्रश्न था। फीस माफी से ही जो रुपया हमें खर्च करना पड़ता है वह करीब १ करोड़ के आता है और अध्यापकों क वतन बढ़ने स जो रुपया खर्च होगा वह भी कई लाखों में आयेगा। हम अगर सीलिंग के चक्कर में रहे होते तो एक भी काम कर नहीं पाते। यह दिक्कत हमारी हो जाती है फिर भी हम यह तो स्वीकार करते ही हैं कि हमारा यह बराबर प्रयास रहा है, प्राथमिक अध्यापकों के विषय में, कि जब भी कभी अवसर हमें प्राप्त हो, जहां कहीं भी उनकी तनख्वाह बढ़ाने का अवसर हमें मिले, हम उसको बढ़ाते हैं।

प्रारंभिक पाठशालाओं के विषय में भी कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हम बैकवर्ड हैं। यह हमारे लिये लज्जा की बात है। उत्तर प्रदेश ने किसी जमाने में नेतृत्व ग्रहण किया था प्राइमरी एजूकेशन को चलाने में। सन् ४६ में यह सरकार आयी, आज के मुख्य मंत्री उस समय के शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने प्राइमरी शिक्षा को तेजी के साथ बढ़ाया और ११-१२ हजार प्राइमरी स्कूल ४ सालों में खोले, लाखों विद्यार्थी उसमें पढ़े। लेकिन ५२-५३ के बाद वह गति रुकी। किन्हीं कारणों से वह हमारा प्रयास चल नहीं सका। अगर चलता रहता तो हम प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आज जितने पीछे हैं, नहीं रहते। अब फिर उसकी तरफ प्रयास हो रहा है। यह सारे देश का प्रश्न है, आप यह न समझें कि केवल उत्तर प्रदेश की ही यह बात है। हम तो चाहते हैं कि इस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ें, क्योंकि जब कहा जाता है कि देश के १३ प्रदेशों में शिक्षा क्षेत्र में हमारा नंबर १२ वां है तो यह हमारे लिये कोई गौरव की बात तो हो ही नहीं सकती, बल्कि लज्जा की बात है और हम चाहते हैं कि हम किसी प्रकार से आगे बढ़ें। कुछ छोटे प्रदेश ऐसे हैं जहां लिटरेसी ८०, ८५ और ९० प्रतिशत तक है, कदाचित् प्राइमरी एजूकेशन भी है। परन्तु सारे प्रदेश में वह डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल जिसके जरिये हम प्राइमरी एजूकेशन को कम्पलसरी कर सकें, वह नहीं कर सके हैं। मेरे खयाल से भारत में भी कम्पलसरी कहीं नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी नहीं है।

जब ४० प्रतिशत ६-११ आयु के ग्रुप के लड़के ही हमारे यहां साक्षर हैं और अभी ६० प्रतिशत लड़के स्कूल जाने वाले हैं तो यह तो जाहिर है कि उसके लिये बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, भारत सरकार भी उत्सुक है, यद्यपि वह चाहती नहीं है कि दर्जा ५ के बाद शिक्षा फ्री हो। हमारी कोशिश है कि ४० से ज्यादा को कवर करने की कोशिश करें तो हम ८०, ८५ प्रतिशत तक प्राइमरी शिक्षा में पहुंच सकते हैं जो कि आज पीछे पड़े हुए हैं। फ्री एजूकेशन हमारे यहां भी है जिस पर सैकड़ों लाख रुपया खर्च करते हैं। हमारे यहां दर्जा ६ तक एजूकेशन फ्री है और मैं समझता हूं कि अगर सन् ६५ तक यानी तीसरी योजना की समाप्ति तक ८०, ८५ फीसदी भी कवर कर लिया जाय तो बहुत ज्यादा काम हो जायगा।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

किसी भाई ने कहा कि प्लानिंग में हमने शिक्षा को वह स्थान नहीं दिया जो देना चाहिये, बात सही है। प्लान के माने हैं कि साधनों और प्रायरिटी को सामने रख कर उन साधनों का उपयोग हो। शिक्षा के मामले में उसे वह प्रायरिटी नहीं दी गयी है जो देनी चाहिये, लेकिन जब रोटी का मामला हो तो वह उससे पीछे स्थान पर पहुंच जाती है। तो मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि इस बात की चेष्टा की जानी चाहिये कि तीसरे प्लान में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सके। किसी भी स्टेट की जिम्मेदारी शिक्षा क्षेत्र में पहले आती है और प्राइमरी शिक्षा की तो उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी भी स्टेट की आवश्यकतानुसार और वह भी लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा को फ्री और कम्पलसरी करने की पूरी जिम्मेदारी होती है और उस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने की चेष्टा करनी चाहिये। उस दिशा में हम प्रयत्नशील भी हैं।

और भी बहुत-सी बातें कही गयी हैं जिनका मैं उत्तर नहीं देना चाहता हूं। हमारे देवीप्रसाद मिश्र जी ने कहा कि लड़कियों की संख्या एक स्कूल में १८० तक है लेकिन लड़कों के स्कूलों में जो ५० फी सदी लड़कियां हैं उनको भी उसमें लिख दिया गया है। इस तरह से देखा जाय तो हिसाब ९० तक ही आता है। देवरिया के हमारे एक बन्धु ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आप ४५ लाख रु० देने वाले थे, लेकिन नहीं दिया। मैं उनसे निवेदन करूं कि शायद उन्होंने बजट साहित्य को पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि एक जगह उसमें १३ लाख ४२ हजार देने की बात लिखी हुई है और सब को मिला कर करीब अब तक ४७ लाख ८८ हजार गोरखपुर यूनिवर्सिटी को हो जायगा, यह प्रत्यक्ष है। फिर उन्होंने कैसे कह दिया कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी को हमने कुछ दिया ही नहीं?

प्रसार अध्यापकों के बारें में भंडारी जी ने कुछ कहा था। उनसे मैं निवेदन करूं कि अब प्रसार अध्यापकों का ग्रेड १२०–३०० के बीच में हो गया है और अंडरग्रेजुएट के लिये ७५–२०० का ग्रेड हो गया है। शायद उनको भी इस बात का पता नहीं होगा। श्री नवल किशोर जी कह रहे थे कि सर्वे (survey) का क्या फल हुआ। कैलाश प्रकाश कमेटी ने कई मास लगाकर एक रिपोर्ट दी है और उनकी सिफारिश उस में हैं कि दस वर्ष अभी और इस स्कीम को चलाया जाय। ५ वर्ष उस के पूरे हो रहे हैं और ५ वर्ष अभी और चलाया जाय। लेकिन यह जो धारणा है कि कोई लाभ नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं है, उससे लाभ हुआ है और हमारा भी विचार है कि ५ साल अभी उसका और प्रयोग होना चाहिये। जो सिफारिशें उन्होंने की हैं उनको हम स्वीकार करने जा रहे हैं। इस तरह से जो मुख्य-मुख्य बातें थीं उनके विषय में मैंने निवेदन किया।

अब दो एक बातें मैं उन सिद्धान्तों के विषय में अवश्य कहना चाहूंगा कि जिनकी ओर हमारे आदरणीय पालीवाल जी ने शुरू में संकेत किया और फलस्वरूप उसके इस सारे वाद-विवाद में वह विचार ओतप्रोत रहे। मैं तो ऐसा समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ बातें कहीं उन के सम्बन्ध में मैं यह कहूं कि उनमें से किसी से भी मुझे विरोध नहीं है। खाली कटौती के प्रस्ताव की जो बात है उसी से मेरा विरोध है, वह स्वीकार नहीं होना चाहिये और बाकी सभी बातों से मेरी सहमति है।

एक बात उन्होंने यह कही, और उन्होंने ही नहीं माननीय देवीप्रसाद जी ने भी कहा था और अन्य सदस्यों ने भी कहा था कि शिक्षा का ध्येय स्थिर होना चाहिये, यह सही है। मैं भी इसे स्वीकार करता हूं और गत वर्ष मैंने कहा भी था और राजनारायण जी ने कहा था कि जब ध्येय नहीं है तो पद्धति कैसे चलेगी? बात उनकी भी सही थी लेकिन बात यह है कि ऐसा लगता है कि शिक्षा का जो प्रवाह चलता है उस के सामने कुछ लक्ष्य होता है, जैसे विद्यार्थियों में मानवता का निर्माण उन मूल्यों के अनुसार हो जिनके आधार पर वह लक्ष्य स्थिर होते हैं अथवा उन मूल्यों के अनुसार हो जिन को ग्रहण करने के बाद उस लक्ष्य की संसिद्धि हो सकती है। अंग्रेजों के जमाने में यहां जो कुछ हुआ है उस को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा

का केवल इतना लक्ष्य रह गया था कि लड़के नौकरी कर सकें। इस लक्ष्य को लेकर शिक्षा कभी उपयोगी नहीं हो सकती और फ़्रस्ट्रेशन, निराशा और अनुशासनहीनता आदि दुनिया भर की चीजें सामने आयेंगी। शिक्षा का अर्थ हो सकता है कि जीवन का परिष्कार या संस्कार इस प्रकार का हो कि मनुष्य में उसकी मनुष्यता का निर्माण, उसकी कल्पना, दृष्टि और आदर्श के अनुसार हो सके। हमारे देश में शिक्षा पद्धति का यही मर्म रहा है। मैं उसकी अधिक विवेचना में जाना नहीं चाहता और यहां विद्वानों के सामने अधिक विवेचना की आवश्यकता भी नहीं है, परन्तु हमारे देश में ऐसा लक्ष्य रहा है कि अर्थ और काम के अतिरिक्त उसके साथ-साथ धर्म और मोक्ष की भी प्राप्ति हो सके--यही पुरुषार्थ चतुष्टयम्--हमारा ध्येय रहा है। मनुष्य इस योग्य हो जाय कि वह इस भौतिक संसार के अन्दर जीवनभोग कर सके और साथ-साथ सीमा बद्ध रहे, धर्मानुकूल हो और तमाम लक्ष्य उस का साधन हो जाय उस परम लक्ष्य की संसिद्धि के लिये जिसे आप पुरुषार्थ चतुष्टयम् कहते हैं। हमारे यहां विद्या की परिभाषा ही है "विद्या धर्मेण शोधते", यह १६ आना सत्य है और "विद्या विहीन : पशुभि : समानः" यह भी सवा १६ आना सही है।

परन्तु हमारे यहां वह विद्या की परिभाषा बिगड़ गई है लेकिन फिर भी अभी हमारे यहां धर्म की वह परिभाषा नहीं है कि जिस को मार्क्स ने कहा था कि "Religion is like opium to humanity." वह इस दृष्टि से कि जिस तरह से धर्म और साम्प्रदायिकता के आधार पर जिस द्वेष, असमानता और भौतिक पिपासा की सृष्टि हुई उस तरह से हमारे देश में तो धर्म की कल्पना कभी साम्प्रदायिक नहीं रही। समस्त संसार और जीव और जन्तुओं से जिसने तादात्म्य प्राप्त करने की चेष्टा की है उसके धर्म को साम्प्रदायिक रूप नहीं दे सकते। धर्म तो जीवन का लक्ष्य है। उसको प्राप्त करने के प्रयास में जिन कठिनाइयों का सामना करना है वही साधना है और उन कठिनाइयों को पार करना ही उनकी संसिद्धि है।

समाजवाद में भी एक जीवन का दर्शन होता है। उसके द्वारा भी कुछ वेल्यूज क्रियेट होती है। उसकी वेल्यूज को आप देखें। मैं ऐसा मानता हूं कि जो मार्क्स की दार्शनिक विचाराधारा है वह एक स्थान पर रुक जाती है जिसे आगे जाना चाहिये। इन बातों को आप जाने दें। मैं ऐसा अवश्य मानता हूं कि कोई भी सामाजिक क्रान्ति होती है नये मूल्य की सृष्टि से और नये मूल्य की सृष्टि करना शिक्षा का काम है और शिक्षा के द्वारा ही जीवन में उन नये मूल्यों की प्रतिष्ठा होती है। इसीलिये तो शिक्षा माध्यम है। इन दोनों को किस प्रकार हम लें आएं और किस प्रकर से लक्ष्य स्थिर हो इस पर प्रयास होना है। आज उसका अभाव है। यह काम सरकार करे, यह जो राय गोविन्द सहाय जी ने दी, व्यक्तिगत रूप से मैं सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि शिक्षा के सारे काम का संचालन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के द्वारा, शिक्षा पंडितों के द्वारा और विचारपूर्ण मनीषियों के हाथ में होना चाहिये। अगर केवल शासन के हाथ में इसे दे दें तो उसका क्या परिणाम हो सकता है यह सोच की बात है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऐसे देशों में जहां टोटेलीटेरियन व्यवस्था रही वहां रेजीमेंटेशन हुआ है। हमारे देश में शिक्षा राज्य सहायता प्राप्त करती रही है, लेकिन राज्य संचालित रही हो ऐसा कोई उदाहरण मुझे नहीं मिला है। सहायता देना, कठिनाइयों को दूर करना राज्य का कर्तव्य है। उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना जिनसे शिक्षा को सहायता मिले राज्य का परम कर्तव्य है। परन्तु साथ ही साथ शिक्षा की पद्धति को लक्ष्य के अनुकूल निर्मित करना और शिक्षा के लिये लक्ष्य और उसके लिये एक दर्शन की रचना करना इस देश के मनीषियों, विद्वानों और पंडितों का काम रहा है और उस दिशा में हमारे राष्ट्र की आत्मा कुछ उन्मुख हुई और हो रही है। इतना समय नहीं है कि कुछ कहूं। आज तो यह दृष्टि किसी की नहीं है कि शिक्षा को एकांगी बनाया जाय। मैं यह मानता हूं कि अन्तरात्मा का जब तक उद्बोधन नहीं करेंगे, केवल मस्तिष्क के प्रबोधन से काम नहीं होगा। अब दोनों का किस प्रकार से सामञ्जस्य हो इसी दिशा का निर्माण होना है और उसी की ओर

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

देश अग्रसर है और हम अवश्य ही उसके निर्माण में समर्थ होंगे। इस आशा के साथ मैं माननीय पालीवाल जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री पालीवाल से) माननीय शिक्षा मंत्री जी की प्रार्थना के बारे में क्या हुआ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--प्रार्थना के सम्बन्ध में मैंने पहले ही कह दिया था कि वह अगर यह घोषणा कर देते कि शिक्षा में आमूल सुधार करने के लिये कोई निश्चित कदम उठा रहे हैं तब वापस मैं ले लेता। नहीं तो जिस सिद्धान्त का माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिक्र किया उसके अनुसार मेरा भी कटौती का प्रस्ताव रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है--

माध्यमिक शिक्षा तथा प्राइमरी स्कूल शिक्षा स्वायत्त शासन द्वारा न करा कर विभाग के द्वारा होना चाहिये। शिक्षा का स्तर गिरता जाता है तथा जो प्रान्तीय शिक्षा परिषद् प्रबन्ध करती है उनकी गड़बड़ी बताना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--शिक्षा--लेखा शीर्षक: ३६--वैज्ञानिक विभाग और ३७--शिक्षा के अन्तर्गत १७,२२,९६,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१ मार्च, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७० पर)

प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९५५–५६) के अन्त में गोरखपुर तथा वाराणसी कमिश्नरियों के जिलों में नलकूपों द्वारा सींची जाने वाली भूमि का विवरण

	एकड़
गोरखपुर डिवीजन	
१—गोरखपुर जिला	१६,४१३
२—देवरिया जिला	१५,२१९
३—बस्ती जिला	१७,८९८
४—आजमगढ़ जिला	११,४३५
वाराणसी डिवीजन	
१—गाजीपुर जिला	७,८७७
२—बलिया जिला	७,०९२
३—जौनपुर जिला	३,५१७
४—मिर्जापुर जिला	५८८
५—वाराणसी जिला	१६,४३४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७७ पर)

अगस्त और सितम्बर, १९५९ में जो चार शिकायती पत्र हस्तिनापुर पावर हाउस के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त हुए उनके भेजने वालों के नाम सर्वश्री बाबूराम, चौकीदार व प्रेम लाल और श्रीमती निर्मला देवी (श्री बाबूराम की धर्मपत्नी) हैं और एक अज्ञात पत्र है।

(क) श्री बाबूराम ने अपने शिकायती पत्र में यह लिखा है कि मुझे इन्जेक्टर श्रीमान् इंजीनियर साहब तथा हेड मैकेनिक ने कानपुर ले जाने के लिये दिये थे। और इंजीनियर साहब ने यह कहा था कि मेरे भाई साहब को दे देना। दारोगा साहब जो इंक्वायरी करने आये थे उनको सही हाल बताने पर इंजीनियर साहब व हेड मैकेनिक मुझसे नाराज हो गये हैं और मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं।

(ख) श्री प्रेमलाल, जो कि श्री बाबूराम चौकीदार के साले हैं, ने अपने पत्र में लिखा है कि श्री जी० एस० सक्सेना, इंजीनियर अनेक प्रकार के उत्पात करते हैं और कराते भी हैं और बदमाशों को अपने पास शरण दे रहे हैं। न्हीं के कारण मेरा घरबार बरबाद हो गया है। हस्तिनापुर में मेरी मां, दो बहनें एक छोटे भाई के साथ रहती थीं, मेरा भाई दसवीं में पढ़ रहा था। भाई की परीक्षा समाप्त होने पर मैं घर गया। पर मेरे पहुंचने से पहले ही हमारी मां इत्यादि सब को सक्सेना भगा ले गये और उन्हें पावर हाउस में किसी घर में काफी समय तक रक्खा और अनेक प्रकार के मेरे ऊपर लांछन लगाये इत्यादि।

(ग) श्रीमती निर्मला देवी ने अपने पत्र में यह लिखा है कि सर्वश्री सक्सेना व टीकम सिंह ने इंजेक्टर कानपुर ले जाने के लिये दिये थे और जब उसके पति ने यही बयान दिया तो उन पर दबाव डाला गया और धमकियां दी गयीं कि वह अपना बयान बदले। इसके अतिरिक्त यह भी लिखा है कि बाबूराम के साथ उसका विवाह सर्वश्री सक्सेना तथा टीकम सिंह ने जबर्दस्ती करवाया और यह भी कि श्री सक्सेना अपनी काम वासना पूरी करने के लिये तरह-तरह के आरोप लगाते हैं और मेरे अतिरिक्त अन्य कई स्त्रियां हैं जिनमें श्री बाबूराम आयलमैन की पुत्री तथा उसके लड़के की स्त्री हैं जिनको श्री सक्सेना ने अपने घर बुलाया और न भेजने पर उसे सस्पेन्ड कर दिया।

(घ) अज्ञात शिकायती पत्र में लिखा है कि श्री सक्सेना के मकान के पीछे की तरफ पावर हाउस के चुराये हुए तार व बल्ली पड़े हैं। बहुत-सी बल्ली खाना बनाने के काम में लाये हैं और कुछ बेच दिया है। श्री सक्सेना पावर हाउस के कुछ चोरी के सामान को कानपुर बेचने के लिये गये थे परन्तु यहां यह मालूम होने पर कि सामान बरामद हो चुका है वह शीघ्र ही वापस आ गये और जो चोरी का सामान घर में रखे हुए थे, बिसारिया साहब जो इनके साले हैं, के यहां भिजवा दिया और श्री टीकम सिंह ने ओवरसियर के द्वारा गायब कर दिया है। इस पत्र में यह भी लिखा है कि श्री टीकम सिंह ने एक ट्रैक्टर खरीदा है जिसमें पावर हाउस का सामान तथा औजार इस्तेमाल किये जा रहे हैं, इंजीनियर मिले हुए हैं तथा सौ फिट में आधा हिस्सा बाटते हैं। टीकम सिंह अपना निजी काम करता है और पावर हाउस में नाममात्र को आता है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७९ पर)

निम्नलिखित ग्रामों में मुआवजा देना शेष है :

ग्राम	धनराशि
	रु०
राजपुर	८,७४९.६५
रजावन	१,४८९.१८
धुरवारा	२,६९८.१६
कोटरा	३,३२९.८९
भुघेरा	१,३१८.३२
कुअरपुरा	३,७०५.०४
कपरैल कलां	२,४७,१०९.६२
बनगवां	१,२६,९४७.००
योग ..	३,९५,३४६.८६

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८४–८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ. २८३ पर)

सूची 'क'

आजमगढ़ जिले की नहरों के नाम और उनसे सिंचित क्षेत्र

नहर का नाम	सिंचाई एकड़ों में १९५९–६०		
	खरीफ	रबी	
१—सलौना ताल पम्प नहर	४८१	४५०	
२—खुरहट पम्प नहर	९२७	३४६	
३—पकरी ताल पम्प नहर	१८७	३२०	
४—खोई ताल पम्प नहर	३०	१३८	
५—टांडा पम्प नहर	३,४७९	५,०००	ये नहरें अभी पूरी नहीं बनी हैं।
६—दोहरी घाट नहर	५,२३९	९,०००	..

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

सूची 'ख'

आजमगढ़ जिले में नहरों का निर्माण हो रहा है उनके नाम और उन पर तहसीलवार प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र

क्रम-संख्या	नहर का नाम	तहसील का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र सिंचाई (एकड़ में)
१	टांडा पम्प नहर	.. फूलपुर ..	१९,६१०
		निजामाबाद	१४,१४३
		खगरी ..	३,५८०
		योग ..	३७,३३३
२	दोहरी घाट पम्प नहर ..	.. धौसी ..	२३,६०३
	शारदा नहर की शाखायें—		
	(१) ठिकमा राजबहा ..	.. फलपुर ..	२,५३०
		लाल गंज	७,१७३
		योग ..	९,७०३
	(२) आजमगढ़ राजबहा ..	.. फूलपुर ..	२,७६०
		आजमगढ़	५,७३३
		मुहम्मदाबाद	६९०
		योग ..	९,१८३
	(३) लालगंज राजबहा ..	.. फलपुर ..	१,१५०
		लालगंज	५,८७१
		योग ..	७,०२१
	(४) फलपुर राजबहा ..	.. फूलपुर ..	३,४५०
		आजमगढ़	२,२३०
		योग ..	५,६८०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सूची 'ग'

प्रश्न संख्या ८५ के उत्तर में दिखाई गयी नहरों का अनुमानित लागत तथा कार्य की पूर्णता का समय

नहर का नाम	अनुमानित लागत रुपये में	कार्य की पूर्णता का समय
	लाख	
१—टांडा पम्प नहर	८५.१७	मार्च, १९६१
२—दोहरीघाट पम्प नहर	१७४.६०	मार्च, १९६१
३—शारदा नहर की शाखाएं—		
(१) ठिकमा राजबहा	९.८५४	मार्च, १९६०
(२) आजमगढ़ राजबहा	१०.०२९	मार्च, १९६१
(३) लाल गंज राजबहा	७.५८४	मार्च, १९६१
(४) फूलपुर राजबहा	३.१६२	मार्च, १९६१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर)

सूची

मांगें जो सितम्बर १, १९५९ के स्मृति-पत्र में उल्लिखित ह :

१—उत्तर प्रदेश की सभी नदियों में फ़्री शिकार माही करने का आदेश दिया जाय।

२—भूमिहीन मल्लाहों, निषादों, गोड़ियों केवटों इत्यादि को नदी तक की भूमि गंगवरार तथा गांव सभा के अन्दर परती बंजर भूमि को देने में प्राथमिकता दिया जाय।

३—घाटों, तालों, पोखरों का ठेका तोड़ दिया जाय। अपने हाथ से नाव खेने वाले, तालों में मछली मारने वाले तथा अपने हाथ से सिंघाड़ा लगाने वालों के नाम स्थायी व्यवस्था किया जाय तथा लाइसेन्स व्यवस्था किया जाय।

४—हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बटवारे से जितने मल्लाह बेकार हुए हैं उन मल्लाहों को काम देने की व्यवस्था की जाय।

५—समुद्री जहाजों पर काम करने के लिये मधवा, मल्लाहों, निषादों, गोड़ियों, केवटों इत्यादि को भरती किया जाय, उनके शिक्षा की व्यवस्था भी की जाय। स्थान-स्थान पर शिक्षण केन्द्र खोले जायं।

६—मोकामा के पुल का निर्माण होने से लाखों नाविक बेकार हो गये हैं। ऐसे बेकार नाविकों को काम दिया जाय। जैसे पूर्णिमा जिला सहस्सा का जूट गाड़ी सेल किया जाय।

७—मल्लाहों, निषादों, गोड़ियों, सीरहिया, चाप, तिपर, बिन्द, बथवा, मुड़ियारी, धीवर, धुरिया, गौड़ कहार इत्यादि जातियों को हरिजनों की सुविधायें देने के लिये आज्ञा प्रदान किया जाय तथा इनका भी नाम परिगणित जाति की लिस्ट में जोड़ दिया जाय।

८—भारत विभाजन के कारण उत्तर प्रदेश मल्लाहों की नावें पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर, घाटों पर व आवागमन के असुविधा के कारण टट गयीं तथा लड़ गईं उनकी क्षति पूर्ति करें।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—३०० एल० ए०—१९६०—८४५।